उपभोक्ता : अधिकार और संरक्षण

इंदिरा आवास योजना : नये आयाम

शताब्दी का अंतिम महाकुंभ

○ महिला दिवस पर विशेष सामग्री

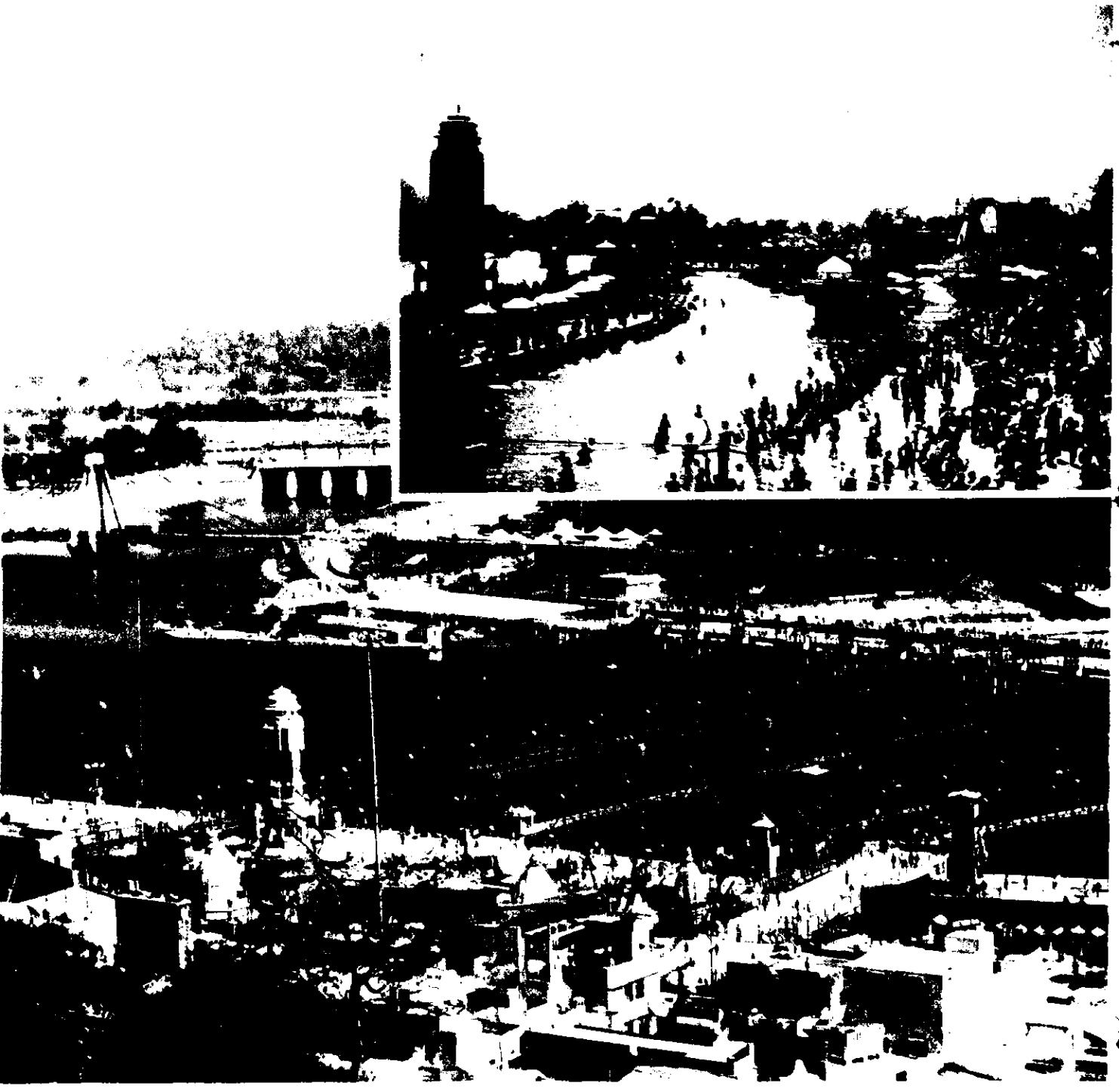

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय
प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष 43 | अंक 5 | फाल्गुन-चैत्र 1919-20 | मार्च 1998

कार्यकारी संपादक
बलदेव सिंह मदान

उप संपादक
रजनी

संपादकीय पता
संपादक, 'कुरुक्षेत्र', ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय,
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 3015014
फैक्स : 011-3015014
तार : ग्राम विकास

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
डी.एन. गांधी

विज्ञापन प्रबंधक
के.एस. जगन्नाथ राव

आवरण सज्जा
आर.के. टंडन
सलिल शैल (मुख पृष्ठ)

फोटो साभार
रमेश चन्द्र, फोटो प्रभाग, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय
फोटो डिवीजन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत, सहायक व्यापार व्यवस्थापक (सर्कुलेशन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक-4, लेवल-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 से करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक-4, लेवल-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066 से संपर्क करें। फोन : 6105590

हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी में भी प्रकाशित इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मूल्य एक प्रति : पांच रुपये
वार्षिक शुल्क : 50 रुपये
द्विवार्षिक : 95 रुपये
त्रिवार्षिक : 135 रुपये

इस अंक में

● नारी चेतना और अस्मिता की पहचान का दिन	आशारानी व्होरा	3
● ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा संबंधी समस्याएं और समाधान	स्वेता मिश्रा	7
● ग्रामीण महिलाओं में अशिक्षा : एक अभिशाप	वेद प्रकाश अरोड़ा	10
● ग्रामीण स्त्रियों की प्रगति के अनगढ़ रास्ते	जितेन्द्र गुप्त	13
● इंदिरा आवास योजना : नये आयाम	डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल	17
● सुबरनी (कहानी)	विमलेश गंगवार 'दिपि'	21
● ग्रामीण स्वास्थ्य : सर्वाधिक उपेक्षा महिलाओं की	डा. कैलाश चन्द्र पपनै	23
● महिलाएं दलित क्यों	रवीन्द्र कुमार सिंह	25
● स्वतंत्रता के पचास वर्षों में कृषि : एक मूल्यांकन	डा. एस.सी. जैन	27
● उपभोक्ता : अधिकार और संरक्षण	डा. दिलीप सिंह	29
● ग्रामदान आंदोलन (स्थायी स्तंभ)	श्रीमन्नारायण	31
● ग्रामीण विकास के सूत्र	दिलीप कुमार	32
● शताब्दी का अंतिम महाकुंभ	संजय वर्मा उदय	36
● कृषि आधारित उद्योग : ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के नवीन शिल्पकार	डा. संजय आचार्य	39

पाठकों के विचार

दान का रहस्य

दिसम्बर 1997 का *कुरुक्षेत्र* अंक पढ़ा। श्री संतोष कुमार राणा द्वारा लिखी लघु कथा *दान* पसंद आई। आपकी कहानी ने वास्तविकता को उजागर किया है। बहुत अच्छा लगा। सत्य है कि पाइथागोस के अनुसार 'अपने हाथ की कमाई का भरोसा रखो, औलाद का नहीं। मसल है कि एक बाप दस बेटों का पालन-पोषण कर सकता है, पर दस बेटे एक बाप का पालन नहीं कर सकते।'

बी.आर. बंशीवाल, आर.ई.एस., ग्रामसेवक प्रशिक्षण केन्द्र, मंडोर, जोधपुर (राज.)

गांवों की समस्याओं को उजागर करने वाली एकमात्र पत्रिका

मैं *कुरुक्षेत्र* की बिल्कुल नई पाठिका हूं और मुझे इस बात का खेद है कि आज के विकासशील माहौल में भी अत्यंत उपयोगी, सारगर्भित और तथ्यपरक आलेखों से युक्त इस पत्रिका के पठन से अब तक वंचित रही।

भारत गांवों का देश है, जहां के अधिकांश गांवों में विकास की किरणें अभी दिखाई नहीं दी हैं। इन्हीं गांवों की समस्याओं को उजागर करने तथा उनके समाधान के उपाय सुझाते हुए, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने वाली भारत की एकमात्र पत्रिका *कुरुक्षेत्र* ही है।

कुरुक्षेत्र के सितम्बर अंक का आद्योपान्त अवलोकन करने का अनुभव काफी ज्ञानवर्द्धक एवं सुखद रहा। पत्रिका का मुख पृष्ठ काफी आकर्षक तथा सार्थक प्रतीत हुआ जिसमें महिलाओं के स्वरोजगार में संलग्न रहने का अत्यंत सजीव चित्रण देखने का अवसर मिला। पत्रिका के इस अंक में *महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम* आलेख विशेष रूप से श्लाघ्य है। अंत में आप से निवेदन है कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में नारी की स्थिति, उसे प्राप्त सुविधाओं और उसकी भूमिका का तथ्यात्मक विश्लेषण करते हुए *कुरुक्षेत्र* का एक विशेषांक प्रकाशित करने की कृपा करें।

शेफालिका पाठक, नया दुर्गा स्थान के सामने, पुरानी गंज, मुंगेर (बिहार)

विकास के मानदंड मृणतृष्णा बनकर रह गए

दिसम्बर 1997 के अंक में प्रकाशित लेख *विकास के बढ़ते फासले* वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में असमानता को रेखांकित करता है क्योंकि विकास के साधन जिन्हें मिलने चाहिए थे वे वंचित रह गए। समग्र विकास के मानदंड आजादी के पचास वर्षों में मृगतृष्णा बनकर रह गए अन्यथा बिहार जैसे खनिज तथा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर राज्य में प्रतिव्यक्ति आय का स्तर कम न होता। रोजगार के साधनों में अभिवृद्धि करने की अब महत्ती आवश्यकता है।

श्यामानन्द पाण्डेय, पाण्डेय कुंज, गौरी बाजार, देवरिया (उ.प्र.)

दिसम्बर 1997 के अंक में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए

कुरुक्षेत्र के दिसम्बर माह के अंक में *आधुनिक टेक्नोलाजी गांवों की समस्या का समाधान नहीं* ने ग्रामीण विकास की व्यावहारिकताओं की परिपूर्णता के बारे में मेरे ज्ञान-चक्षु खोल दिए। वस्तुतः सरकारी प्रकाशन होते हुए सच्चाइयों को स्थान देने हेतु आप प्रशंसा के पात्र हैं। इसमें उठाए गए प्रश्न वाकई महत्वपूर्ण हैं। यह भी विचित्र बात है कि आजकल शहरों में औसतन 5 वर्ष की अवधि के पश्चात वाहनों को पर्यावरणीय दृष्टि से अयोग्य घोषित किया जा रहा है। इसी प्रकार शहरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को शहरों के पर्यावरण की विषमता का कारण मानते हुए इनको बंद कर गांवों की ओर ले जाने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रश्न उठता है कि जो वाहन शहरों के पर्यावरण के अनुकूल नहीं हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों के पर्यावरण के कैसे अनुकूल हो सकते हैं? वे औद्योगिक संस्थान जो शहरों के पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं, वे ग्रामीण क्षेत्रों हेतु कैसे स्वास्थ्यप्रद हो सकते हैं? कानून का भी शहरीकरण हो चुका है। ये स्थितियां किसी भी सभ्य समाज के लिए अच्छी नहीं कही जा सकतीं।

कुंदन कुमार, राधानगर उपकेन्द्र, फतेहपुर

ग्रामीण स्त्री का चतुर्दिक विकास अपेक्षित

कुरुक्षेत्र के दिसम्बर 1997 अंक में प्रकाशित नानक चंद का आलेख *ग्रामीण स्त्रियों की जिंदगी में बदलाव नहीं आए* वर्तमान समाज के आर्थिक-राजनीतिक समानता के उद्घोष पर प्रश्न चिन्ह लगाने का एक सफल प्रयास है। विवेच्य लेख ग्रामीण महिलाओं की दुर्दशा का सजीव चित्रण है। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर लेखक ने ग्रामीण और शहरी स्त्रियों के बीच व्याप्त असंतुलन की दिनोंदिन बढ़ती हुई प्रवृत्ति को स्पष्ट कर, जनसामान्य को यह बोध कराने का प्रयास किया है कि संचार माध्यम और न्यायपालिका के सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण के साथ-साथ इसके लिए सुधार आंदोलन अपेक्षित है। दुर्भाग्यवश भारतीय महिलाओं के चतुर्दिक विकास के लिए गठित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं और संचार माध्यम शहर में चर्चित-प्रतिष्ठित स्त्रियों के मामलों को ही उजागर करते हैं। अतएव ग्रामीण और शहरी स्त्रियों के बीच की दूरी को कम करने के लिए विशेष प्रयास आवश्यक हैं और तभी 'असूर्यमपश्या' कही जाने वाली ग्रामीण स्त्रियों के लिए अंतरिक्ष में भ्रमण करना संभव हो सकता है।

अनिल कुमार सिंह झा, चनौर, मनीगाछी, दरभंगा, (बिहार)

अंतर्राष्ट्रीय महिला-दिवस

नारी चेतना और अस्मिता की पहचान का दिन

आशारानी व्होरा

भारत का स्वतंत्रता स्वर्ण जयंती वर्ष। एक युवती कल्पना चावला की अंतरिक्ष-अनुसंधान के लिए सफल उड़ान भरकर पृथ्वी पर सकुशल वापसी। महिला-प्रगति-यात्रा में एक नया मील पत्थर। निश्चय ही इस वर्ष के 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर गिनाने योग्य यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है और भारत के लिए गर्व करने योग्य उल्लेखनीय घटना। पर क्या आम भारतीय नारी भी आजादी के बाद अपनी पचास वर्षीय प्रगति पर गर्व कर सकती है? आइए, 'महिला-दिवस' के संदर्भ में विश्व-भर में उठाई जाने वाली स्त्रियों की आवाज और भारतीय स्त्रियों की स्थिति का कुछ आकलन करें।

बीसवीं सदी को महिला-जागरण का युग कहा जाता है। यह अलग बहस का मुद्दा है कि जागरण की दिशाएं क्या रहीं? पर इस सदी को महिला-आंदोलनों का युग' कहने पर कोई मतभेद नहीं होगा।

एक बार सोवियत नेता मिखाईल गोर्बाचौफ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला-दिवस पर महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था, "रोटी, किताब और स्त्री—मानव जीवन के ये तीन अनमोल रत्न हैं। रोटी हमें जीवन-दान देती है, किताबें पीढ़ियों को जोड़ती हैं और महिलाएं हमारे जीवन-सूत्रों को बिखरने से बचाने में अपनी अहम् भूमिका अदा करती हैं।" जीवन-सूत्रों को बांध कर रखने की बात भारतीय स्त्रियों पर कुछ अधिक ही लागू होती रही है। पर क्या आज भी ऐसा है? भारतीय परिवार विश्व-संदर्भ में आज भी अधिक टिकाऊ है, ऐसा कहा जा सकता है। पर इस व्यवस्था को टिकाऊ रखना है नारी-अधिकारों व बराबरी की मांग के तमाम आंदोलनों के बावजूद, भारतीय ही नहीं, विश्व-मंचों पर भी यह आवाज निरंतर उठती रहती है।

अपने हृदयों में मां की ममता लिए महिलाएं समय-समय पर भूखों की रोटी, मरीजों की दवा और बच्चों की आंखों से आशा की किरण छीनने वाले दैत्याकार युद्ध-अस्त्रों को नष्ट करने की जोरदार आवाज उठाने के बाद, अब विश्व भर में बढ़ते आतंकवाद को रोकने के लिए अपील कर रही हैं। बिना वक्त खोए युवा पीढ़ी को शांति-भावना और मानवीय सद्भावना में दीक्षित किया जाना चाहिए ताकि मानव जाति नाभिकीय अस्त्रों और आतंक से विहीन एक निश्चित भविष्य लिये, इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर सके।

पृथ्वी के सभी नागरिकों को समानता, शांति, विकास और सामाजिक न्याय के वातावरण में जीने का अवसर मिल सके, इसके लिए महिला-आंदोलन अब अधिकार और बराबरी की अपनी मांग तक सीमित नहीं रहा, विकास में भागीदारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, शोषण-मुक्ति, हिंसा रहित समाज, विश्व-शांति जैसे सभी मानवीय विषय उसमें जुड़ गए हैं। युद्ध वियतनाम में हो, ईराक में हो, अफगानिस्तान में हो या भारत-पाकिस्तान के बीच, हर ऐसे समय महिला-संगठनों ने इसके विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। जैसे ये नारे :

युद्ध की बातें बंद करो और विश्व-शांति के हाथ मजबूत करो।
स्त्रियों, बच्चों की सुरक्षा उन पर अहसान नहीं, राष्ट्रों का दायित्व है।

मानव की प्रगति के लिए शांति और सुरक्षा पहली अनिवार्य शर्त है। नई सामाजिक संरचना, शासन-प्रशासन की सही नीतियों, राष्ट्रों के रचनात्मक उत्थान और भावी संतति के सुरक्षित भविष्य के लिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों और समाज की सभी नियंत्रक शक्तियों में स्त्रियों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए।

स्त्री हो या पुरुष, समाज हो या राष्ट्र, अस्तित्व-रक्षा और सम्मानपूर्वक जीवन-यापन के लिए सुरक्षा और समानाधिकार के मूलभूत मानवीय अधिकारों के बिना शांति क्या संभव है? इसलिए विघटन की स्थितियों में सामाजिक न्याय की मांग हर जगह रैलियों में उठाई जाती रही। ....पर आजादी और अधिकारों की मांग उठाने पर सभी देशों में किस प्रकार नारी-शोषण की घटनाओं में वृद्धि हुई, इससे किस प्रकार न केवल प्रगति अवरुद्ध हुई, हर देश में स्त्री की अस्मिता पर भी बन आई, तीन दशकों के तीन बड़े विश्व-महिला सम्मेलनों के मंचों पर विभिन्न देशों की प्रतिनिधि महिलाओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से यह सत्य भी सार्वभौमिक रूप से उजागर हुआ। भारत में भी समय-समय पर ऐसी स्थितियों में प्रदर्शन-रैलियों में रोष तथा विरोध इस रूप में प्रकट हुआ : *"दहेज-प्रथा बंद करो"....."बहुओं को जलाना बंद करो"...."बलात्कारी गुंडों को कड़ी से कड़ी सजा दो"...."नारी-शोषण बंद हो"....और "नारी न देवी, न दासी, स्त्री-पुरुष जीवन-साथी"...."आजादी, समानता और सुरक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नारी को मानवी भी समझा जाए" आदि।*

निश्चय ही ये नारे नए बदलाव की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं और नारी-आंदोलनों में नया दृष्टिकोण प्रस्तुत कर, नारी-पुरुष प्रतिद्वंद्विता और टकराव की पूर्व स्थितियों को निरस्त कर, नई सदी में स्त्री की समाज में नई सकारात्मक भूमिका, उसकी सामाजिक विकास में नई भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

पर इस भूमिका और इस सामाजिक हिस्सेदारी को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए स्त्री-वर्ग को अन्याय के उन्मूलन की 'पहल' अपने बीच में से करनी होगी। दूसरे शब्दों में, 'नारी द्वारा नारी का शोषण' भी पहले बंद करना, कराना होगा।

दूसरी बात—अपनी लाखों पिछड़ी बहनों को भी साथ लेकर चलना होगा, अन्यथा केवल उच्च, समृद्ध व शिक्षित महिलाओं की प्रगति के मायने संदिग्ध रहेंगे। इसी तरह राजनीति में, सामाजिक विकास में हिस्सेदारी बढ़ाने और हिंसा-आतंक के विरुद्ध आवाज बुलंद करने में भी इन अग्रणी स्वरों के साथ सामान्य महिलाओं का स्वर भी मिलाना होगा, तभी सफलता सुनिश्चित हो सकेगी।

तीसरी बात—नारी-चेतना के साथ नारी-अस्मिता को लेकर भी चलना होगा ताकि हम अपनी स्वस्थ परंपरा, उज्ज्वल विरासत की उन जड़ों से कट न जाएं, जिसके लिए आज सारे संसार की आंखें भारत की ओर लगी हैं। यानी वर्तमान अपसंस्कृति से भी लड़ना होगा और इसके लिए अपने खोये प्रतिष्ठित मातृपद की पुन:प्राप्ति के लिए भी शक्ति का संचय और प्रदर्शन करना होगा। फिर अर्जित सम्मान के प्रति किसी पुरुष की कुदृष्टि नहीं उठ सकेगी।

पूरे वर्ष में यह एक दिन इसी चेतना और अस्मिता को समर्पित होना चाहिए। केवल अधिकार की बात से बात नहीं बनेगी, अधिकार-दायित्व के बीच संतुलन कायम करना होगा।

अधिकार की मांग यदि स्त्री को छोटा बनाती है तो लड़कर, छीन-झपट कर अधिकार-प्राप्ति कलह के बीज बो, पारिवारिक-सामाजिक विघटन को राह देती है और यह स्थिति अंतत: नारी के विरुद्ध ही जाती है। समाज में उसका शोषण बढ़ जाता है। अत: अब तक की गई भूल को सुधार, यदि अधिकार-अर्जन की सोच विकसित की जाए तो पुरुष-सहयोग से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। यह इतिहास-सत्य है और आगे बढ़े सहयोगी हाथों को झटकना अच्छा नहीं होता, यह समाज-सत्य है।

नारी मुक्ति आंदोलन का इतिहास : मुख्य प्रस्थान बिंदु

- ***1611, अमरीका :*** *मैसाच्युसेट्स राज्य में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन 1780 में यह छीन लिया गया।*
- ***1788, फ्रांस :*** *फ्रांसीसी राजनीतिज्ञ कांडसेंट ने महिलाओं की शिक्षा, राजनीति और नौकरी की मांग की।*
- ***1840, अमरीका :*** *लुक्रीशिया ने 'ईक्वल राइट एसोसियेशन' की स्थापना करके नीग्रो और स्त्रियों के लिए समान अधिकारों की मांग की।*
- ***1857, अमरीका :*** *8 मार्च को न्यूयार्क के सिलाई-उद्योग और वस्त्र-उद्योग की महिला मजदूरों ने पुरुषों के समान वेतन की मांग करते हुए 10 घंटे के कार्य-दिवस के लिए हड़ताल की। इसी दिन को अब हर वर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के रूप में मनाते हैं।*
- ***1859, सोवियत संघ :*** *सेंट पीटर्सबर्ग में नारी-मुक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ।*
- ***1869, अमरीका :*** *राष्ट्रीय महिला-मताधिकार संगठन की स्थापना हुई।*
- ***1882, फ्रांस :*** *प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो के संरक्षण में महिला-अधिकार संगठन की स्थापना हुई।*
- ***1893, न्यूजीलैंड :*** *महिलाओं को मताधिकार मिला।*
- ***1904, अमरीका :*** *'इण्टर नेशनल वीमेन्स सफरेज एलायंस' (अंतर्राष्ट्रीय महिला-मताधिकार समिति) की स्थापना हुई।*
- ***1906, फिनलैंड :*** *महिलाओं को मताधिकार मिला।*
- ***1908, ब्रिटेन :*** *'वीमेंस फ्रीडम लीग' की स्थापना हुई। प्रदर्शन के सिलसिले में क्रिस्टाबेल, पैंकहर्सट और डूरूमांड को गिरफ्तार किया गया।*
- ***1911, जापान :*** *महिला मुक्ति-आंदोलन का सूत्रपात हुआ।*
- ***1912, चीन :*** *नानकिंग में कई महिला संगठनों की बहस हुई, जिसमें महिलाओं के मताधिकार की मांग की गई।*
- ***1913, नार्वे :*** *महिलाओं को मताधिकार मिला। आस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क में 'महिला-दिवस' मनाया गया।*
- ***1936, फ्रांस :*** *श्रीमती क्यूरी (नोबेल पुरस्कार विजेता) सहित तीन महिलाएं मंत्री बनीं। आम महिलाओं को मताधिकार मिला।*
- ***1945, इटली :*** *महिलाओं को मताधिकार मिला।*
- ***1951 :*** *अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन ने 'समान श्रम के लिए समान वेतन' नियम पास किया।*
- ***1952 :*** *संयुक्त राष्ट्रसंघ की महासभा ने भारी बहुमत से महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का नियम पास किया।*
- ***1957, ट्यूनीशिया :*** *स्त्री-पुरुष समानता का कानून बना।*
- ***1959, श्रीलंका :*** *श्रीमती सिरीमाओ भंडारनायके विश्व की 'प्रथम महिला प्रधानमंत्री' बनीं।*
- ***1968, ईरान :*** *पत्नी को पति की आज्ञा के बिना नौकरी का अधिकार मिला।*
- ***1975 :*** *'अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' मनाया गया जिसे आगामी महिला दशकों में परिवर्तित कर दिया गया।*
- ***1975, 1985, 1995 :*** *तीनों दशकों की समाप्ति पर क्रमश: कोपेनहेगन, नैरोबी और शंघाई में 'अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन' हुए।*

शोषण-मुक्ति के लिए नारी द्वारा स्वयं शोषण के लिए जाने-अनजाने प्रस्तुति पर कैसे रोक लगाई जाए यह भी महिला-संगठनों के लिए विचारणीय विषय है, क्योंकि स्वयं की संलग्नता के साथ न्याय की आशा व्यर्थ है। पश्चिम की 'फ्री सेक्स' की धारणा को जब पश्चिम में ही सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई तो भारतीय संस्कारिता-जन्य मानसिकता में उसकी आशा कैसे की जा सकती है? यूरोप में आए दिन बढ़ते अपराधों और यौन अपराधों की छूत भारत में भी पर्याप्त फैल चुकी है। यूं भी हमें समय रहते चेत जाना चाहिए कि जब वहां 'एड्स' के खतरे से 'फ्रायड थ्योरी' पर पुनर्विचार की बाध्यता आ खड़ी हुई है तो यहां क्या उसकी जड़ें जमने दी जाएं? हां, नकल में बहुत कुछ गंवाने के बाद, शायद यहां भी लौट अनिवार्य हो जाए! पर देखना होगा कि तब तक ज्यादा देर न हो जाए! पुरुषों की बात न कर, केवल महिलाओं और महिला-संगठनों को ही संबोधित करूं।

मैं और प्रश्न उठाऊं कि क्या बढ़ती 'फ्री सेक्स' चेतना और बढ़ती हत्याओं-आत्महत्याओं के साथ, बढ़ते यौन अपराधों और एड्स के खतरों का अधिक नुकसान किसे है? छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार और गांवों में निम्नवर्गीय महिलाओं पर सामूहिक बलात्कार की वारदातें किस ओर संकेत कर रही हैं? यदि तलाक-परित्याग के मामले बढ़ते हैं और परिवार विघटित होते हैं, तब भी किसकी अधिक हानि होती है—स्त्री की या पुरुष की? तब अपनी अस्मिता, अपनी सुरक्षा, अपने पारिवारिक संरक्षण और बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाना क्या उचित होगा? इसीलिए मैंने नारी-चेतना के साथ नारी-अस्मिता का स्वर भी मिलाने की बात की है ताकि नारी-मुक्ति-अभियान को सही दिशा मिल सके। तीन महिला दशकों में महिला-उत्थान के लिए बनी सरकारी, अर्द्ध-सरकारी और संस्थागत योजनाएं तभी सार्थक होंगी।

भारतीय महिलाओं ने एक लड़ाई जीत ली है। अभी तक शासन-प्रशासन, राजनीति, शिक्षण-प्रशिक्षण, समाज-कल्याण सेवाओं, कला, साहित्य, पत्रकारिता और फिल्म-निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग, वास्तु कला, और उद्योग व्यवसाय जैसे पुरुष अधिकार-क्षेत्र समझे जाने वाले हर क्षेत्र में आज भारतीय महिलाओं ने न केवल अपनी अच्छी पैठ बना ली है, बल्कि उन्होंने सफलता के मानदंड भी स्थापित किए हैं। महत्वपूर्ण प्रशासकीय पदों के अलावा, भारत में महिलाएं मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री भी बनीं और इस मामले में वे प्राय: उन्नत कहे जाने वाले देशों की महिलाओं से भी बाजी मार, उनके लिए ईर्ष्या का विषय रहीं। फिर हीनताजन्य नकल क्यों? अपने समाज से हमें उन गली-सड़ी रूढ़ियों को हटाना है, जो नारी के प्रगति-पथ पर बढ़ते पैरों में जंजीरें डाल, उनके लिए कदम-कदम पर बाधाएं खड़ी करती हैं, न कि अपनी उज्ज्वल परंपराओं को भी नकार, उनके पैरों में नई जंजीरें डाल लेनी है।

भारतीय महिलाओं का मुक्ति-अभियान कभी भी केवल अपने वर्ग के लिए संघर्ष का रूप नहीं ले सका। सामाजिक रूढ़ियों से लड़ाई हो या देश की आजादी के लिए, हमारी लड़ाई हमेशा साझी रही। नव-जागरण काल का और आजादी की लड़ाई का पूरा इतिहास साक्षी है। फिर अब तो स्थितियां महिलाओं के अधिक अनुकूल हैं, जिनका लाभ हर क्षेत्र में भागीदारी के रूप में लिया जा रहा है। देश के निर्माण और समाज के विकास में इस भागीदारी को बढ़ाने का लक्ष्य हमारे सामने है। तब वर्ग-संघर्ष में अपनी शक्तियों का अपव्यय करना क्या ठीक होगा? वह भी अपनी अस्मिता और सुरक्षा को खतरे में डाल कर?

स्त्री-निर्योग्यताओं को दूर करने के लिए आज हमारे पास संवैधानिक अधिकार हैं। मदद के लिए कानून और अदालतें हैं, संस्थाएं हैं। आवासीय सुरक्षा-सदन और कामकाजी महिला-होस्टल हैं। स्त्री की स्थिति को समझने और स्वीकारने के लिए विकसित वैज्ञानिक सोच है। घर के काम में मदद के लिए तकनीकी उपकरण हैं। यूं कहें कि बाहरी बाधाएं क्रमश: निरस्त होती चली गई हैं। फिर स्त्री-शोषण में वृद्धि के क्या मायने हैं? पर यह सच है कि विभिन्न कारणों से शोषण बढ़ा है। तो संवैधानिक अधिकारों को सामाजिक अधिकारों में बदलने की दूसरी लड़ाई अभी शेष है। उसे जीतने के लिए जरूरी है—प्रतिद्वंद्विता और टकराव की राह छोड़ कर, स्त्री-पुरुष के सहयोग की वह राह पकड़ने की, जिस राह पर चल कर हमने आजादी की लड़ाई जाती थी। आजादी के स्वर्ण जयंती वर्ष में यह संकल्प हमें सही दिशा दिखा सकता है। इसी सहभागिता की राह से सफलता सुनिश्चित होगी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, न इकतरफा कोई बात बनती है। आज नारी को पहले की तरह सर्वस्व त्याग नहीं, केवल अहं त्याग चाहिए। संघर्ष नहीं, सहयोग और सहभागिता चाहिए और चाहिए परस्पर सद्भाव। मां, बहन की गाली पर जान तक की बाजी लगा देने वाला भारतीय पुरुष, यदि उसके अहं को चोट न पहुंचाए, तभी स्त्री के सम्मान की रक्षा हो सकती है।

महिला-अधिकारों की प्राप्ति के लिए जिस दिन पहली बार महिलाओं ने संगठित हो अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन किया, उसी दिन को प्रतिवर्ष 'अंतर्राष्ट्रीय महिला-दिवस' के रूप में मनाया जाता है। 'बाल दिवस' की तरह 'महिला-दिवस' भी राष्ट्रीय संदर्भों में अलग-अलग तिथियों पर मनाए जाने की परंपरा है। जैसे भारत में 'राष्ट्रीय महिला दिवस' को आमतौर पर 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्म-दिवस के साथ जोड़ा गया है जबकि दक्षिण में कहीं-कहीं रानी चेनम्मा के जन्म-दिवस 23 अक्तूबर को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंतु अधिकतर महिलाएं 8 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से ही परिचित हैं, जिसका एक लंबा इतिहास है (बाक्स देखिए) और लगभग विश्व के सभी देशों में इसे मनाया जाता है।

आइए, हम इस दिवस को इस भावना के साथ मनाएं : सभी को मानवीय सिद्धांतों और शाश्वत मूल्यों के अनुसार सोचना तथा व्यवहार करना चाहिए। इन सिद्धांतों और मूल्यों में स्त्री-पुरुष का कोई भेदभाव नहीं हो। बढ़ती-फैलती हिंसा और हमारे सिरों पर मंडराता मृत्यु के खतरे का तनाव इतना अमंगलसूचक है कि हम अपने आस-पास बिखरी सुंदरता का आनंद नहीं ले सकते और भलाई का भी विश्वास नहीं कर सकते। ऐसे में, जब हर व्यक्ति भीड़ में अकेला पड़ गया है, स्त्री-पुरुष से उसके परस्पर विश्वास का सहारा न छीना जाए। भावी स्वस्थ, तनावरहित, भव्य और सुसंस्कृत समाज की कल्पना तभी की जा सकती है। ❑

भारतीय कला और संस्कृति की झलक के लिए
पढ़िए
प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित
ज्ञानवर्धक और रोचक पुस्तकें

● *अजंता का वैभव*	संपादन : ए. घोष	800.00
● *भारतीय कला और कलाकार*	ई. कुमारिल स्वामी	65.00
● *भारतीय हस्तशिल्प परंपरा*	कमला देवी चट्टोपाध्याय	25.00
● *भारतीय लघु चित्रकला संदर्शिका*	प्रमोद गणपत्ये	120.00
● *गढ़वाल चित्रकला*	मुकंदी लाल	175.00
● *भारतीय चित्रकला में संगीत तत्व*	राम कुमार विश्वकर्मा	325.00
● *रसिकप्रिया (आचार्य केशव दास)*		250.00
● *सचित्र रामचरित मानस कथा*	संकलन : रत्नाकर पांडे	125.00
● *भारत के बौद्ध तीर्थस्थल*	संघसेन सिंह व प्रियासेन सिंह	45.00
● *भारत के दुर्ग*	दीना नाथ दुबे	70.00
● *भारत के गुरुद्वारे*	गुरुबक्श सिंह	40.00
● *भारतीय संस्कृति की झांकी*	प्रभा चोपड़ा	58.00
● *भारतीय संस्कृति का मुसलमानों पर प्रभाव*	मोहम्मद उमर	200.00
● *दक्षिण भारत के मंदिर*		50.00
● *भारत की मस्जिदें*	जियाउद्दीन देसाई	30.00

विक्रय केन्द्र

प्रकाशन विभाग

- पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001
- सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001
- हाल नं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
- कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038
- 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069
- राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600009
- बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004
- प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम-695001
- 27/6, राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ-226019
- राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500001
- प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरा मंडल, बंगलौर-560034

पत्र सूचना कार्यालय

- सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.)
- 80, मालवीय नगर, भोपाल-462003
- के-21, नंद निकेतन, मालवीय मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर-302003

ग्रामीण महिलाओं की शिक्षा संबंधी समस्याएं और समाधान

स्वेता मिश्रा*

भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोपरि है। वे राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं। जब तक महिलाएं जागरूक नहीं होंगी तथा राष्ट्रीय विकास की धारा में अपनी सक्रिय भूमिका तथा भागीदारी नहीं निभाएंगी, तब तक राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। इसी संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, "यदि जनता में जागृति पैदा करनी है तो पहले महिलाओं में जागृति पैदा करो। एक बार जब वे आगे बढ़ती हैं तो एक परिवार आगे बढ़ता है, गांव तथा शहर आगे बढ़ता है, स्वयं सारा देश आगे बढ़ता है।" महिलाएं अपनी भूमिका के प्रति सचेत होने के बावजूद आज भी आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों से वंचित तथा उपेक्षित हैं। इसका मुख्य कारण है—महिलाओं का अशिक्षित होना। अत: अगर हम वास्तव में इन्हें विकास का केन्द्र-बिन्दु बनाना चाहते हैं तो इन्हें शिक्षित करना जरूरी है।

भारत में ग्रामीण बालिका जन्म से ही अलाभकारी मानी जाती रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रेदश तथा राजस्थान जैसे राज्यों में पितृसत्तात्मक परिवार में ग्रामीण बालिकाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा तथा संपूर्ण विकास के क्षेत्र में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस भेदभाव के बावजूद, इन परिवारों में ग्रामीण बालिकाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। घर के सारे काम-काज में माता-पिता को सहयोग देने तथा अपने छोटे भाई-बहनों की देख-भाल करने के बावजूद उसके गुणों को सराहा नहीं जाता, बल्कि उसे बोझ समझा जाता है। जल्द से जल्द उसकी शादी करने की सोची जाती है। उसके माता-पिता को हर वक्त यह डर रहता है कि जितने ज्यादा दिन तक वह उनके पास रहेगी, दहेज की मांग उतनी ज्यादा बढ़ेगी।

जहां तक उसकी शिक्षा का प्रश्न है, ऐसे परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा की जरूरत ही नहीं महसूस की जाती। उनका मानना है कि बालिका का जन्म घर की देख-रेख करने के लिए हुआ है और उसके लिए औपचारिक शिक्षा की जरूरत नहीं है। ये सब वे अभ्यास द्वारा सीख सकती हैं। अत: ग्रामीण इलाकों में बालिकाओं को शिक्षित करने का कोई सही प्रयास नहीं किया जाता।

महिलाओं के अशिक्षित रहने के कारण

1991 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 39 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं। 6-10 वर्ष की आयु में 39.30 प्रतिशत, 10-13 वर्ष की आयु में 46.60 प्रतिशत, 14-16 वर्ष में 28.97 प्रतिशत तथा 17-19 वर्ष में 12.36 प्रतिशत बालिकाएं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में जाती हैं। उपरोक्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि 10-13 वर्ष की आयु में सबसे ज्यादा बालिकाएं स्कूल जाती हैं। परंतु 14-16 वर्ष तथा 17-19 वर्ष की आयु में स्कूल जाने वाली बालिकाओं का प्रतिशत कम हो गया अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर ही बहुत-सी बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती हैं और कई परिवारों की बालिकाओं को तो प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है। इनके कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं :

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अशिक्षित होने का एक कारण है—गरीबी तथा माता-पिता का अशिक्षित होना। चूंकि लड़की के माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं हैं इसलिए वे अपनी लड़की को विद्यालय नहीं भेजना चाहते। साथ ही उनकी गरीबी भी आड़े आती है। उन्हें लगता है कि अगर हमारी लड़की घर पर रह कर अपने छोटे भाई-बहन की देख-रेख करती है तो माता-पिता दोनों खेतों में काम करके पैसा कमा सकते हैं जिससे उनके बच्चों का पेट भर सकेगा।

दूसरा प्रमुख कारण है—महिला अध्यापिकाओं की कमी। गांवों में ज्यादातर विद्यालयों में एक ही अध्यापक होता है और वह भी पुरुष। ग्रामीण क्षेत्रों के मौजूदा सामाजिक माहौल में, माता-पिता अपनी लड़की को ऐसे विद्यालय में भेजने से डरते हैं, जहां अध्यापक पुरुष हों और जहां अधिकतर विद्यार्थी लड़के हों।

तीसरा कारण है—विद्यालयों का दूर स्थित होना तथा शिक्षा संबंधी सुविधाओं की कमी। कई बार किसी गांव में एक भी विद्यालय नहीं होता और शिक्षा के लिए दूसरे गांवों में जाना पड़ता है। मां-बाप अपनी लड़कियों को दूसरे गांवों में पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहते। कई विद्यालयों में पीने का पानी, शौचालय तथा खेल का मैदान नहीं होता। साथ ही लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की सुविधा नहीं होती। इसके अलावा कई लड़कियों की बीच में ही पढ़ाई छूटने से महिला साथी की कमी हो जाती है, जिससे वे लड़कियां जो आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, वे भी विद्यालय नहीं जा सकतीं और उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। कुछ लड़कियां इसलिए भी नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि उनकी शादी छोटी उम्र में हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी के बाद लड़कियों का पढ़ना ठीक नहीं माना जाता। अत: शादी के बाद उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है।

* शोध छात्रा, राजनीति शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

साक्षरता दर बढ़ाने के प्रयास

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के अशिक्षित होने की अनेक बाधाओं के बावजूद भी केरल जैसे राज्यों में महिलाओं का साक्षरता स्तर उल्लेखनीय रहा है। विभिन्न राज्य सरकारों ने ग्रामीण महिलाओं के साक्षरता स्तर को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। 'नेशनल प्रोग्राम आफ न्यूट्रीशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन' जो 'दोपहर का भोजन योजना' के नाम से जाना जाता है, 1995 में शुरू किया गया। यह कार्यक्रम वर्तमान नामांकन, अवधारणा तथा उपस्थिति और साथ-साथ प्राथमिक विद्यालयों के पोषाहार स्तर की देख-भाल द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इस कार्यक्रम का मकसद हर विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम को लागू करने वाली संस्थाओं, जैसे पंचायत तथा नगरपालिका को इस कार्यक्रम के पहले दिन से दो साल के अंदर संस्थागत प्रबंध का विकास करना है ताकि पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके। अंतरिम काल के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी को हर महीने तीन किलो की दर से अनाज दिया जा रहा है, बशर्ते कि उसकी उपस्थिति कम-से-कम 80 प्रतिशत हो। 1995-96 के दौरान, इस कार्यक्रम को बढ़ाया गया ताकि प्राथमिक स्तर के 5.57 करोड़ विद्यार्थियों को शामिल किया जा सके। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 'दोपहर का भोजन योजना' को सभी राज्यों में लागू करना है ताकि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सके।

चूंकि लड़की के माता-पिता पढ़े-लिखे नहीं हैं इसलिए वे अपनी लड़की को विद्यालय नहीं भेजना चाहते। साथ ही उनकी गरीबी भी आड़े आती है। उन्हें लगता है कि अगर हमारी लड़की घर पर रहकर अपने छोटे भाई-बहन की देख-रेख करती है तो माता-पिता दोनों खेतों में काम करके पैसा कमा सकते हैं जिससे उनके बच्चों का पेट भर सकेगा।

महिला समाख्या एक केन्द्रीय योजना है जो अप्रैल 1989 में शुरू हुई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को महिला संघ के द्वारा शिक्षा के लिए तैयार करना है। केन्द्र द्वारा वित्तीय सहयोग दिया जाता है। महिला संघों में महिलाओं को स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी तथा विकास कार्यक्रमों जैसे मुद्दों पर जागरूक बनाया जाता है।

यूनीसेफ की सहायता से 1991 में बिहार शिक्षा परियोजना शुरू की गई। इसका मुख्य लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को व्यापक बनाना तथा राज्य में शिक्षा के स्तर में सुधार लाना था। परियोजना का विशेष बल समाज के कमजोर वर्गों, जैसे पिछड़ी जाति तथा महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने पर है। इस परियोजना का प्रबंधन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां हैं : एक शक्तिशाली महिला समाख्या अंग की स्थापना, ग्रामीण शिक्षा समितियों का गठन तथा कार्यक्रम को स्थानीय स्तर पर लागू करने में सामुदायिक भागीदारी और अनौपचारिक शिक्षा को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बढ़ावा देना।

राजस्थान सरकार 'वर्ष 2000 तक सबके लिए शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। इस दिशा में लोक जुम्बिश (जन-आंदोलन) शिक्षाकर्मी योजना के प्रयास विशेष उल्लेखनीय हैं। लोक जुम्बिश स्वीडन तथा भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण है, यानी ऐसा कार्यक्रम चलाना जिसमें 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालक, बालिकाएं संतोषप्रद स्तर की प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करें। राजस्थान की प्राथमिक शालाओं में कार्यरत शिक्षक ही लोक-जुम्बिश का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

1987 में राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण है। राजस्थान के पिछड़े तथा दूरस्थ इलाकों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में शिक्षाकर्मी परियोजना द्वारा 900 गांवों के प्रतिभावान नवयुवकों के असाधारण प्रयासों से लगभग एक लाख छात्र तथा छात्राओं को दिन तथा रात्रि के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इस परियोजना के 11 गांवों में शत-प्रतिशत नामांकन की उपलब्धि उल्लेखनीय है। राजस्थान में संपूर्ण साक्षरता अभियान प्रारंभ किया गया है जिसमें अजमेर को प्रथम साक्षर जिला और डूंगरपुर को जनजाति क्षेत्र का प्रथम साक्षर जिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। ग्रामीण महिलाओं को एक-दूसरे से सीखने का मौका देने के लिए 'महिला मंडल योजना' सरकार ने शुरू की है। सरकार एक रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति करती है जो ग्रामीण महिलाओं को शिशु-पालन, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कानून की शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी देती है। महिलाओं को कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण देने के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लागू किया है।

विकास बाड़ी परियोजना मुख्यत: महाराष्ट्र के जनजाति बच्चों के लिए शुरू की गई। यह परियोजना कोसबाद में चलाई जा रही है। इसके मुख्य अंग हैं—शिशु सदन, बालवाड़ी, प्राथमिक विद्यालय, बच्चों के लिए उत्पादक काम केन्द्र तथा एक चरवाहा विद्यालय। इस परियोजना का लक्ष्य बीच में पढ़ाई छोड़ने के प्रभाव को कम करना तथा जनजातीय बच्चों का संपूर्ण विकास करना है। हाजिरी में सुधार लाने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया है, जिसमें शिक्षा के दौरान काम करके पैसा कमाने का मौका दिया जाता है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक और कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आठ राज्यों में शुरू किया गया। ये राज्य हैं—असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तथा उड़ीसा।

इन कार्यक्रमों के बावजूद ज्यादातर ग्रामीण बालिकायें अशिक्षित हैं। इन कार्यक्रमों से यह फायदा हुआ है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बच्चों के दाखिले में वृद्धि हुई है। इसके अलावा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में गिरावट आई है। राजस्थान में लोक जुम्बिश योजना के अंतर्गत काफी बालिकाओं को शिक्षित किया गया है और वे भली-भांति आंगनवाड़ी से जुड़ी हुई हैं। केरल में 86 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि बहुत कम है और स्वास्थ्य में सुधार

आया है जो मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर की गिरावट में झलकता है। दूसरी तरफ बिहार में 61 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं। गरीबी तथा बीमारी बच्चों को समाज-विरोधी कार्यों की तरफ घसीटती है। अत: प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक लंबा सफर तय करना है।

सुझाव

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं :

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि हम ऐसा वातावरण बनाए जिसमें ग्रामीण माता-पिता अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजने में कोई संकोच न करें। निवास-स्थान के पास विद्यालयों की स्थापना अर्थात हर गांव में एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए। ऐसा करने से बालिकाओं को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और इससे माता-पिता को भी परेशानी नहीं होगी कि उनकी लड़की दूसरे गांव में पढ़ने जाती है। इसके अलावा ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जो सिर्फ लड़कियों के लिए हो।

ग्रामीण क्षेत्रों के मौजूदा यातायात के साधन को मजबूत बनाना होगा तथा उसे दूर-दराज के इलाकों से जोड़ना होगा ताकि बड़ी कक्षा की लड़कियों को विद्यालय जाने में कोई परेशानी न हो।

विद्यालय के समय को लचीला बनाना चाहिए। खेती के मौसम में पूरा परिवार खेतों में काम करता है जिसकी वजह से लड़कियां विद्यालय नहीं जा पातीं। अत: अगर विद्यालयों के समय में परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर में वृद्धि तथा दाखिले की दर में गिरावट आती रहेगी। अगर विद्यालयों में पढ़ाई के कार्यक्रम को लचीला बनाया जाता है तो उपरोक्त समस्या का समाधान हो जाएगा।

विद्यालय में प्रोत्साहन योजनाएं, जैसे नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें एवं शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, दोपहर का भोजन तथा हाजरी छात्रवृत्ति इत्यादि को बढ़ावा देना होगा। कई माता-पिता अपनी लड़कियों पर पैसा खर्च नहीं कर सकते। अगर उपरोक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी तो लड़की के माता-पिता उसे जरूर विद्यालय भेजेंगे क्योंकि एक भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। राजस्थान में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर महिला अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अगर विद्यालय में महिला अध्यापकों की नियुक्ति होती है तो माता-पिता बेझिझक अपनी लड़कियों को विद्यालय भेज सकते हैं। महिला अध्यापकों की वजह से उनके मन से यह डर समाप्त हो जाएगा कि उनकी लड़की पर कोई आंच आएगी।

रात्रि पाठशालाओं में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें कुछ मूलभूत परिवर्तनों की जरूरत है। जैसे इन पाठशालाओं में दी जाने वाली शिक्षा का पाठ्यक्रम इस तरह का तैयार किया जाए कि यह प्राथमिक विद्यालयों में दी जाने वाली दैनिक शिक्षा के समान हो, जिससे इन पाठशालाओं में शिक्षा पाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने बच्चे की प्राथमिक शिक्षा संबंधी जरूरतों को घर में पूरा कर सकें।

चरवाहा विद्यालय के समकक्ष ऐसे बालिका विद्यालयों की स्थापना की जाए ताकि कृषि कार्यों अथवा श्रम मजदूरी में संलग्न बालिकाओं को कार्य करने के स्थान पर ही शिक्षित किया जा सके।

पाठ्य-पुस्तकों में स्थानीय घटनाओं, खासकर जो लड़कियों अथवा महिलाओं से संबंधित हों, को केन्द्र-बिन्दु बनाना चाहिए। इससे बालिकाओं की पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी।

न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं, जैसे—पीने का स्वच्छ पानी, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, खेल का मैदान तथा मन बहलाव के साधन की व्यवस्था हो।

इनके अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने तथा लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया जाए, जैसा हरियाणा में बनाया गया है। इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा प्रणाली को जरूरत से ज्यादा आकर्षक बनाया जाए। लड़कियां न सिर्फ दाखिला लें बल्कि विद्यालयों में अपनी पढ़ाई को जारी भी रखें। इस संदर्भ में न्यायपालिका ने एक निर्णय में शिक्षा को मौलिक अधिकार बताया है। कहा गया है कि भारत के प्रत्येक बच्चे/नागरिक को यह अधिकार है कि वह 14 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन लाने की पहल की है। प्रस्तावित संशोधन, जो प्राथमिक शिक्षा सबको उपलब्ध कराने की बात करता है, एक स्वागत-योग्य कदम है। इस संशोधन के अनुसार शिक्षा हर नागरिक का मौलिक अधिकार तथा माता-पिता का मौलिक कर्तव्य बनाया जाए। इसके अंतर्गत राज्य के मौलिक दायित्व को भी शामिल किया जाए ताकि आवश्यक मूल संरचना प्रदान की जाए और निश्चित समय के अंदर प्राथमिक शिक्षा दी जाए।

निष्कर्ष

अब जबकि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में एक-तिहाई आरक्षण दिया गया है, महिलाओं का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर वे शिक्षित नहीं होंगी तो पंचायत के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाएंगी क्योंकि अशिक्षित होने की वजह से उनके परिवार के पुरुष उनके जरिए अपने काम करवा लेंगे। अत: यह बहुत जरूरी है कि हम ग्रामीण महिलाओं को साक्षर बनाएं। हमें सबसे पहले महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करनी होगी। इसके लिए हम गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा तो हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन गांव की प्रत्येक महिला शिक्षित होगी और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। ❑

ग्रामीण महिलाओं में अशिक्षा : एक अभिशाप

वेद प्रकाश अरोड़ा

अनंत काल से दुर्गा और काली की प्रतिमाओं की प्राण-प्रतिष्ठा कर इष्ट देवियों की पूजा की जाती रही है, लेकिन जिन जीती-जागती महिलाओं की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर की संतानों ने की है, उन्हें कुछ अपवादों को छोड़, वह सम्मान और दर्जा नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। बहरहाल कालांतर में इष्ट देवियों की पूजा-आराधना को प्रमुखता देने के साथ-साथ नारी कल्याण की भी बात की जाने लगी। फिर उनके विकास की चर्चा होने लगी और अब उन्हें सत्ता में भागीदार बनाने के आंदोलन चल पड़े हैं। लेकिन इन निरंतर ऊपर चढ़ते सोच-सोपानों के बावजूद भंग हुई ग्यारहवीं लोकसभा में 40 से भी कम महिला प्रतिनिधि थीं, जबकि बाहर लगभग 50 करोड़ की विशाल मातृ-शक्ति मौजूद थी। इस विसंगति को दूर करने का सबसे सशक्त और सबल साधन महिला-शिक्षा का प्रसार है। शहरों में महिलाओं में शिक्षा का प्रतिशत भले ही अधिक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में अशिक्षा, आज भी देश की दुखती रग बनी हुई है। आठ पंचवर्षीय योजनाओं और प्रारंभिक शिक्षा को संविधान में बुनियादी अधिकार बनाने की घोषणा के बावजूद ग्रामीण महिला-जगत का विशाल अंश आज भी काला अक्षर भैंस बराबर है। ग्रामीण महिलाएं या तो अज्ञान के घुप अंधेरे में दिशाहीन-सी भटकती रहती हैं या फिर गहरी जड़ें जमाए हुए अंधविश्वासों के मकड़जाल में फंसी रहती हैं। रूढ़िवादिता में आकंठ डूबे रहने के कारण उन पर जादू-टोनों का जो भूत सवार रहता है, वह अलग। यह सब इस तथ्य के बावजूद है कि महिलाओं में ऊर्जा, उत्साह और कर्मठता की कमी नहीं है, वे आज जीवन के हर क्षेत्र में नए-नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। उनमें कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और काम करने की बेपनाह ताकत मौजूद है। शहर क्या और गांव क्या, सभी जगह उनकी कार्यक्षमता का वारपार नहीं। वे घर के हर काम को तो तन्मयता से करती ही हैं, खेत-खलिहानों में भी घंटों काम में जुटी रहती हैं। कुछ कमी है तो अवसरों की तथा सही सोच और सही दिशा की। अगर गांवों के घर-घर में शिक्षा की जोत जल जाए और उस आलोक का लाभ महिलाओं को भी मिलने लग जाए, तो उनकी सोच और समझ, दशा और दिशा में सही परिवर्तन आने लगेगा।

गांवों में गरीबी की कोई सीमा नहीं है। चिथड़ों में लिपटे मरियल-सी खाट पर पड़े या धूल चाटते लड़के-लड़कियां कंगाली की बोलती तसवीरें होती हैं। इसका भी मुख्य कारण शिक्षा का अभाव है। घर में अगर एक महिला पढ़-लिख जाए तो सारे घर की काया पलट जाती है। लेकिन शिक्षा के अभाव में महिलाओं के विचार जड़ बने रहते हैं। लकीर की फकीर बने रहने से घर और बाहर के कामों में नयापन और चिंतन में बदलाव कैसे आएगा? भारत की अंतरिक्ष इंजीनियर तथा यात्री, कल्पना चावला की तरह कुछ अनूठा कर दिखाने की ललक कैसे पैदा होगी? शिक्षा से ही ग्रामीण महिलाओं में जागृति आएगी, उनकी सोई शक्ति जगेगी, पिछड़ापन दूर होगा और जिंदगी का ठहराव दूर होगा। तभी उनकी तंगी, बदहाली और दुर्दिन समाप्त होंगे।

ग्रामीण महिलाओं में अशिक्षा के अनेक कारण हैं। परिवार परिसीमन के अभाव में जब बच्चों पर बच्चे जन्मते चले जाते हैं तो प्रश्न उठता है कि घर का खर्च कैसे चलाया जाए। स्कूल भेजना है तो किसे दाखिल कराया जाए। लड़के अथवा लड़की में से चुनाव का विकल्प उपस्थित होने पर लड़के को प्राथमिकता दी जाती है। लड़की को तो वे पिछले जन्म का पाप मानते हैं। उसके जन्म लेने पर घर पर एक गाज-सी गिर जाती है। बेटे-बेटी में इतना फर्क किया जाता है कि कहीं-कहीं बेटी को भरपेट खाना भी नहीं मिलता, उससे मां का दूध भी जल्दी छुड़वा लिया जाता है। कंगाली के कारण ही अभिभावक चंद रूपहले टुकड़ों के बदले, अपने जिगर के टुकड़ों को संदेहास्पद चरित्र वाले राक्षसों के हाथ बेचने में संकोच नहीं करते। सब्जी मंडी की तरह लड़कियों की खरीद के लिए बोलियां लगती हैं। उन्हें पांच हजार से पंद्रह हजार रुपयों के बीच सौदा तय होने पर बेच दिया जाता है। बोली लगाने वाला चाहे लड़की के अभिभावकों से भी आयु में बड़ा हो, तो भी इस बेमेल मिलन के लिए लड़कियों को इस तरह जुदा कर दिया जाता है, जैसे पेड़ से कटी टहनी। खाड़ी देशों से कुछ धनाढ्य मुसलमान बड़े-बुजुर्गों के यहां की कमसिन लड़कियों को अपनी पत्नी, रखेल या लौंडी बनाकर ले जाने के किस्से किसी से छिपे नहीं हैं। शिक्षा के अभाव में कई गरीब घरानों की लड़कियों के नन्हे हाथों में पुस्तकों और खिलौनों की जगह भीख के कटोरे थमा दिए जाते हैं या फिर कूड़े-कचरे के ढेर से कोयला, लिफाफे और कागज चुनने के लिए झोले थमा दिए जाते हैं। पति के साथ पत्नी के जल मरने या सती प्रथा के पीछे भी यह भावना रहती है कि अब विधवा का क्या बनेगा, क्या उसे आखिरी सांस एक दर-दर की ठोकरें नहीं सहनी पड़ेगी? शिक्षा के अभाव की भरपाई के लिए ही माता-पिता दहेज में सब कुछ लुटा बैठते हैं। फिर भी दूल्हे के तेवर तने रहते हैं। गरीबी और अशिक्षा के कारण ही जवान लड़कियों की शादी नहीं हो पाती। वे गलत हाथों पड़ कर वैश्याओं के बाजार में बेच दी जाती हैं। इस घोर गरीबी में शिक्षा देने की बात किसे कैसे सूझ सकती है।

भूख के कारण ही कच्ची उम्र के बालक-बालिकाओं को घरों में खाना पकाने या सफाई के कामों में या फिर चाय की दुकानों, होटलों, खेत-

खलिहानों, कल-कारखानों में बाल मजदूरों के रूप में लगा दिया जाता है। अक्सर महिलाओं से मकान बनाने के लिए बेलदारी कराई जाती है और मर्दाना काम लेने में कोई झिझक नहीं दिखाई जाती। उच्चतम न्यायालय के पिछले वर्ष 13 अगस्त को 12 दिशा-निर्देशों के बावजूद कार्यस्थलों पर महिलाएं अक्सर यौन शोषण, उत्पीड़न अथवा बलात्कार का शिकार हो जाती हैं। महिला सबला न बन कर, अबला बन जाती है। परिणामस्वरूप गरीबी की इन विकट परिस्थितियों में शिक्षा एक कोरा सपना बन कर रह जाता है।

ग्रामीण महिलाओं में अशिक्षा का एक अन्य कारण यह पारंपरिक संस्कार है कि लड़कियों का असली कार्यक्षेत्र घर और घर की चार-दीवारी है तथा उनका असली व्यवसाय चूल्हे-चौके और सीने-पिरोने में प्रवीणता प्राप्त करना है। यही कारण है कि देश के कई भागों में प्राथमिक स्कूलों में शत-प्रतिशत बच्चे अपना नाम दर्ज तो कराते हैं, लेकिन बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या का प्रतिशत, पहले से घट जाने के बावजूद अब भी काफी अधिक है। एक-तिहाई बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इनमें भी बालिकाओं में शिक्षा की दशा सबसे खराब है। इस समय महिला साक्षरता दर केवल 39 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं में लड़कों की तुलना में लड़कियां कम प्रवेश लेती हैं और साथ ही बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से कहीं अधिक रहती है। इनमें भी अनुसूचित जाति की 75 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन-जाति की 60 प्रतिशत लड़कियां होती हैं। सच तो यह है कि जात-पात भी महिलाओं की शिक्षा के प्रसार में एक बड़ी रुकावट है। छोटी जाति वाले सोचते हैं कि पढ़ना हमारे नसीब में नहीं है। हमारी नियति पढ़ाई के लिए बनी ही नहीं है। इस तरह उनका जीवन आद्योपांत पिछड़ेपन की एक दर्दनाक गाथा बन कर रह जाता है। असल में समूचे ग्रामीण संसार में यह भावना अधिक व्याप्त है कि लड़कियां पढ़-लिख कर क्या करेंगी। देर-सबेर उनका विवाह कर देना है। आज वे पीहर में हैं, तो कल ससुराल में होंगी। लड़कियां तो इस डार से उस डार पर, डेरा डाल देने वाली चिड़ियां होती हैं। उनके लिए पढ़ाई पर खर्च करना धन का अपव्यय करना है। अगर धन खर्च करना ही है तो क्यों न अधिक दहेज देकर नाक ऊंची की जाए तथा समाज में आदर-सत्कार का भागीदार बना जाए। रोजगार के अवसरों में कमी भी ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा की राह का एक बड़ा अवरोध है। अभिभावक सोचते हैं कि जब लड़के ही रोजगार के दफ्तरों पर दस्तक देते-देते थक जाते हैं, तो लड़कियों को पढ़ा-लिखा कर क्या करेंगे। फिर लड़की के घर की दहलीज के बाहर निकलने पर और उस पर अंकुश न रहने पर वह कभी भी बड़े बुजर्गों की नाक कटवा सकती है। वैसे भी लड़कियों को पढ़ाना पुरानी लीक और रीति-रिवाजों के खिलाफ माना जाता है। गांवों में कहीं-कहीं लड़कियों को दाखिल ही नहीं कराया जाता और कहीं-कहीं स्कूलों में प्रवेश दिलाने के बाद बीच में ही पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। पढ़ाई छुड़वाने के भी गरीबी के अलावा अन्य छोटे-बड़े अनेक कारण होते हैं जैसे—स्कूली इमारतों का न होना या फिर उनके रख-रखाव की ओर समुचित ध्यान न देना। कई स्थानों पर स्कूल तो होते हैं और उनके भवन भी होते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्डों, टाट-पट्टी और मेजों आदि का अभाव रहता है। कहीं शिक्षक ही नहीं होते। गांवों में तो यहां तक देखा गया है कि शिक्षक बच्चों से अपने निजी काम अधिक कराते हैं और शिक्षा कम देते हैं। इन असुविधाओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण विद्यार्थी, विशेष रूप से लड़कियां, निरुत्साहित होकर घरों में रहना या घर के काम-काज करना अधिक श्रेयस्कर समझती हैं।

इस सारी सोच और प्रतिगामी प्रवृत्तियों को रोकने या निरुत्साहित कर देने वाली परिस्थितियों का निराकरण करने के लिए ही शिक्षा-मंत्रियों के कई सम्मेलन हो चुके हैं। ऐसा ही एक सम्मेलन अप्रैल 1995 में हुआ था। उसमें प्राथमिक स्कूलों में सभी विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन देने का कार्यक्रम क्रमिक रूप से बढ़ाने का निश्चय किया गया। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना, विद्यालयों में प्रवेश तथा उपस्थिति को प्रोत्साहित करना, पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देने की आदत समाप्त करना, बच्चों के उचित पोषण से उनका स्वास्थ्य सुधारना तथा सबसे बढ़कर गरीबी अभिभावकों को बच्चों के खाने की चिंता और खर्च के भार से मुक्त करना तथा उन्हें बच्चों को विद्यालयों में भेजते रहने के लिए प्रेरित करना है। सम्मेलन के निर्णय के अनुसार यह राष्ट्रव्यापी योजना 15 अगस्त 1995 से लागू की जा चुकी है। सरकारी सहायता से चलने वाले सभी स्थानीय स्कूल तीन वर्ष में इस योजना की परिधि में आ जाएंगे। इससे देश के लगभग 11 करोड़ लड़के-लड़कियों को लाभ होगा। गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु के प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन इस योजना के तहत पहले से ही दिया जा रहा था। यह व्यवस्था काफी लोकप्रिय प्रमाणित हुई है और ग्रामीण विद्यालयों में उपस्थिति निरंतर बढ़ती जा रही है। बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या भी घट रही है।

शिक्षा के आरंभिक चरण में ही अधिक गतिशीलता लाने के लिए अब राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा मिशन की शुरुआत की गई है। विशेष रूप से लड़कियों को अधिक से अधिक संख्या में विद्यालयों में भेजने के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया गया है। अभी ये कार्यक्रम ग्यारह राज्यों के 52 जिलों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए ऐसे जिले चुने गए हैं, जहां महिला साक्षरता दर अखिल भारतीय महिला साक्षरता दर से कम है। एक अन्य व्यापक कार्यक्रम, दूरस्थ प्राथमिकता शिक्षा कार्यक्रम भी कम साक्षरता वाले जिलों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विद्यालयों में प्रवेश देने और पढ़ाई जारी रखने में न तो सामाजिक ऊंच-नीच का और न महिला-पुरुष के बीच अंतर को कोई स्थान दिया गया है। यह कहना अत्युक्तिपूर्ण नहीं होगा कि इस समय पूरा शिक्षा तंत्र महिलाओं को अधिक से अधिक शिक्षा और अधिकार दिलाने पर अपने प्रयत्न केन्द्रित किए हुए है क्योंकि अगर मां शिक्षित हो तो पूरे घर की धुरी होने के नाते सारा परिवार शिक्षित हो जाता है। असल में सरकार ने महिला शिक्षा को सदा सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है। जहां औपचारिक-अनौपचारिक शिक्षा के लिए लड़कियों का दाखिला सुगम बना दिया गया है, वहां ब्लैक-बोर्ड योजना में शिक्षकों की भर्ती करते समय कम-से-कम 50 प्रतिशत महिलाओं की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत लड़कियों के शिक्षा केन्द्रों को

50 प्रतिशत सहायता-राशि देने की व्यवस्था है। जहां तक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का संबंध है, उनमें बालिकाओं के लिए छात्रावास और भोजन की व्यवस्था की जाती है। केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा के लिए लड़कियों से कोई फीस नहीं ली जाती। अगर किन्हीं कारणों से किसी लड़की को दसवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़े, तो उसे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए अपने पांव पर खड़ा होने में मदद दी जाती है। महिलाओं को नई प्रौद्योगिकियों की जानकारी भी दी जाती है। विशेषकर कम महिला-साक्षरता वाले जिलों में लड़कियों के लिए अलग से स्कूल खोलने की 'कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना' के लिए 1997-98 के वित्त वर्ष के बजट में ढाई अरब रुपये का प्रावधान किया गया है।

सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी कार्यक्रम आरंभ किए हैं, उनमें प्राथमिक शिक्षा और इसमें भी महिलाओं की प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। स्त्री गृहस्थाश्रम की धुरी है। अगर शिक्षा के जरिये यह धुरी सुदृढ़ हो जाए तो मां, पुत्री, बहन और बेटी—इन चारों रूप में वह संवर कर न सिर्फ अपने घर को, पड़ोस को बल्कि सारे समाज को सुधार-निखार देगी। महिलाओं की अपार शक्ति को एक रचनात्मक और ठोस दिशा मिल जाएगी तथा देश के सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। महिला साक्षरता और शिक्षा प्रसार से एक तरफ परिवार परिसीमन और जनसंख्या नियंत्रण के साधन अपनाने की मानसिकता को बल मिला है, तो दूसरी तरफ जीवित बच्चों के सुचारू पालन-पोषण के लिए और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए रोगरोधी टीके लगवाने तथा पोलियो की खुराक पिलाने आदि के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। शिक्षा से उत्पन्न जागरूकता के कारण बाल-मृत्यु की प्रतिशत दर में भी कमी हुई है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा के विस्तार से आर्थिक सुधारों को गति मिलेगी। यह एक जाना-माना तथ्य है कि जिन राज्यों में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है, वहां अन्य राज्यों की तुलना में आर्थिक विकास में अधिक गति आई है। उदाहरण के लिए पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और केरल में साक्षरता दर के साथ-साथ विकास दर भी अधिक है। इसके विपरीत असम, उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में साक्षरता दर कम रहने के कारण विकास दर भी कम है। साक्षरता से सोच में बहुआयामिता और परिपक्वता तथा नजरिए में संतुलन आने से हर क्षेत्र में सधे और मजबूत कदम उठाए जाते हैं। घरों और खेतों के छोटे-छोटे कामों में विज्ञान-टेक्नालोजी और आधुनिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ने से जहां महिलाओं को काम में नीरसता और बोरियत से छुटकारा मिलेगा, वहां व्यय और थकान भी कम होगी तथा समय भी बचेगा। इस फालतू समय का उपयोग परिवार में लड़कियों को पढ़ाने और जीवन-क्षेत्र में अधिक विवेक और व्यावहारिकता से काम करने की प्रेरणा देने में किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें स्वयं को और परिवार के अन्य सदस्यों को तैयार करना होगा। इस कला में इलैक्ट्रानिक मीडिया का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। जो हो, बालिकाओं और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाली बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित कर मजबूत नींव डालनी होगी। इस पहली सीढ़ी पर मजबूत कदम रखने पर ही नई बुलंदियों को पार किया जा सकेगा।

स्वाधीनता के स्वर्ण जयंती वर्ष में सरकार ने छह से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को बुनियादी अधिकारों में सम्मिलित करने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इसके लिए संविधान में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। सभी को प्राथमिक शिक्षा दिए जाने को 1950 से राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकारा जा चुका है। शहरों और गांवों में छह से चौदह वर्ष तक के प्रत्येक लड़के-लड़की को प्रारंभिक शिक्षा दिलाए जाने को, प्रत्येक अभिभावक के लिए मूलभूत कर्तव्य बनाने के लिए भी संविधान में प्रावधान किया जाएगा। निस्संदेह प्राथमिक शिक्षा के मूलभूत अधिकार को कानून का रूप देने का दूरगामी प्रभाव होगा—इसलिए सरकार ने इस प्रस्ताव के वित्तीय, प्रशासनिक, कानूनी और शैक्षिक पहलुओं पर विचार के लिए राज्य शिक्षा मंत्रियों की एक समिति बनाई है। मानव संसाधन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई स्थानों के आरक्षण के बाद पंचायतों के पंचों, सरपंचों और जिला प्रधानों के रूप में लाखों नारियां निर्वाचित हुई हैं। अब उनके सामने अपनी योग्यता तथा सामर्थ्य दिखाने के भरपूर अवसर पैदा हो गए हैं। यह उनके लिए एक जबरदस्त चुनौती भी है। इस चुनौती का बखूबी जवाब तभी दिया जा सकता है तथा नए-नए अवसरों का लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब महिलाएं साक्षर हों। लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विधेयक संसद में पेश और पारित होने पर उच्चतम स्तर पर महिलाएं अधिकार और सत्ता-संपन्न हो जाएंगी। साक्षरता और सत्ता का यह समन्वय सोने पर सुहागे का काम करेगा। इस मणि-कांचन सम्मिश्रण को शिक्षित ग्रामीण महिलाएं, अपने सहज, निर्मल स्वभाव, धवल चरित्र और सात्विक गुणों से सारे राष्ट्र के सामने एक आदर्श के रूप में तथा सत्ता के सही सुख भोग की बेदाग छवि के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगी। ❑

पंचायती राज पर विशेषांक

कुरुक्षेत्र का आगामी अंक पंचायती राज पर विशेषांक होगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के पांच वर्ष पूरे होने के अवसर पर निकाले जा रहे इस अंक में जाने-माने विद्वानों, अर्थशास्त्रियों और विषय के विशेषज्ञों के लेख शामिल किए जा रहे हैं।

60-72 पृष्ठों के इस अंक का मूल्य होगा मात्र सात रुपये।

आप अभी से अपनी प्रति सुरक्षित करा लें अथवा निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें : सहायक व्यापार व्यवस्थापक (सर्कुलेशन), प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक-4, लेवल-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110 066।

ग्रामीण स्त्रियों की प्रगति के अनगढ़ रास्ते

जितेन्द्र गुप्त

तीन-चौथाई आबादी को आश्रय देने और पूरे देश के लिए भोज्य पदार्थ जुटाने वाले ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक और राजनैतिक शक्ति-केन्द्रों के सूत्रधार नहीं हैं। गांवों को श्रीहीन बनाने वाले अंग्रेज 1947 में चले तो गए, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधुनिक उद्योगों और खेती तथा शहर और गांव के बीच दुराव और अलगाव की जो प्रवृत्ति अपने पांव पसारती जा रही थी, उसकी चपेट में भारत भी आ गया। हम कहते तो रहे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है लेकिन व्यवहार में यह स्वर दब गया। भूमि सुधार अधूरे ही रह गए।

गांव, खेती तथा आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की तरक्की के लिए योजनाएं बनती हैं जिन पर सरकारी कारकुन अमल कराते हैं। भाव यही रहता है कि पिछड़े, गरीब और कमजोर लोगों को ऊपर उठाना है। यह प्रवृत्ति ग्रामवासियों के आत्म-सम्मान को पुष्ट नहीं करती। विकास योजनाओं में उनकी सार्थक साझेदारी नहीं हो पाती, पर निर्भरता बढ़ती है। मूलत: इसीलिए विकास योजनाओं का अपेक्षित प्रभाव नहीं हुआ, हालांकि अन्य सामाजिक और आर्थिक कारण भी इसके लिए जिम्मेदार हैं।

ऐसी परिस्थितियों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की प्रगति की रफ्तार धीमी ही रहेगी। उनके मार्ग में एक और बड़ी बाधा है। वह है—पुरुष-प्रधान समाज की मान्यताएं जो देश के पतनोन्मुख काल में विकसित हुईं और अपने विकृत रूप में रूढ़ हो गईं। जात-पांत स्वस्थ बदलाव के मार्ग में बाधक बनता रहा है।

जब स्त्रियों को शहरों में बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाया है तो गांव में यह कहां संभव है, हालांकि ग्रामीण स्त्रियां पुरुषों से कम काम नहीं करतीं। बच्चों का लालन-पालन और रसोई का काम करने के अलावा साधारण ग्रामीण घरों की औरतें खेत-खलिहानों में खटती हैं, पीने के पानी और ईंधन के जुगाड़ की जिम्मेदारी भी उनकी होती है, खासकर जब इन्हें दूर से लाना हो, जैसा कि अनेक इलाकों में होता है।

खेती की उन्नति, ग्राम विकास की योजनाएं, वंचित वर्गों के लिए आरक्षण तथा विशेष कार्यक्रम बनाए और लागू किए जाते रहे हैं। काफी धनराशि खर्च हुई है और काफी काम भी हुआ है। लेकिन देश का भौगोलिक विस्तार कम नहीं है और आबादी भी बढ़ती जा रही है। बदलाव आया है, स्त्रियों की दशा में भी सुधार आया है—कहीं अधिक, कहीं कम और कहीं नहीं के बराबर। उनमें चेतना और जागरूकता भी बढ़ी है पर बहुत कम स्थानों पर वह परिवर्तन लाने की शक्ति में तबदील हो सकी है।

केन्द्रीय शिक्षा (मानव संसाधन विकास) मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय—तमाम योजनाएं चला रहे हैं जिनमें स्त्रियों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय ने स्वीकार करते हुए कि 'राष्ट्र के समग्र विकास और समृद्धि में गति लाने के लिए ग्रामीण भारत में महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु अवसर पैदा करना बहुत जरूरी है, जो हमारी जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा हैं' और वे 'परिवार तथा समाज के विकास में अहम् भूमिका निभाती हैं'—सभी कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए विशेष घटकों की व्यवस्था की है।

समन्वित विकास कार्यक्रम के अधीन गरीब परिवारों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। सहायता राशि का 40 प्रतिशत भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित है। 1995-96 के दौरान लगभग 6,76,000 स्त्रियों को सहायता दी गई। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) में भी 40 प्रतिशत प्रशिक्षार्थी महिलाएं होनी चाहिए। अभी तक करीब 16 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

संविधान संशोधन करके पंचायतों में स्त्रियों के लिए 33 प्रतिशत स्थान सभी स्तरों पर आरक्षित किए गए हैं। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना तो उनके लिए है ही, वृद्धावस्था पेंशन स्त्रियों को भी नियमानुसार मिलती है। इंदिरा आवास योजना, जिसमें गांव के निर्धनतम ग्रामीणों को नि:शुल्क मकान

उपलब्ध कराए जाते हैं, विधवाओं और अविवाहित स्त्रियों को प्राथमिकता दी जाती है। मकान परिवार की महिला सदस्यों अथवा पति और पत्नी के संयुक्त नाम से आबंटित किए जाते हैं।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 30 प्रतिशत रोजगार सुविधाएं महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1989-90 से 1994-95 तक 122.74 करोड़ श्रम दिन उनके हिस्से में आए जो सृजित कुल रोजगार का 24.41 प्रतिशत है। 1995-96 में यह प्रतिशत 29 हो गया।

लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कपार्ट) ग्रामीण महिलाओं के लिए काम कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध कराती है और पंचायती राज के बारे में प्रशिक्षण तथा जागरूकता शिविर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता भी देती है।

समन्वित विकास कार्यक्रम के अधीन गरीब परिवारों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है। सहायता राशि का 40 प्रतिशत भाग स्त्रियों के लिए आरक्षित है। 1995-96 के दौरान लगभग 6,76,000 स्त्रियों को सहायता दी गई। ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) में भी 40 प्रतिशत प्रशिक्षार्थी महिलाएं होनी चाहिए। अभी तक करीब 16 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास योजना (डवाकरा) के अधीन 10 से 15 स्त्रियों के संगठित समूह को समन्वित विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सब्सिडी और ऋण, ट्राइसेम में प्रशिक्षण और एक आवर्ती निधि की मार्फत सहायता दी जाती है। 1995-96 के दौरान 35,300 समूह बने जिनकी सदस्यता 6.61 लाख थी। भूमिहीन निर्धनों को दी जाने वाली जमीन पति और पत्नी के संयुक्त नाम से हस्तांतरित करने का सुझाव राज्य सरकारों को दिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय का दावा है कि 8.26 लाख बस्तियों में रहने वालों की ५५ प्रतिशत आबादी के लिए एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल खोले जा चुके हैं। सार्वदेशिक स्तर पर प्राथमिक स्कूलों के विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या 43.11 प्रतिशत है जो ग्रामीण इलाकों में निश्चय ही कम होगी। संशोधित ब्लैक बोर्ड योजना में आधी शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए। केन्द्रीय और नवोदय विद्यालय में 12वीं कक्षा तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दोपहर का भोजन (मिड-डे-मील) योजना आरंभ की गई है। 1996-97 में साढ़े पांच लाख से अधिक स्कूलों में यह योजना लागू थी। पंद्रह जिलों के 2,574 गांवों में महिला समाख्या कार्यक्रम चालू हैं जिसमें स्त्री-शक्ति, बराबरी, स्वास्थ्य, सामाजिक परिवर्तन, स्त्रियों की आवश्यकताओं आदि के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि वे स्वयं को और समाज को नए परिप्रेक्ष्य में देख सकें। वयस्क शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता अभियान आदि अनेक योजना ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही हैं। स्कूल न जा सकने वाली लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भी खोले गए हैं।

इन प्रयासों के बावजूद 1991 की जनगणना के अनुसार 39 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं। पिछले छः वर्षों में वे थोड़ी और बढ़ गई होंगी।

स्वाधीन भारत में चिकित्सा, परिवार कल्याण और टीके लगाने का अभियान आरंभ हुआ। मार्च 1996 तक 21,853 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित हो चुके थे। ग्रामीण सामुदायिक केन्द्र, अस्पतालों जैसा काम करते हैं। 1,32,727 उप-स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनमें एक-एक सहायक नर्स/मिड वाइफ होती है। छः उप-केन्द्रों के पीछे एक महिला स्वास्थ्य सहायक होती है। माता और शिशु कार्यक्रम, ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों में चल रहे हैं। महामारियों की रोकथाम के लिए टीका लगाने, परिवार नियोजन संबंधी जानकारी देने और जच्चा-बच्चा की देखभाल की व्यवस्था की जाती है।

शिक्षा, स्वास्थ्य-चिकित्सा और आर्थिक विकास की केन्द्र द्वारा संचालित/समर्थित योजनाओं के परिणामस्वरूप हालात सुधरे हैं। भारतीय नागरिक का जीवन-काल जो 1947 में 30-31 वर्ष से अधिक नहीं आंका जाता था, अब 60 वर्ष हो गया है। प्लेग और हैजा अब महामारी के रूप में नहीं फैलते। मलेरिया पर भी अंकुश लगा है। जच्चा-बच्चा की मृत्यु दर में काफी कमी आई है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा संग्रहीत आंकड़ों के अनुसार 1950-51 में प्राथमिक स्कूलों में केवल 1.38 करोड़ बालकों तथा

तालिका

प्रमुख राज्यों में सामाजिक अवस्था के संकेतक

राज्य	जनसंख्या दर (0 से 4 वर्ष)	शिशु मृत्यु दर (0 से 4 वर्ष)	प्रजनन दर	स्त्री-पुरुष अनुपात (हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियां)	ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता (सात वर्ष से अधिक उम्र) महिला	पुरुष
केरल	2.91	4.3	1.8	1036	86	94
हिमाचल प्रदेश	0.52	19.3	3.1	976	52	75
महाराष्ट्र	7.89	16.3	3.0	934	52	77
तमिलनाडु	5.59	16.1	2.2	974	51	74
पंजाब	2.03	17.0	3.1	882	50	66
गुजरात	4.13	23.3	3.1	934	49	73
पश्चिम बंगाल	6.81	20.6	3.2	917	47	48
कर्नाटक	4.50	23.6	3.1	960	44	67
असम	2.24	32.4	3.5	923	43	62
हरियाणा	1.65	23.0	4.0	865	41	69
उड़ीसा	3.17	39.0	3.3	971	35	63
आंध्र प्रदेश	6.65	21.3	3.0	972	33	55
मध्य प्रदेश	6.62	44.5	4.6	931	29	58
उत्तर प्रदेश	13.91	35.6	5.1	879	25	56
बिहार	8.64	22.8	4.4	911	23	52
राजस्थान	4.40	30.9	4.6	910	20	55
भारत	8.46	26.5	3.6	927	39	60

54 लाख बालिकाओं के नाम दर्ज थे। 1995-96 में यह संख्या बढ़कर क्रमश: 6.24 करोड़ और 4.74 करोड़ हो गई है।

हर राज्य में अथवा एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रगति नहीं हुई है। इसके स्थानीय कारणों में सामाजिक संरचना, सामुदायिक अथवा जातीय चेतना और जरूरतमंद वर्गों में संगठित होकर अपनी दशा सुधारने की प्रबल इच्छा भी शामिल है। विकास की प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया की भांति है, जो उसके घटकों की परस्पर प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। (देखें तालिका)

इसका सर्वोत्तम उदाहरण है केरल, जो पंजाब और हरियाणा की तरह संपन्न न होते हुए भी अपने निवासियों को बेहतर जीवन के अवसर प्रदान करता है। केरल में हर हजार पुरुषों के पीछे 1,036 स्त्रियां हैं। सकल साक्षरता और महिला शिक्षा में भी वह पहले स्थान पर है। प्रजनन दर घटाने में भी वह इतना आगे है कि चीन को भी ईर्ष्या हो। प्रजनन दर केवल 1.8 है। इसके कई कारण हैं जैसे—विभिन्न वर्गों द्वारा शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं और सामाजिक बराबरी के लिए संघर्ष किया गया। उत्तराधिकार के मामले में केरल की स्त्रियों की स्थिति हमेशा बेहतर रही है। सामंती जकड़न ढीली हुई है। यद्यपि इसमें मिशनरियों और साम्यवादियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

आंदोलनकारी चेतना जागे तो सरकार भी अधिक सक्रिय होती है और नौकरशाही भी। सरकारी कार्यक्रमों के भरोसे रहा जाए तो दूसरों पर निर्भरता बढ़ती है तथा विकास और परिवर्तन की गति में अपेक्षित तेजी नहीं आ पाती। वयस्क शिक्षा से अनुप्राणित होकर आंध्र प्रदेश की महिलाओं ने अर्क (देसी शराब) के विरुद्ध अलख जगाई तो मद्य निषेध लागू हो गया। उत्तराखंड में चमोली की साहसी औरतों ने पर्यावरण की रक्षार्थ पेड़ों की कटाई रोकने के लिए 'चिपको आंदोलन' किया, तो उसका असर हुआ। दोनों आंदोलन शांतिमय थे। राजनीति और हिंसा से प्रेरित नहीं थे। फिर भी कामयाब रहे।

देर से सही, केन्द्र सरकार ने संविधान में संशोधन करके पंचायतों की स्थापना का संवैधानिक आधार खड़ा कर दिया है जिसमें पंचायती राज के हर सोपान पर एक-तिहाई स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, उनमें स्त्रियां ग्राम-सभा की सदस्य और पंचायत की प्रधान चुन ली गई हैं जबकि प्रधान के पद पर आसीन बहुत कम स्त्रियां ही अपने अधिकार का समुचित उपयोग कर पा रही हैं। अंगूठा टेक, पारिवारिक दायित्वों में फंसी, सामुदायिक काम-काज से अनभिज्ञ प्रधानों की जगह उनके पति, ससुर या बेटे उनकी जिम्मेदारी संभालते हैं।

आरंभ में अनेक राज्यों और स्थानों पर ऐसा होता है तो हो, लेकिन अपार संभावनाओं से युक्त यह एक ऐसा हथियार है जो स्त्री-समाज में उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। रूढ़ियां कमजोर होंगी और धीरे-धीरे स्त्रियां आगे आएंगी। गांव के बड़े-बूढ़ों को यह सब रास नहीं आता मजबूरन प्रौढ़ औरतों को प्रधान बनाया जाता है, पर जब पढ़ी-लिखी और अपेक्षाकृत कम उम्र की औरतों को अवसर मिलेगा, तो वे निश्चय ही अधिक सक्रिय और कारगर होंगी। स्त्रियों के मानसिक, सामाजिक और राजनैतिक विकास का रास्ता खुलता जाएगा। ❑

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरु` का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 50 रुपये का
दो वर्ष के लिए 95 रुपये का
तीन वर्ष के लिए 135 रुपये का

(जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक ..... दिनांक ..... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) .....

पता .....

.....

पिन .....

इस कूपन को काटिए और इस पृष्ठ की पिछली ओर बने बाक्स के नं. 3 में दिए गए पते पर भेजिए।

जागो

देवेन्द्र कुमार मिश्रा

बहुत सो लिए
अब जागो
जागो वरना
मृत समझकर
दफना दिये जाओगे।

अजान, शंख की लोरी
सुनकर बेसुध सोने वालो जागो
धन और गन के डर से भागने वालो
मत भागो।

लड़ नहीं सकते तो रोओ भी मत
चीखो-चिल्लाओ
अरे किसी तरह तो अपने जीवित होने का
अहसास दिलाओ
जागो वरना मृत समझकर
जला दिए जाओगे
और राख बन हवा में उड़ा दिए जाओगे। ❑

1. हम दिल्ली से *योजना* **अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, पंजाबी और उड़िया में**
   कुरुक्षेत्र **हिन्दी और अंग्रेजी में**
   आजकल **हिन्दी और उर्दू में**
   और *बाल भारती* **हिन्दी में** प्रकाशित करते हैं।
2. डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर निदेशक प्रकाशन विभाग को नई दिल्ली में देय होना चाहिए।
3. कूपन सहायक व्यापार व्यवस्थापक सर्कुलेशन, प्रकाशन विभाग, ईस्ट ब्लाक 4, लेवल-7, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110066 के पते पर भेजिए।
4. सदस्य बनने के लिए आप हमारे निम्नलिखित केन्द्रों पर भी सम्पर्क कर सकते हैं :

   प्रकाशन विभाग : पटियाला हाउस, तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001; सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001; कामर्स हाउस, करीमभाई रोड, बालार्ड पायर, मुंबई-400038; 8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता-700069; राजाजी भवन, बेसेंट नगर, चेन्नई-600090; बिहार राज्य सहकारी बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना-800004; निकट गवर्नमेंट प्रेस, प्रेस रोड, तिरुअनंतपुरम-695001; 27/6, राम मोहन राय मार्ग, लखनऊ-226019; राज्य पुरातत्वीय संग्रहालय बिल्डिंग, पब्लिक गार्डन्स, हैदराबाद-500004; प्रथम तल, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरा मंडल, बंगलौर-560034; सम्पादक, पेयोभरा, नौझम रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी-1; सम्पादक, योजना (गुजराती), राम निवास, पालदी बस स्टाप के पास, सरखेज रोड, अहमदाबाद

   पत्र सूचना कार्यालय : सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, 'ए' विंग, ए.बी. रोड, इंदौर (म.प्र.); 80, मालवीय नगर, भोपाल-462003; के-21, नंद निकेतन, मालवीय मार्ग, 'सी' स्कीम, जयपुर-302003
5. शुल्क प्राप्त होने के बाद नियमित रूप से पत्रिका के अंक मिलने शुरू होने में आठ से दस सप्ताह का समय लगता है।

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में

इंदिरा आवास योजना : नये आयाम

डा. उमेश चन्द्र अग्रवाल*

आवासविहीन ग्रामीण गरीबों को नि:शुल्क मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार द्वारा पूरे देश में मई 1985 से इंदिरा आवास योजना नाम से एक विशेष योजना प्रारंभ की गई। योजना को अधिक उपयोगी, लाभकारी और व्यावहारिक बनाने के उद्देश्य से तब से आज तक इस योजना के स्वरूप में काफी परिवर्तन लाया गया है जिससे अधिक से अधिक लोगों, विशेष रूप से इस योजना के वास्तविक हकदार लोगों को, इससे लाभान्वित किया जा सके। प्रारंभ में यह योजना भारत सरकार द्वारा चलाए गए 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम' की एक उप-योजना के रूप में लागू की गई थी और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं बंधुआ मजदूरों के परिवारों में से सबसे गरीब परिवारों को नि:शुल्क मकानों के निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती थी। अप्रैल 1990 से 'जवाहर रोजगार योजना' के प्रारंभ हो जाने से इंदिरा आवास योजना को जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत चलाया गया। इसके लिए जवाहर रोजगार योजना की 6 प्रतिशत धनराशि को इन आवासों के बनाने पर ही खर्च किया जाना आवश्यक किया गया।

आवासों के अधिक से अधिक निर्माण और जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अप्रैल 1994 में इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया जिससे जवाहर रोजगार योजना की 6 प्रतिशत धनराशि से आवासों के निर्माण के लिए 10 प्रतिशत धनराशि आरक्षित कर दी गई। इसके साथ-साथ इस बढ़ी हुई चार प्रतिशत धनराशि से गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले गैर-अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को भी इंदिरा आवासों का निर्माण उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार के परिवर्तन से वर्ष 1994 से लगातार इस योजना का लाभ गरीबी की रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले प्रत्येक परिवार को मिलने लगा अर्थात अब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अलावा पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों अथवा सामान्य वर्ग के लोग भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के हकदार हो गए हैं। मार्च 1996 से प्रति इंदिरा आवास की लागत की दरों को भी संशोधित किया गया है जिससे मैदानी क्षेत्रों में प्रति आवास 14,000 रुपये के स्थान पर 20,000 रुपये तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 15,000 रुपये के स्थान पर 22,000 रुपये लागत की दर निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त अप्रैल 1996 से इस योजना को एक स्वतंत्र योजना के रूप में चलाया जा रहा है जिससे बड़े पैमाने पर इंदिरा आवासों का निर्माण कराना संभव हुआ है।

योजना की आवश्यकता और महत्व

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश में उपलब्ध कुल आवासीय भवनों की संख्या 10 करोड़ 96 लाख 40 हजार 429 है, जबकि देश की विशाल जनसंख्या को छत मुहैया कराने के लिए कम-से-कम 14 करोड़ आवासों की आवश्यकता आंकी गई है। नेशनल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भी देश में 3 करोड़ 10 लाख आवासों की कमी का अनुमान लगाया गया है जिनमें से लगभग 2 करोड़ 6 लाख आवासों की कमी अकेले ग्रामीण क्षेत्रों में तथा एक करोड़ 4 लाख आवासों की कमी शहरी क्षेत्रों में अनुभव की जा रही है। देश की जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि के कारण मकान उपलब्ध कराने के लिए देश में प्रति वर्ष 20 लाख आवासों के निर्माण की जरूरत है। एक अनुमान के अनुसार इस शताब्दी के अंत तक अर्थात सन् 2000 तक देश में आवासीय इकाइयों में लगभग 5 करोड़ से भी अधिक की कमी हो जाएगी और यह कमी शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं अधिक होगी! इन आंकड़ों से देश के अधिकांश भागों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, मकान जैसी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति से वंचित लोगों की संख्या और उनकी त्रासदी का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अधिकांश आवासहीन व्यक्ति या तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं या फिर अन्य वर्गों के वे लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे गुजर-बसर करने को मजबूर हैं। ऐसे सभी लोगों के लिए 'अपना घर' एक 'दिवा स्वप्न' है, 'कोरी कल्पना' है अथवा उनकी सोच से परे की 'एक अद्भुत वस्तु' रही है। इसी वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए आवासविहीन ग्रामीण गरीब लोगों के 'अपना घर' के दिवा स्वप्न को साकार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 'इंदिरा आवास योजना' नामक अद्भुत योजना का संचालन किया जा रहा है जिसके अंतर्गत चयनित परिवारों को नि:शुल्क मकान उपलब्ध कराया जाता है।

*संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, कालाकांकर भवन, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन

इंदिरा आवास योजना, केंद्र तथा राज्य सरकार की 80:20 के अनुपात में वित्तीय संसाधन की भागीदारी से संचालित योजना है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अब तक 8 लाख 22 हजार आवासों का निर्माण किया जा चुका है। वर्ष 1996-97 में लगभग एक लाख 40 हजार इंदिरा आवासों का निर्माण-कार्य पूर्ण कराया गया जिनके निर्माण में सरकार द्वारा लगभग 277 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष 1997-98 में इसी प्रकार के एक लाख 35 हजार इंदिरा आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्परता से प्रयासरत है। नौवीं पंचवर्षीय योजना काल अर्थात वर्ष 1997 से 2002 तक पांच वर्षों में कुल 22 लाख 90 हजार मकानों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिस पर केंद्र सरकार की धनराशि के अलावा प्रदेश सरकार द्वारा 916 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

- इंदिरा आवास योजना का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में गांवों के आवासविहीन गरीब लोगों को, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 11,000 रुपये से कम है, सरकार द्वारा नि:शुल्क रिहायशी मकान उपलब्ध कराना है।
- योजना के अंतर्गत आवासों का निर्माण लाभार्थी द्वारा अपने भू-खंड पर स्वयं कराया जाता है जिसकी लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए 20,000 रुपये तथा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 22,000 रुपये प्रति आवास निर्धारित है। यह राशि लाभार्थी को सरकार द्वारा चैक से दो किश्तों में उपलब्ध कराई जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत मकानों का निर्माण ठेकेदारी या सरकारी विभाग द्वारा कराया जाना प्रतिबंधित किया गया है। केवल आवश्यकतानुसार तकनीकी मार्ग-दर्शन सरकारी विभाग द्वारा दिया जा सकता है।
- लाभार्थी अपने लिए निर्माण कराए जाने वाले मकान का डिजाइन चयन करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है अर्थात वह अपनी आवश्यकतानुसार मकान का नक्शा तय कर सकता है।
- मकान निर्माण हेतु मन-पसंद सामग्री खरीदने के लिए भी लाभार्थी पूर्ण स्वतंत्र है। वह कहीं से भी अपनी पसंद की मकान निर्माण सामग्री जैसे—ईंट, सीमेंट, बालू आदि खरीद सकता है। इसमें केवल इतना प्रतिबंध है कि निर्मित आवास का प्लिंथ 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में होना चाहिए।
- ग्रामीण महिलाओं की उनके परिवार में स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इंदिरा आवास का आबंटन सामान्य तौर पर परिवार की महिला सदस्य के नाम से किया जाता है, लेकिन वैकल्पिक तौर पर पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर भी आबंटन किया जा सकता है।
- बनाए जाने वाले इंदिरा आवासों में से कम-से-कम 60 प्रतिशत मकान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आवासविहीन लोगों को ही दिए जाने चाहिए।
- इंदिरा आवासों के लिए चुने जाने वाले अभ्यार्थियों में गैर-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वरीयता के आधार पर जरूरतमंद लाभार्थियों के चयन से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई लाभार्थियों की सूची ग्राम सभा की खुली बैठक में पास कराई जानी अनिवार्य है।
- इंदिरा आवासों का निर्माण सामान्यतया गांव के समीप समूह में किया जाना चाहिए लेकिन आवश्यकतानुसार ये व्यक्तिगत जमीन पर भी बनाए जा सकते हैं।
- सामान्यतया मकान, समूहों में बनाने का प्रयास किया जाता है ताकि आवश्यक खड़ंजे, नाली, पहुंच मार्ग, बिजली, पेयजल आदि की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जा सकें।
- आवश्यकता तथा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मकान में धुआं रहित चूल्हे, स्वच्छ शौचालय, रसोई घर तथा रोशनदान की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।
- योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण और समन्वय का कार्य जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी के निर्देशन में करने का प्रावधान है। प्रदेश स्तर पर यह कार्य उत्तर प्रदेश ग्रामीण आवास परिषद द्वारा किया जाता है।

लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया

- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थी के चुनाव के लिए पहली शर्त यह है कि उसे गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत चूंकि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अतिरिक्त, बंधुआ मजदूर तथा अन्य सामान्य वर्ग के लोगों को भी सीमित संख्या में सम्मिलित करने की व्यवस्था कर दी गई है, अत: इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चुनाव में निम्नलिखित क्रम में वरीयता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है:

प्रथम वरीयता: मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर।

द्वितीय वरीयता: अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार।

तृतीय वरीयता: गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे परिवार जिनकी मुखिया विधवा, परित्यक्ता अथवा अविवाहित महिला है।

चौथी वरीयता: बाढ़, भूकंप, आग अथवा अन्य किसी प्राकृतिक आपदा से पीड़ित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवार।

पांचवीं वरीयता: जिन लोगों की झोपड़ियां जल गई हों और वे आवास मिलने की दूसरी शर्तें भी पूरी करते हों।

छठी वरीयता: गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अन्य परिवार।

सातवीं वरीयता: गैर-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों के भूतपूर्व सैनिक अथवा युद्ध में मारे गए सैनिकों और अर्द्ध-सैनिक बलों के परिवार।

आठवीं वरीयता: गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिता रहे गैर-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवार।

- कुल लाभार्थियों के चयन में 60 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के और 40 प्रतिशत लाभार्थी गैर-अनुसूचित जाति/जनजाति के हो सकते हैं।
- लाभार्थी अथवा उसके परिवार के पास कोई मकान नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थियों का चयन/लाभार्थियों की सूची उक्त वरीयताएं ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की जानी चाहिए।
- ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई सूची को ग्राम सभा की खुली बैठक में रख कर पास कराया जाना चाहिए। इसके बाद ही सूची अंतिम रूप से पास मानी जाती है।

इंदिरा आवासों के लिए निर्धारित धनराशि

वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा आवासों के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 20,000 रुपये प्रति मकान तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 22,000 रुपये प्रति मकान के हिसाब से धनराशि चैक द्वारा सीधे लाभार्थी को भुगतान की जाती है। लाभार्थी को निर्धारित संपूर्ण धनराशि दो किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। प्रत्येक इंदिरा आवास के अंतर्गत स्वच्छ शौचालय और धुआं-रहित चूल्हे का निर्माण आवश्यक कर दिया गया है और इन पर आने वाली लागत को मकान निर्माण के साथ सम्मिलित कर दिया गया है। इसके साथ-साथ अवस्थापना संबंधी अन्य सामान्य सुविधाओं के लिए अलग धनराशि निर्धारित की गई है। इसे तालिका में स्पष्ट किया गया है।

तालिका

स्थिति	कार्य की मद	निर्धारित लागत धनराशि	कुल लागत धनराशि
मैदानी क्षेत्र	1. (अ) मकान निर्माण		
	(ब) स्वच्छ शौचालय निर्माण	17,500.00	
	(स) धुआं रहित चूल्हा निर्माण के लिए		20,000.00
	2. अन्य सामान्य सुविधाओं के लिए	2,500.00	
पर्वतीय क्षेत्र	1. (अ) मकान निर्माण		
	(ब) स्वच्छ शौचालय निर्माण	19,500.00	
	(स) धुआं रहित चूल्हा निर्माण के लिए		22,000.00
	2. अन्य सामान्य सुविधाओं के लिए	2,500.00	

इंदिरा आवासों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण सावधानियां

इंदिरा आवास के निर्माण के लिए चूंकि धनराशि सीमित होती है, अत: इस धनराशि का अधिक सावधानीपूर्वक और उपयुक्ततम रूप से उपयोग करना आवश्यक है, अन्यथा मकान का निर्माण अधूरा रह सकता है अथवा उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और वह कमजोर रह सकता है या उसमें टिकाऊपन का अभाव रह सकता है। अत: प्रत्येक लाभार्थी को मकान निर्माण हेतु निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए:

- चूंकि इंदिरा आवासों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई भी डिजाइन निर्धारित नहीं किया गया है अर्थात प्रत्येक लाभार्थी स्वयं अपनी आवश्यकता और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए अपने मकान का कोई भी डिजाइन या नक्शा तय कर सकता है। अत: लाभार्थी को अपने मकान का डिजाइन तथा नक्शा अपनी आवश्यकताओं के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही तैयार करना अथवा कराना चाहिए।
- मकानों का कुर्सी क्षेत्रफल सरकार द्वारा 20 वर्ग मीटर (लगभग 200 वर्ग फुट) निर्धारित किया गया है। अत: मकान निर्माण के पूर्व ही सरकार द्वारा निर्धारित की गई इस सीमा को ध्यान में रखना चाहिए।
- मकान निर्माण करने से पूर्व प्रयोग की जाने वाली सामग्री की मात्रा और उस पर खर्च होने वाली धनराशि आदि के बारे में भली-भांति पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
- मकान का डिजाइन अथवा नक्शा, प्रयोग की जाने वाली सामग्री का चयन, संभावित लागत आदि के संबंध में आवश्यक मार्ग-दर्शन संबंधित सरकारी कर्मचारियों से प्राप्त करने से हिचकना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे यथासंभव परामर्श लेना चाहिए क्योंकि ये लोग विशेष तकनीकी प्रशिक्षण तथा कौशल प्राप्त व्यक्ति होते हैं।
- मकान के निर्माण में यथासंभव किफायती निर्माण-सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए जैसे—सीमेंट के स्थान पर स्थानीय सुर्खी तथा चूने का प्रयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार लकड़ी की चौखटों के स्थान पर कम खर्चीली लोहे अथवा सीमेंट की चौखटों को प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार की चौखटें अधिक मजबूत, अग्निरोधी, दीमक आदि से मुक्त होती हैं जिससे लकड़ी की बचत से वन और पर्यावरण को बचाने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी पहुंचाई जा सकती है।
- प्रत्येक मकान में एक स्वच्छ शौचालय तथा एक धुआं रहित चूल्हे का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इसके संबंध में अपने ब्लाक के संबंधित सरकारी कर्मियों से तकनीकी परामर्श अवश्य करना चाहिए, जिससे कम लागत में इनका निर्माण संभव हो सकता है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में इनके संबंध में कुछ स्वयंसेवी संगठन भी आवश्यक जानकारी/सेवाएं तथा परामर्श उपलब्ध कराते हैं। यथासंभव उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

(शेष पृष्ठ 30 पर)

तपेदिक

और इसके इलाज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां

आजकल

* तपेदिक का इलाज संभव है
* तपेदिक की दवाएं अधिक असरकारी हैं, तुरंत असर करती हैं और इलाज में कम समय लगता है
* सरकार द्वारा मुफ्त इलाज किया जाता है

अभी भी तपेदिक से

* भारत में प्रति मिनट एक व्यक्ति की मृत्यु होती है
* भारत में एक करोड़ चालीस लाख व्यक्ति पीड़ित हैं
* 30 लाख 50 हजार तपेदिक रोगियों के थूक में रोग के लक्षण हैं और इस कारण यह रोग अन्य व्यक्तियों में फैल रहा है
* थूक में तपेदिक के लक्षण वाला एक व्यक्ति वर्ष में 10-15 लोगों को पीड़ित करता है

तपेदिक को फैलने से रोकें

आज ही डॉक्टरी जांच कराएं

यदि

* थूक में खून आ रहा हो
* तीन सप्ताह से अधिक समय से खांसी आ रही हो/बुखार हो
* वजन कम हो रहा हो और भूख कम लगती हो

संपर्क करें :

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला टी.बी. केन्द्र अथवा नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र

डीएवीपी 97/683

सुबरनी

विमलेश गंगवार 'दिपि'

सुबरनी के पति का पत्र पढ़ा तो मैं चौंक गई। टूटी-फूटी भाषा में लिखा था ''सुबरनी नहीं रही उसकी तेरहवीं 24 तारीख, दिन सोमवार को है।

सुबरनी की तेरहवीं! क्या हुआ उसे!! वह तो अच्छी भली थी।

हंसती, इठलाती सुबरनी, तेल चुपड़े केशों के बीच सीधी लंबी सिंदूर भरी मांग, नाक में नग जड़ी चमकती हुई नथनी, कानों में सोने के भारी कर्णफूल, चटक लाल रंग की साड़ी, साड़ी के रंग से मेल खाता जम्पर, पहले वह अल्हण ग्रामीण बाला, प्रथम दर्शन में ही मेरा मन अपनी ओर खींच ले गई थी।

मेरी सास जी को वह चाची कहती थी। उनके गांव की बेटी थी वह। दस वर्ष पूर्व मेरे विवाह में आई थी और काफी दिनों तक मेरे साथ रही थी। कल ही डोली से उतरी थी मैं, उसने मेरी देखभाल की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर ले ली थी। शादी में फैले सामान को दिन भर समेटती, अतिथियों को भोजन परोसती, चहक-चहक कर बातें करती और मेरे नहाने और भोजन आदि का पूरा ध्यान रखती। अपनी पसंद की लिपस्टिक निकाल कर ड्रेसिंग टेबुल पर रख देती और कहती—

''भौजी आज यह लगाओ जरा।''

वह चटक रंग मुझे जरा न भाता, पर उसका मन रखने के लिए मैं उसे होठों पर पोत लेती। ''कितना अच्छा लग रहा है भौजी!'' वह एकटक मुझे निहारती रहती। ''तुम लोगी यह?'' वह मुस्कुराई पर मुंह से कुछ न बोली। मैंने उसे लिपस्टिक पकड़ा दी तो ऐसे प्रसन्न हुई मानो तीन लोक की सम्पदा पा गई हो। एक दिन उसके गांव से बुलावा आ गया। चलते समय सुबरनी मुझसे लिपट कर खूब रोई। मानो उसकी अंतरंग मैं ही हूं। रोते-रोते वह बोली, ''भौजी कब मिलोगी अब?''

''सुबरनी यह घर तुम्हारे भाई का है, जब भी तुम्हारा जी हो चली आना।'' सुबरनी के निश्छल स्नेह से मेरी आंखें भी छलक आई थीं।

''अरे भौजी, तुम बड़े लोग हम छोटे....तुम अंग्रेजी पढ़ी, हम अनपढ़ गंवार, हमारा तुम्हारा कैसा नाता?''

''यह सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती सुबरनी'', उसके कपोल पर ढुलकते हुए आंसुओं को पोंछते हुए मैंने कहा।

वह गांव चली गई। मेरे विवाह में इतना काम करने वाली सुबरनी को किसी ने न ही याद किया, न ही सराहा। पर मैं सुबरनी को भुला नहीं पाई। मेरे हृदय के अंतरिम कक्ष में वह अपनी उपस्थिति सदैव बनाए रही। मेरी सास जी भी उसी गांव की बहू थीं। बरसों पहले सम्मिलित परिवार था वहां। मेरे ससुर सरकारी नौकरी में होने के कारण शहर में आ गए। वह अपनी गृहस्थी और दफ्तर के क्रिया-कलापों में इतने व्यस्त हुए कि उन्होंने पलटकर कभी गांव की सुधि भी न ली।

सुबरनी दूसरे परिवार की थी। उसके माता-पिता हैजे में चल बसे थे। न कोई भाई, न बहन, अकेली थी वह। दूर के किसी कुटुम्बी ने उसके हाथ पीले किए थे।

मेरे पति का ट्रांसफर आगरा हो गया। लखनऊ छोड़कर हमें आगरा जाना पड़ा। घर से पत्र आने पर सुबरनी के विषय में कोई कुछ न लिखता। एक दिन चौंक गई मैं, द्वार पर सुबरनी खड़ी थी अपने पति के साथ। किनारीदार साड़ी के आंचल को कमर में खोंसे, छोटी-बड़ी कई गठरी लटकाए। अचानक उन दोनों को देखकर आश्चर्य हुआ मुझे। गठरी-पुटरी एक ओर फेंक मुझसे लिपटती हुई बोली, ''कितने बरसन में देखा है भौजी को।'' हाथ में बड़ा टाट का थैला पकड़े उसके पति सामान के बोझ से दबे जा रहे थे, उन्होंने बड़े संकोच से मुझे नमस्ते की।

सुबरनी का स्नेह उसकी आयु के साथ बढ़कर और सौंधा होकर महक रहा था। अगल-बगल में रहने वाले मेरे शहरी संभ्रांत पड़ोसियों की खिड़कियां खुलीं, उनकी निगाहें उन गठरी-पुटरियों पर पड़ीं और परस्पर मुस्कुरा-मुस्कुरा कर उन ग्रामीण दम्पति को देखने लगे। बगल वाली शीबा अपनी कार साफ कर रही थी। मेरे बेटे मनु से पूछ रही थी, ''कौन आए हैं तुम्हारे घर?'' मनु मुझे ताकने लगा। उसका ताकना ठीक भी था उसने कभी उन्हें नहीं देखा था। मैंने कहा, ''कह दो मेरी बुआ जी, फूफा जी आए हैं।''

मनु ने उन्हें बता दिया तो शीबा खिलखिलाकर बोली, ''कैसे हैं तुम्हारे बुआ और फूफा जी? कितने गंदे कपड़े पहने हैं ये लोग?''

मन में आया पहले जाकर शीबा की अकल ठिकाने लगा दूं और अच्छी तरह समझा दूं कि वी.आई.पी. एवं एरिस्ट्रोक्रेट सूटकेसों को कान्टेस कार में ढोने वाले आधुनिक उच्च और धनाढ्य व्यक्तियों में वह स्नेह, वह सदाचार नहीं मिलेग जो इन गठरी-पुटरियों में भरा पड़ा है।

पर सुबरनी के पति से पहली बार भेंट हो रही थी, वे क्या सोंचेगें? यही सोचकर मैंने बा बढ़ाना उचित नहीं समझा। मैं उन दोनों क ड्राइंग रूम में ले आई। मेरे दोनों बच्चों श्वेत और मनु को पकड़कर बहुत प्यार किया औ एक-एक पोटली को खोल-खोलकर बच्चों के आगे रखती जा रही थी।

''बेटा! आजकल भैंस ठीक से दूध नहीं रही थी तो कई दिन का दूध जलाकर यह पे बनाए हैं, अब जैसे भी हैं खा लो। बेटा, तुम्हा बुआ गंवारिन है बेटा। भौजी यह तिल है, तिलव का त्यौहार आए तो लड्डू बना लेना, यह दा है भोजी, चाहो तो कढ़ी बना लेना, चाहो ऐ ही खा लेना।'' मैंने पुराने भद्दे डिब्बे में झांका सौ किलोमीटर की यात्रा कर दही हिलडुल क मट्ठे का रूप धारण कर चुका था। उस गाढ़े दा में मक्खन ऐसे तैर रहा था, मानो सुबरनी क प्यार तैर रहा हो।

''यह चावल है भौजी, यह देशी घी है, श में मिलावट वाला मिलता है।'' वह बोली।

''कितना सामान लाई हो? रास्ते में कित तकलीफ हुई होगी तुम्हें! अपने हाल सुना सुबरनी कैसी हो तुम?''

"सब ठीक रहा भौजी, कितने बरसन से तरस रही थी तुम सबके लिए। श्वेता हुई तब भी सुना, मनु हुआ तब भी सुना। पर का करें भौजी, तुम्हारा पता नहीं था कैसे आती? इस बार चाची से लड़िके (लड़कर) पता पावा है, तब सोचा इस राखी पर राखी बांध दूं भइया के।"

"तुमने बहुत अच्छा किया सुबरनी, मुझे ध्यान आया मेरी सगी ननद को कहां फुरसत है राखी बांधने की। उनके पति उच्च पदस्थ एवं व्यस्त हैं। त्यौहार पर स्नेह बांटने का समय ही कहां है उनके पास?"

वैसे तो श्वेता मनु को राखी बांधती ही, पर सुबरनी के आने से त्यौहार की बात ही कुछ और हो गई थी। मेरे पति की सूनी कलाई भी बहन की राखी से दिपदिपा उठी थी। दो दिन सुबरनी रही, अनेक उपहार देकर मैंने उसे विदा किया था पर मेरी वह ग्राम्या चतुर ननद मेरे परिवार को कई गुना अधिक प्यार देकर मुझे पराजित कर गई। मेरा आंचल भीग चुका था। इतने आंसू कब गिरे, पता ही न चला।

पत्र एक बार फिर उलटा-पलटा, परसों ही तो है सुबरनी की तेरहवीं। मेरे ससुर की मृत्यु हो चुकी थी, अपने जीवन-काल में भी उन्होंने गांव को अपने जीवन से ऐसे निकाल दिया था जैसे दूध से मक्खी निकाल दी जाती है।

इतने बरसों बाद कौन पहचानेगा उस गांव में? सुबरनी थी, अब वह भी नहीं रही! बच्चों की परीक्षा थी। सरवेंट के सहारे उन्हें छोड़कर हम पति-पत्नी गांव गए। मेरे पति राहगीरों से पूछते-पूछते गांव तक पहुंच गए थे। छोटा-सा गांव जिसकी खपरैलों एवं छतों पर लौकी, कद्दू, सेम की बेलें फैली थीं। एक पोखर जिसमें चौड़ी पत्ती वाली घास ऐसे भरी पड़ी थी, मानो हरा कालीन बिछा हो।

मेरा मन सिहर उठा, मैं इसी गांव की बहू हूं। मैंने अपनी साड़ी का आंचल कंधे से उठाकर सिर पर डाल दिया। मेरे पति ने मोड़ पर जाकर गाड़ी रोक दी और सामने आते हुए वृद्ध से कहा, "मैं कृष्ण मोहर सिंह का बेटा हूं। पहली बार आया हूं गांव!" वह वृद्ध ऊपर से नीचे तक देखते रहे और कुछ पल बाद बोले, "तुम सुबरनी की तेरहवीं में आए हो भइया! हम अंदाज से पहचान गए तुमको, बहुत अच्छा किया तुम अपने गांव आए बेटा, यहीं से दाएं मुड़कर कुंआं है वही है—सुबरनी का घर। घरघराती गाड़ी उसी ओर मुड़ गई। उस समय गाड़ी की ध्वनि मुझे ऐसी लग रही थी मानो सुबरनी की याद में तड़प-तड़प कर विलाप कर रही हो।

कुंएं के इर्द-गिर्द पलंग पड़े थे। जिन पर गांव के वयोवृद्ध बैठे थे। कुछ बच्चे गाड़ी के पीछे यों ही दौड़ रहे थे। जमीन पर बड़ी दरी बिछी थी, तमाम लोग बैठे थे। लगभग पच्चीस-तीस महिलाएं आईं, जिनमें अधिकांश घूंघट किए थीं, गाड़ी से उतार कर मुझे अंदर ले गईं।

सुबरनी के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे, "भौजी जरूर आना गांव! मेरी कसम, भौजी तुम आना जरूर—आज भी मैं पराजित हो गई अपनी उस चतुर ननद रानी से—मैं सुबरनी के आंगन में खड़ी थी, आंसुओं का रेला आया और श्रावणी मेघों सा बरस कर चला गया। "अन्दर निकल आओ दुल्हिन" किसी का स्वर सुनाई दिया। मैं जमीन पर बिछी चादर पर बैठ गई, कितनी वृद्धाओं ने मेरे स्वर्गीय ससुर का नाम लेकर अपनी-अपनी पुत्र-वधुओं से मेरा परिचय कराया और कहा इनके पैर छुओ ये तुम्हारी जेठानी है।" मेरी देवरानियां मेरे चरण स्पर्श करने लगीं। मैं अवाक देखती रही घूंघट में छुपे उनके मुखों को।

मैं किसी की पीठ पर हाथ फेर देती, किसी के बच्चे को हल्का दुलार कर देती—पता नहीं यह बुद्धि कहां से आ गई, उस समय।

उस अजनबियों की भीड़ में कोई मेरा देवर था कोई जेठ, कोई नाती था कोई पोता। कोई मेरी बेटी थी, तो कोई बहू। कोई दामाद था तो कोई मेरा बेटा। अपनों की भीड़ से घिरी बैठी थी मैं।

"यह तुम्हारी अजिया सास हैं" कहकर एक वृद्धा ने दूसरी वृद्धा से मेरा परिचय कराया। मैंने उनके चरण-स्पर्श किए तो आशीर्वादों की झड़ी लगा दी उन्होंने, "तुम्हारा राज सुहाग बना रहे, सदा राजरानी रहो तुम, खूब फलो-फूलो, दूध नहाओ, पूतों फलो।" भला मैं कहां से इतने आशीर्वादों की अधिकारिणी हो गई। न इनके सुख में आई, न दुख में। अपने बेहद व्यस्त जीवन में एक पल भी तो नहीं सोचा इस गांव के विषय में?

पीतल की बड़ी परात में पानी लेकर नाउन बहू आईं। मेरे पैर उन्होंने पानी में रख लिए और रगड़-रगड़ कर धोने लगीं।

"हत्यारन ने कैसे बेदर्दी से मार डाला सुबरनी दीदी को।" "किसने मार डाला नाउन बहू?" मैंने आश्चर्य से पूछा। "और को भौजी, डाकू आए रात मा पांच तोले का कंठा घसीटा दीदी के गले से, जब वह चिल्लाई तो मार डाला उन्हें, दीवार में गढ़ा था वो भी ले गए। कोई आस-औलाद भी नहीं रही। बेचारी के उस रात वह अकेली थी, रात मा!" नाऊन बहू रोती जा रही थी और बताती जा रही थी।

"तुम्हार तारीफ करती रही सुबरनी दीदी, जितना सामान तुम दियो पूरे गांव को दिखावत रही, कहत रही मेरी भौजी बहुत अच्छी हैं। अंग्रेजी पढ़ी हैं, पर जरा भी गुमान नहीं उनको—हमार भइया भी देवता हैं देवता।" नाऊन बहू फटे अंगोछे से मेरे गीले पैर पोंछ रही थी। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पास बैठी वृद्धा ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, "न रोओ बच्ची, न रोओ! अब कहां है सुबरनी वह तो धरती से विलाय गई।" मुझे ढांढस बधाते-बधाते वह स्वयं भी रो पड़ीं।

आंगन से ऊंची आवाजें आ रही थीं "हम नहीं करेंगे तेरहवीं की पूजा, दूसरे ब्राह्मण को बुला लाओ—समझे।" पता चला है कि पंडित दक्षिणा के लिए रार ठान रहे हैं। यह दुखदाई घड़ी और दक्षिणा के लिए रार। मेरा मन अवसादाछन्न हो गया। क्या यह घड़ी भी लड़ाई की है?

मेरे पति स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। एक वृद्ध बोले—"यह सुबरनी के भाई हैं इनसे न उलझना, जो दे रहे हैं, रखो और पूजा आरंभ करो।"

ओम नमो शांति के जाप के साथ पूजा आरंभ हो गई। अग्नि की लौ प्रज्वलित हो उठी। एक ओर सुबरनी के पति और दूसरी ओर भाई (मेरे पति) सुबरनी की आत्मा की शांति के लिए

(शेष पृष्ठ 24 पर)

ग्रामीण स्वास्थ्य

सर्वाधिक उपेक्षा महिलाओं की

डा. कैलाश चन्द्र पपनै

देश की आजादी के 50 वर्षों में जहां आबादी में निरन्तर वृद्धि हो रही है, वहीं जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात निरन्तर घट रहा है। फिर भी महिलाएं देश की आबादी का महत्वपूर्ण अंग हैं। इस बात को अब पहले से अधिक अनुभव किया जाने लगा है कि महिलाओं की शिक्षा तथा उनके स्वास्थ्य की तरफ अधिक ध्यान दिया जाना, एक शिक्षित और स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की दिशा में पहला कदम है।

बालिकाओं की अधिक मृत्यु दर

देश की आजादी वाले दशक के अंत में ग्रामीण जनसंख्या कुल आबादी का 82.7 प्रतिशत थी। इसके 40 वर्ष बाद 1991 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 62.9 करोड़ थी जो कुल आबादी का 74.3 प्रतिशत थी। इसी अवधि में देश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का अनुपात 946 प्रति एक हजार पुरुष से गिर कर 927 प्रति एक हजार हो गया। कुल जनसंख्या में महिलाओं की संख्या का आनुपातिक दृष्टि से घट जाना इस तरफ संकेत करता है कि शिशु मृत्यु दर की दृष्टि से बालिकाओं की मृत्यु की घटनाएं अधिक होती हैं। यह जहां इस बात का प्रमाण है कि सामाजिक मान्यताओं की दृष्टि से लड़कों की अपेक्षा लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है, वहीं यह ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव का सूचक भी है।

दुनिया के आधे कुपोषण ग्रस्त बच्चे भारतीय उपमहाद्वीप में

वास्तव में बीमारियों की शुरुआत तो गर्भवती महिलाओं की पर्याप्त देखभाल न होने और बच्चों के कुपोषण के साथ ही हो जाती है। शिशु पोषण की दृष्टि से भारत का रिकार्ड अच्छा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के पोषण की दृष्टि से यह और भी निराशाजनक है। यूनीसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुपोषण ग्रस्त बच्चों की आबादी का आधा हिस्सा तीन देशों—पाकिस्तान, बांगला देश और भारत में रहता है। पोषण की दृष्टि से भारतीय शिशु की स्थिति भुखमरी के शिकार अफ्रीकी देशों के बच्चों से भी बदतर है। भारत में कुपोषण के शिकार पांच वर्ष तक के बच्चों की संख्या 53 प्रतिशत है जबकि भुखमरी के शिकार इथियोपिया में ऐसे बच्चों की संख्या 48 प्रतिशत है।

सुविधाओं के अभाव में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं पंगु

भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का विकास 1946 में गठित भोरे समिति की इस मुख्य सिफारिश के आधार पर हुआ कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य सेवाओं का केन्द्र बनाया जाए। पिछले 50 वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विशाल तंत्र खड़ा किया गया। देश के 5,75,936 गांवों और 5,000 विकास खंडों के लिए मार्च 1994 तक 2,321 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 21,555 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 1,31,471 उप-केन्द्रों की स्थापना की गई, परन्तु यह बात भी जग जाहिर है कि इमारत का न होना, प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव तथा दवाओं व उपकरणों की आपूर्ति में सतत रुकावट जैसे कारणों से इन केन्द्रों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों की पद रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक है। स्त्री रोग चिकित्सकों, बाल रोग विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षित सहायक महिला कर्मचारियों के अभाव से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, विशेष रूप से महिलाओं की जरूरतों वाली स्वास्थ्य सेवाएं, पंगु हो जाती हैं।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा संबंधी आंकड़ों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए डाक्टरों के जो 31,700 पद स्वीकृत थे उनमें से 5,117 पद रिक्त थे। चिकित्सा विशेषज्ञों के मामले में तो स्थिति और भी खराब है। निम्नलिखित तालिका इस बात को स्पष्ट कर देती है:

विशेषज्ञ का पद	स्वीकृत पद	नियुक्तियां	रिक्तियां
शल्य चिकित्सक	1,353	710	643
स्त्री रोग चिकित्सक	1,139	548	591
फिजीशियन	1,104	574	490
बालरोग विशेषज्ञ	845	498	347

स्रोत: ग्रामीण स्वास्थ्य समंक, दिसम्बर 1995

तालिका से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिशत की दृष्टि से स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी सबसे अधिक बनी रहती है। जाहिर है कि इस कमी का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव ग्रामीण महिलाओं पर पड़ता है। महिलाओं की अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उनके महिला होने के कारण उत्पन्न होती हैं। इसमें ग्रामीण महिलाओं की स्थिति और भी खराब रहती है। एक तो उनमें जानकारी का अभाव होता है और दूसरे चिकित्सा सुविधाओं का अभाव। जानकारी के अभाव के कारण प्राय: घरेलू नुस्खे इस्तेमाल किये जाते हैं या फिर नीम-हकीम की मदद ली जाती है। इन सबके नतीजे महिलाओं के लिए घातक ही सिद्ध होते हैं।

प्रसव के ज्यादा मामले अप्रशिक्षित दाइयों के द्वारा

बच्चों को जन्म देना भी ग्रामीण महिलाओं के लिए जान का जोखिम है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से चलाये गए दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के बावजूद आधे से अधिक प्रसव के मामले अप्रशिक्षित दाई के हाथों द्वारा

निपटाए जाते हैं। आठ राज्य—हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार व राजस्थान ऐसे हैं, जहां प्रसव के 53 से 75 प्रतिशत मामलों में प्रशिक्षित दाई प्रसव के लिए उपलब्ध नहीं होती है। इसके कारण जच्चा और बच्चा की जान को खतरा होता है तथा सुरक्षित प्रसव के बाद भी जच्चा और बच्चा के स्वास्थ्य के बारे में जटिलताएं उत्पन्न होती रहती हैं।

प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा को पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और शरीर बीमारियों का घर बन कर रह जाता है। जिस प्रकार महिलाओं की उपेक्षा होती है, उसी प्रकार नवजात बालिकाओं और लड़कियों की उपेक्षा का सिलसिला भी चलता रहता है। यह तथ्य एक सर्वेक्षण से भली-भांति उजागर हुआ है। सी.एम.ई. लुधियाना के इस सर्वेक्षण के अनुसार पंजाब में सम्पन्न परिवारों में 86 प्रतिशत शिशु बालकों को सामान्य रूप से पोषक आहार मिलता है जबकि शिशु-बालिकाओं के मामले में सिर्फ 70 प्रतिशत को ही पोषक आहार प्राप्त होता है। गरीब परिवारों में 43 प्रतिशत शिशु बालकों को पोषक आहार प्राप्त होता है तो सिर्फ 26 प्रतिशत बालिकाओं को ही पोषक आहार मिल पाता है। कुपोषण ग्रस्त बच्चियों का भविष्य क्या होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। शिशु मृत्यु दर में भले ही कमी आई है परन्तु कुपोषण ग्रस्त बच्चों के बीमार रहने तथा अकाल मृत्यु की संभावना भी निरन्तर बनी रहती है क्योंकि उपयुक्त चिकित्सा सुविधा के अभाव में जीवन-रक्षा कठिन है।

बाल विवाह भी एक बड़ा कारण

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य की समस्याओं के मूल में एक कारण यह भी है कि उन्हें सही उम्र से पहले मां बनना पड़ता है। इसके लिए छोटी आयु में विवाह की प्रथा जिम्मेदार है। भारत में 11.55 करोड़ महिलाएं 15-29 वर्ष की आयु वर्ग में हैं। प्रति वर्ष इस आयु वर्ग की 74.1 लाख महिलाओं की शादी होती है परन्तु इनमें से दो-तिहाई 15 से 19 वर्ष के बीच की होती हैं। यह उम्र शारीरिक दृष्टि से विवाह के लिए और मातृत्व का बोझ उठाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तथा कमजोर वर्गों में अल्प आयु में विवाह की घटनाएं अधिक होती हैं

उपचार सुविधाएं ग्रामीणों के वित्तीय दायरे में हों

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियों का एक प्रमुख कारण स्वच्छ पेयजल का अभाव तथा सामान्य स्वच्छता का अभाव है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध न होने से पेचिश, आंत्र शोथ तथा हैजा जैसी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत अब पेयजल आपूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता की तरफ कुछ ध्यान दिया जाने लगा है। टीकाकरण को भी महत्व मिल रहा है।

क्षय रोग, कालाजार, एड्स और कैंसर जैसी बीमारियां भी जानलेवा बनी हुई हैं। निदान और उपचार की सुविधाएं सुलभ करवाने के साथ ही इन्हें ग्रामीण महिलाओं की भौतिक एवं वित्तीय पहुंच के दायरे में रखने की भी आवश्यकता है।

देश में प्रतिवर्ष 3,000 स्नातकोत्तर चिकित्सक मेडिकल कालेजों से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलते हैं। यदि राज्य सरकारें प्रशिक्षण लेने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए दो-तीन वर्ष अनिवार्यत: गांवों में सेवा का प्रावधान रखे तो गांवों में चिकित्सा विशेषज्ञों के अभाव की समस्या का समाधान खोजा जा सकता है।

ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल को परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा मातृ और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ जोड़ना आवश्यक है। यह ठीक ही कहा गया है कि "पहले मां की तरफ ध्यान केन्द्रित किया जाए। जैसी मां होगी, वैसे ही बच्चे होंगे। आइये, यथाशक्ति मातृत्व को शान, गरिमा और पवित्रता प्रदान करें।" ❑

(पृष्ठ 22 का शेष) **सुबरनी**

आहुति डाल रहे थे। दोनों की आंखें सजल थीं। मुझे बार-बार ऐसा लग रहा था सुबरनी अभी आएगी और पूछेगी कि बच्चों को क्यों नहीं लाई भौजी? पर कहां है सुबरनी और कहां है उसकी खनकती आवाज।

अगली सुबह जब हम वापस आने लगे तो नाऊन बहू कटोरी में महावर लेकर आई और बोली—"ऐसे सूने पांव कहां जा रही हो, आखिर तुम्हारे पुरखन की डेरी है यह!" नाऊन बहू मेरे पैरों में महावर लगाने लगी।

मेरी कथित अजिया सास ने धोती के पल्लू में बंधे तुड़े-मुड़े ग्यारह रुपये मेरी हथेली पर रख दिए और बोली, "यह तुम्हारी मुंह दिखाई है दुल्हिन—पहली बार आई हो ससुराल।" और फिर मुंह दिखाई का सिलसिला प्रारंभ हो गया। सवा रुपया, पांच रुपया, सात रुपया, पचास रुपया। सबने नोटों के रूप में दिए मान से मेरा आंचल भर दिया। दो बच्चों को जन्म देने के बाद ससुराल में मेरी मुंह दिखाई हो रही थी। मेरा मन उन अपनों के प्रति ममता और आदर से भर उठा। मैं सोचने लगी मैंने पुस्तकों में इंडियन कल्चर के विषय में पढ़ा था, उसके साक्षात् दर्शन आज कर लिए। यह मेरा सौभाग्य है।

मेरी वी.आई.पी. सरकारी कालोनी में कौन किसको जानता है? सब शिक्षित हैं, सभ्य हैं। सब अपने-अपने में व्यस्त हैं, मस्त हैं। पांच सितारा संस्कृति में पले-बढ़े वे लोग इस ग्रामीण संस्कृति को क्या समझें? क्या जानें?

पर यह मेरे ससुर जी का गांव। घोर उपेक्षा के बाद भी जीवित हैं रिश्ते और नाते। मेरे बच्चे भी अब कभी अपने दादा जी के गांव आएंगे तो ये ग्रामवासी उन्हें भी ऐसे ही पहचानेगें जैसे इन्होंने बरसों बाद हमें पहचाना।

पुन: बच्चों के साथ आने का निमंत्रण लेकर मैं आगरा आ गई। पर कभी भी गांव को, गांव में बसे उन अपनों को भूल नहीं पाऊंगी और सुबरनी!!

वह तो हर पल मेरी श्वासों में बसी है। ❑

महिलाएं दलित क्यों

रवीन्द्र कुमार सिंह

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि "जब तक नारी की दशा को सुधारा नहीं जाता, तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। क्या एक पंख से उड़ पाना पक्षी के लिए संभव है? इसमें कोई शक नहीं कि नारी के अस्तित्व के बगैर मानव समाज का निर्माण असंभव है। फिर नारी की स्थिति दोयम दर्जे की क्यों? नारी शोषित, उपेक्षित, दलित क्यों? हमें अपने दोहरे चरित्र को त्यागना पड़ेगा। हमें यह स्वीकारना होगा कि नारी के शरीर में भी पुरुष वर्ग की तरह ही लाल रंग का खून है, उसमें भी सोचने के लिए मस्तिष्क है, उसका भी अपना वजूद है, व्यक्तित्व है, वह भी अपनी मर्जी से जीना चाहती है। फिर भी, हम एक ओर नारी रूपी देवी की पूजा करते हैं तो दूसरी ओर कन्या की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि लिंग आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। फिर भी लिंग-आधार पर भेदभाव हो रहा है, उन पर अनेक तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें भोग की वस्तु माना जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, उनका अनैतिक व्यापार होता है, मनुष्य निर्मित सामानों की तरह उन्हें दहेज की बलि-वेदी पर चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा संविधान महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के मामले में खामोश है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294 और 509, महिलाओं की लाज बचाने से संबंधित है। धारा 294 में यह उपबंध किया गया है कि जो भी व्यक्ति किसी नारी को क्षोभित करते हुए (अ) किसी सार्वजनिक स्थान में कोई अश्लील कर्म करता है या (ख) किसी सार्वजनिक स्थान में या उसके निकट कोई अश्लील गाना, गीत या शब्द गाता या उच्चारित करता है, उसे तीन महीने तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों प्रकार से दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार धारा 509 में उपबंध किया गया है कि जो भी किसी महिला की लज्जा का अपमान करने के आशय से कोई शब्द उच्चारित करता है, कोई ध्वनि या इशारा करता है या किसी वस्तु का प्रदर्शन करता है, यदि ऐसा शब्द या ध्वनि महिला द्वारा सुन ली जाएगी या ऐसा इशारा या ऐसी वस्तु महिला द्वारा देख ली जाएगी या वह इस तरह स्त्री की एकांतता का अतिक्रमण करता है, तो उसे एक वर्ष तक का साधारण कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।

आज दहेज शब्द डरावना प्रतीत होने लगा है। कभी यह माता-पिता का अपनी संतान के प्रति स्नेह और मोह का प्रतीक रहा होगा। कालांतर में यह प्रथा एक कठोर रूढ़ि बनकर सामाजिक और पारिवारिक परिस्थिति के साथ जुड़ गई। आज इसी रूढ़ि के कारण आए दिन नवविवाहिताएं दहेज की बलि-वेदी पर चढ़ रही हैं। इस बुराई से लड़ने के लिए 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अधीन अपराध असंक्षेय होते थे और स्वेच्छा से दिए गए उपहारों को भी इसके कार्य क्षेत्र से बाहर रखा गया था। इन्हीं कमियों की वजह से इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका। इसलिए इस अधिनियम को दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 1986 के रूप में संशोधित किया गया और अधिक कड़े तथा प्रभावी उपायों का उपबंध किया गया। दहेज लेने या इसके लिए दुष्प्रेरित करने के लिए न्यूनतम दंड को बढ़ाकर पांच वर्ष तथा 15,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। इसके अलावा इस अधिनियम के अधीन अपराध पर अब जमानत नहीं हो सकती। दहेज की मांग न किया जाना सिद्ध करने का भार अब उस व्यक्ति पर डाला गया है जो दहेज लेता है या लेने के लिए दुष्प्रेरित करता है।

आज महिलाओं को कारखाने में उत्पादित वस्तुओं के समान दर्जा प्राप्त है। उनका व्यापार होता है। मानव-व्यापार के बारे में अंतर्राष्ट्रीय चिंता पर सबसे पहले लीग आफ नेशन्स ने बीसवीं शताब्दी के आरंभ में ध्यान केन्द्रित किया। स्त्रियों तथा बच्चों के अनैतिक व्यापार के दमन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में चकलों के दमन का आह्वान किया गया और स्त्री-पुरुष दोनों ही का व्यापार करने वाले तथा अनैतिक प्रयोजनों के लिए स्त्रियों और लड़कियों की दलाली करने वाले तथा फुसलाने वाले लोगों का पता लगाने तथा उन पर अभियोग चलाने के लिए उपायों का प्रस्ताव रखा गया। इस सम्मेलन में हस्ताक्षर-कर्ताओं में भारत भी एक था। अत: इस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास के अनुपालन में बंगाल, मुंबई तथा चेन्नई की प्रेसीडेंसियों ने अनैतिक व्यापार के दमन के लिए अपने-अपने यहां कानून पारित किए।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात स्त्रियों के अनैतिक व्यापार के उन्मूलन पर एक मई 1950 को न्यूयार्क में एक सम्मेलन हुआ जिसमें मानव-व्यापार की समस्या से निपटने के लिए समुचित कानून बनाने हेतु सभी देशों का आह्वान किया गया। सम्मेलन में हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी एक था। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव-व्यापार पर प्रतिबंध है। इसके अनुसार इस प्रतिबंध का उल्लंघन करना कानूनन दंडनीय अपराध होगा। इस संवैधानिक प्रावधान तथा न्यूयार्क सम्मेलन के फलस्वरूप आए हुए दायित्व को निभाने के लिए भारत सरकार ने स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 बनाया और 1958 में इसे पूरे भारत में लागू किया गया। इसमें अवैध व्यापार को समाप्त करने तथा चकलों के उन्मूलन का प्रावधान है।

विधि आयोग ने स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के संबंध में अपने 64वें प्रतिवेदन में कई सिफारिशें कीं। समाज कल्याण मंत्रालय ने संबंधित पदाधिकारियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श करके इन सिफारिशों के आधार पर 1978 में स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 का संशोधन किया।

प्रश्न यह नहीं कि हमारे कानून की मोटी-मोटी पुस्तकों में क्या लिखा है? प्रश्न यह है कि कितनी स्त्रियों को मालूम है कि वे अपने शोषण के

विरुद्ध कानूनी तौर पर क्या कर सकती हैं? आज जरूरत है चारित्रिक गुणों को विकसित करने की, जनजागरण पैदा करने की। आज जरूरत है पाठ्यक्रम में कानून की अनिवार्य शिक्षा को शामिल करने की। केवल कानून बना देने से बहुत ज्यादा स्थिति सुधरने की आशा करना व्यर्थ होगा क्योंकि जब तक समाज से गलत रूढ़ियों का उन्मूलन नहीं होगा, तब तक सामाजिक विषमता बनी रहेगी और महिलाएं दलित, शोषित तथा उपेक्षित ही रहेंगी।

डा. अम्बेडकर ने कहा था कि "मैं महसूस करता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाए, खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा।" आज जरूरत है आत्म-मंथन करने की कि क्या हमने चारित्रिक गुणों को विकसित कर लिया है? डा. राजेन्द्र प्रसाद ने संविधान सभा में कहा था कि "यदि वे लोग जो चुन कर आएंगे, योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यदि उनमें इन गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नहीं कर सकता। आखिर एक मशीन की तरह संविधान भी निर्जीव है।"

विडम्बना तो यह है कि महिलाएं भी अपने आपको गुलाम, पराधीन और दलित नहीं मानतीं। महान समाज शास्त्री डेविस ने लिखा है कि "चीन में स्त्रियों के पांव बांध दिए जाते थे अथवा भारत में उनको पर्दे में रखा जाता था फिर भी वे यह नहीं मानती थीं कि उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है बल्कि उनको इसका गर्व था।" आज भी उनके साथ बहुत कुछ उसी तरह का व्यवहार किया जाता है लेकिन वे अपने विरुद्ध शोषण को सहज स्वीकार कर इसे अपनी नियति मान लेती हैं। आज हर समाज, हर परिवार में महिलाओं का शोषण जारी है। यह अलग बात है कि तथाकथित रूप से सभ्य कहलाने वाले समाज और परिवार में शोषण का तरीका कुछ अलग है। महिलाओं को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पति लाख व्याभिचारी हो लेकिन उसकी सेवा करने में ही वे खुशी महसूस करती हैं। उसी दुराचारी पति को परमेश्वर मानने में वे अपने नारी धर्म की रक्षा करना मानती हैं। इस समाज ने महिलाओं को अबला कह कर, उन्हें निरीह प्राणी बना दिया। उनका शोषण करने के लिए उनके कोमल मन की मानसिकता का लाभ उठाया जाता है। इस पुरुष प्रधान समाज ने धर्मशास्त्रों की अच्छी बातों को गौण कर दिया। इस समाज ने मनु के इस वाक्य को भुला दिया जिसमें मनु ने कहा है कि—

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:।
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला: क्रिया:॥

अर्थात जहां स्त्रियों का आदर किया जाता है वहां देवता रमण करते हैं और जहां इनका अनादार होता है, वहां सब कार्य निष्फल होते हैं।

यह पुरुष-प्रधान समाज हर स्तर पर दोहरा चरित्र जीना चाहता है—चाहे वह जन्म का मामला हो, विवाह, शिक्षा या विधवा का मामला हो। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को मान्यता दी गई है। लेकिन आज भी विधवाओं की क्या स्थिति है? कितनी विधवाओं की शादी हो रही है? वास्तविकता तो यह है कि विधवाओं को अशुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों का सहारा लेकर उनकी स्थिति बदतर बना दी गई है।

महिलाओं की स्थिति तो यहां तक बदतर है कि यदि उनको कोई संतान नहीं है तो उन्हीं में खोट निकाला जाता है। यदि पुत्र नहीं, केवल पुत्री संतान है तो भी उन्हीं को कोसा जाता है जबकि आज विज्ञान ने प्रमाणित कर दिया है कि पुत्र नहीं होने के लिए शत-प्रतिशत पुरुष जिम्मेदार है, उसी में खोट है। इसके बावजूद समाज ऐसे पुरुष को पुनर्विवाह के लिए प्रोत्साहित करता है और दुख तो इस बात का है कि ऐसे पुरुष से लड़कियां भी शादी करने को तैयार हो जाती हैं। महिलाओं को पुरुष-प्रधान समाज के इस दोहरे चरित्र के खिलाफ मुखर होना पड़ेगा, यदि विधुर शादी कर सकता है तो विधवा क्यों नहीं?

महिलाओं को अपने अहं भाव को जगाना होगा, अपने वजूद को महसूस करना पड़ेगा, समाज की इन बुराइयों के खिलाफ मुखर होना पड़ेगा तभी उन्हें बराबरी का दर्जा प्राप्त होगा।

आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के संबंध में अनेक सम्मेलन हो रहे हैं, उसमें कुछ गिनी-चुनी महिलाएं ही भाग लेती हैं। इन सम्मेलनों में कुछ महिलाओं के सम्मिलित होने को यह मान लेना कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफी सुधर गई है, हमारी गलती होगी। महान समाज शास्त्री डेविस ने लिखा है कि "यह अत्यंत संदेहजनक है कि लिंग-भेद के आधार पर प्रदत्त परिस्थिति का भेद कभी समाज से पूर्णतया समाप्त हो जाएगा।" भेद-भाव के विरुद्ध महिलाओं को सामने आना होगा और समाज के तथाकथित ठेकेदारों से पूछना होगा कि स्त्रियों की संख्या 1901 में प्रति 1,000 पुरुष पर 972 थी तो आज स्त्रियों की संख्या प्रति 1,000 पुरुष पर 927 कैसे हो गई? अगर महिलाएं समय रहते जागरूक नहीं हुईं तो इस पुरुष-प्रधान समाज में वे शोषित, उपेक्षित, गुलाम और दलित ही रहेंगी और उन्हें एक वस्तु ही माना जाता रहेगा। ❑

लेखकों से

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, कविता, संस्मरण, लघुकथा आदि रचनाएं टाइप कराकर दो प्रतियों में भेजिए। रचनाओं के साथ मौलिकता का प्रमाणपत्र संलग्न होना चाहिए। जिन रचनाओं के साथ ऐसा प्रमाणपत्र संलग्न नहीं होगा, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाना न भूलें। सभी रचनाएं संपादक, 'कुरुक्षेत्र', ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पते पर भेजें।

—सम्पादक

भारत की कुल जनसंख्या का 74.3 प्रतिशत भाग 5.5 लाख गांवों में निवास करता है और 69 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 40 प्रतिशत है। देश को निर्यात मूल्य का 35 प्रतिशत भाग कृषि उपजों से प्राप्त होता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र उत्पादन, रोजगार, आय तथा निर्यात प्राप्तियों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय अर्थ-व्यवस्था के किसी भी प्रारूप में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता है जबकि ग्रामीण विकास के बिना भारत के आर्थिक विकास की परिकल्पना वास्तविक नहीं रह जाती। महात्मा गांधी का तो आर्थिक दर्शन ही ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को सक्षम बनाने पर केन्द्रित था। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण था कि भारत का विकास देश के ग्रामीण क्षेत्र के विकास में ही निहित है। ग्रामीण विकास से आशय ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक सुधार के साथ-साथ व्यापक सामाजिक परिवर्तनों से है। आर्थिक प्रगति के लिए कृषि में तकनीकी सुधार, ग्रामीण क्षेत्र में परिसम्पत्तियों, औद्योगिक इकाइयों के सृजन, बुनियादी सुविधाओं के विकास और योजनाओं के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ऊर्जा और आवास की व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण को भी वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है।

भारत में एक लंबे समय तक भारत के कृषि विकास को ही ग्रामीण विकास का पर्याय समझा गया। किंतु वर्ष 1970 के बाद ग्रामीण विकास की अवधारणा में मूलभूत परिवर्तन हुआ और इसका क्षेत्र समवर्ती योजनाओं में अधिक विस्तृत कर दिया गया। इस प्रकार ग्रामीण विकास ऐसे समन्वित कार्यक्रमों, क्रियाकलापों तथा नीतियों का समन्वित आधार है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के विकास, स्थानीय भौतिक तथा जनपूंजी के अनुकूलतम प्रयोग और ग्रामीण व्यक्तियों के रहन-सहन में सुधार के प्रयास किए जाते हैं।

भारत में योजना के आरंभ से ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक प्रगति और ग्रामीण समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के भरसक प्रयास किए गए तथा ग्रामीण विकास में लोगों की सहभागिता में वृद्धि की गई। ग्रामीण विकास के लिए योजनाकाल में विभिन्न योजनाएं बनाई गईं। समस्याग्रस्त क्षेत्रों, वर्गों और कृषि के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए। इसके परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन आया है साथ ही लोगों के रहन-सहन के स्तर में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों अब परंपराओं के बंधन शिथिल हुए हैं। दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में विका की गति तीव्र हुई है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्र के 50 वर्ष बाद देश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुध हुए हैं।

भारत के ग्रामीण जीवन में समृद्धि की संभावनाओं के लक्षण प्रक होने लगे हैं, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि परिवर्तन की गति उतनी ती नहीं हो पायी है, जितनी संभावित थी। स्वतंत्रता के बाद से भारत क ग्रामीण जनसंख्या के विस्तार की जानकारी आगे दी जा रही तालिक से स्पष्ट होती है।

स्वतंत्रता के पचास वर्षों में कृषि : एक मूल्यांकन

डा. एस.सी. जैन*

तालिका
भारत की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या
(वर्ष 1951 से 1991 तक) (करोड़ मे

वर्ष	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख का प्रति
1951	36.1	29.2	6.2	82
1961	43.9	36.0	7.9	82
1971	54.8	43.9	10.9	80
1981	68.5	52.6	15.9	76
1991	84.4	62.7	21.7	74

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली (वर्ष 1990-9

तालिका से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद 1951 में भारत की कु जनसंख्या 36.1 करोड़ थी, जिसमें 29.9 करोड़ अर्थात 82.8 प्रतिश ग्रामीण जनसंख्या थी। नियोजन काल में प्रगति के आधार पर विग दशकों में ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में आंशिक कमी आई पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या में काफी वृद्धि हुई है

आयोजनाओं में ग्रामीण विकास की उपलब्धियां

ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सभी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य र है। तीसरी योजना के प्रारंभिक वर्षों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत गांवों में बुनियादी विस्तार तथा विकास सेवाएं आरंभ की ग

* प्राध्यापक वाणिज्य विभाग, डेनियलसन कालेज छिन्दवाड़ा, मध्य प्रदेश

सें ग्रामीण लोगों में विकास की संभावनाओं के संबंध में जागृति उत्पन्न
ई तथा पांचवीं योजना के मध्य में कृषि कार्यों में प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों
ा तुरंत अपनाया जाना संभव हो सका। मध्यस्थ भू-स्वामियों के हटाए
ने, पट्टेधारी पद्धति में सुधार होने तथा पंचवर्षीय योजनाओं के
रिणामस्वरूप अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास के
ए आवश्यक भौतिक और संस्थागत ढांचा तैयार हो गया। छठी योजना
मध्य सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
पनाए गए तथा स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के लाभ का लक्ष्य रखा
या। इसके अलावा वर्ष 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को
या रूप प्रदान किया गया। पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय
समानताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से विकास की विशेष योजनाएं
रंभ की गईं। आठवीं योजना में ग्रामीण विकास संबंधी मूलभूत सुविधाओं
लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम बनाए गए।

1997-98 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय के लिए
096 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इसमें से ग्रामीण विकास विभाग
लिए 2,195 करोड़ रुपये, रोजगार और गरीबी उन्मूलन के लिए 6,806
रोड़ रुपये और बंजर भूमि विकास के लिए 95 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

ायोजनाओं में कृषि विकास की उपलब्धियां

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय कृषि अत्यंत निराशाजनक स्थिति में
। कृषक भाग्यवादी, रूढ़िवादी और अशिक्षित थे। उत्पादन की मात्रा
नसून पर निर्भर करती थी, कृषक ऋणग्रस्तता के भार में दबे हुए थे और
षपूर्ण भूमि व्यवस्था के कारण जमीदारों द्वारा कृषकों का शोषण किया
ाता था। ऐसी स्थिति में देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय
जनाओं में कृषि विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गई जिसे
म्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है।

तालिका

भारतीय आयोजनाओं में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों पर व्यय

(करोड़ रुपये में)

जनाएं	कृषि पर किया गया व्यय	योजना के कुल व्यय का प्रतिशत
थम योजना	290	14.8
तीय योजना	549	11.7
तीय योजना	1,089	12.7
न वार्षिक योजनाएं	1,107	16.8
थी योजना	2,320	14.7
ंचवीं योजना	4,865	12.3
ठी योजना	15,201	13.9
ातवीं योजना	31,509	14.4
ाठवीं योजना	63,643	14.7

ोत : भारत संदर्भ वर्ष 1993, भारत सरकार

तालिका से स्पष्ट है कि कृषि उत्पादन की औसत वृद्धि दर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और कृषि क्षेत्र में संस्थागत तथा तकनीकी सुधार कार्यक्रमों से कृषि उत्पादन में सुधार आया है। खाद्यान्नों की दृष्टि से देश आत्मनिर्भरता की स्थिति में आ गया। इस अवधि में धान के उत्पादन में लगभग चार गुना और गेहूं के उत्पादन में लगभग नौ गुना वृद्धि हुई है। गैर-खाद्यान्न फसलों की भी प्रगति उल्लेखनीय रही है।

मूल्यांकन

कृषि भारतीय अर्थ-व्यवस्था का आधार है क्योंकि कृषि की प्रगति ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था पर प्रत्यक्ष और तात्कालिक प्रभाव डालती है। योजनाबद्ध विकास के आरंभ से आज तक भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वर्तमान संदर्भ में यद्यपि गैर-कृषि कार्यों का विस्तार हो रहा है, लेकिन आज भी कृषि क्षेत्र भारत की राष्ट्रीय आय में 29.4 प्रतिशत का योगदान देता है। इसके अतिरिक्त देश की कुल श्रम शक्ति का लगभग दो-तिहाई भाग कृषि संबंधित क्रियाओं से अपनी आजीविका का निर्वहन करता है। विगत दशकों में हरित क्रांति ने न केवल भारतीय कृषि की उत्पादकता में वृद्धि की है, बल्कि कृषकों की आय अर्जन शक्ति को भी बढ़ाया है। वास्तव में कृषि क्षेत्र में प्रगति वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास से हुई है। इस समय देश के सकल घरेलू उत्पाद का 31.8 प्रतिशत कृषि सम्बद्ध क्रियाओं से उत्पन्न होता है। जनसंख्या वृद्धि के साथ कृषि उत्पादन में क्रमशः वृद्धि हो रही है। वर्ष 1995-96 में यह 19.20 करोड़ टन से अधिक हो गया है। इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां अच्छी रही हैं।

निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि देश के समग्र विकास की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती, जब तक बिजली, संचार और यातायात के साधन प्रचुर मात्रा में नहीं हों। वास्तव में विकास के लिए ये आधार का काम करते हैं। इसलिए उन्हें बुनियादी ढांचा कहा जाता है। ग्रामीण तथा कृषि से सम्बद्ध क्रियाओं की उपलब्धियों से देश का आर्थिक विकास संभव हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर कारगर तरीके से अमल किया जाए तो कृषि तथा ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल सकती है जिससे भारत के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। ❑

संदर्भ

1. भारत संदर्भ ग्रंथ 1993, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. मेनुअल, वर्ष 1991, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण आदेशों एवं निर्देशों का संकलन, भाग-दो (1994 से 1996), मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
4. इण्डिया इकोनोमिक इन्फोरमेशन इयर बुक, 1987-88, ए.एन. अग्रवाल, नेशनल बुक हाऊस, नई दिल्ली।
5. प्रतियोगिता दर्पण, हिन्दी मासिक, अक्तूबर 1997।
6. कुरुक्षेत्र, अगस्त 1996, रोजगार एवं कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली।

15 मार्च, उपभोक्ता दिवस पर विशेष

उपभोक्ता : अधिकार और संरक्षण

डा. दिलीप सिंह*

आज प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता है। उपभोक्तावाद के इस युग में उपभोक्ता संरक्षण के लिए उठ रही आवाजें उपभोक्ताओं पर हो रहे अत्याचारों का संकेत देती हैं। आधुनिक व्यवसाय उपभोक्ता-प्रधान न होकर विक्रय-प्रधान होता जा रहा है तथा यह बात पुरानी हो गई है कि उपभोक्ता बाजार का राजा है।

उपभोक्तावाद के इस युग में उपभोक्ता का शोषण अनेक प्रकार से किया जाता है। व्यवसायी मिलावट, गलत माप-तौल, मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव, झूठे आश्वासनों, भ्रामक प्रचार, मुनाफाखोरी आदि के द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण करता है। उपभोक्ता असंगठित, असहाय, उपेक्षित और शोषित हैं। आज उपभोक्ता अधिकारों का निरंतर हनन किया जाता है। वह व्यवसायियों के घृणित अत्याचारों को सहता है। अत: आज का उपभोक्ता 'गूंगा और बहरा राजा' है।

उपभोक्ता संरक्षण की जरूरत

उपभोक्ता के हितों की रक्षा और उनके समुचित संरक्षण के लिए प्राचीन काल से ही उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। व्यवसाय में बढ़ती धन संग्रह की लालसा, लाभ की लालच, स्व-हित की चिंता के कारण व्यवसायी अनैतिक हथकंडों से उपभोक्ताओं का शोषण करता है, जिसे रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण का महत्व और बढ़ जाता है।

आज उपभोक्ता को श्रेष्ठ सेवा प्रदान करने की प्रतिस्पर्धा का स्थान 'उपभोक्ता को भ्रमित करने' तथा 'ग्राहक की इच्छा को प्रभावित करने' की प्रतिस्पर्धा ने ले लिया है। व्यवसायी यह जानते हैं कि भारतीय उपभोक्ता अत्यधिक दब्बू है और वह सब जानते हुए भी अपने शोषण के विरुद्ध आवाज नहीं उठाता। लेकिन अब समय आ गया है कि वह अपने अधिकारों के प्रति सचेत और संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद करे। उपभोक्ता के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। उपभोक्ता के अधिकारों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है :

- उपभोक्ता को उन वस्तुओं के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है जो जीवन तथा सम्पत्ति के लिए हानिकारक या प्राणघातक हो सकती हैं।
- उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह किसी वस्तु को क्रय कर से पूर्व उस वस्तु की किस्म, गुण, मूल्य आदि के बारे में जानका प्राप्त कर ले।
- उपभोक्ता को बाजार में उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं में से अप रुचि और पसंद के अनुसार चयन करने का अधिकार है।
- यदि उपभोक्ता ने किसी माल का क्रय किया है और माल में दो होने की वजह से यदि उसे हानि या असुविधा होती है तो वह इस लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है।
- उपभोक्ता को अपने हितों की रक्षा करने, अधिकारों के प्रति सज रहने, सुदृढ़ तथा विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए उपभोक्ता-शिक्ष का अधिकार है।
- उपभोक्ता को माल या सेवा की कमियों और सुझावों को प्रक करने का अधिकार है।
- उपभोक्ता को स्वस्थ पर्यावरण में जीने का अधिकार है जिस जीवन में गुणात्मक वृद्धि हो सके।
- उपभोक्ता को उचित कीमत और सही समय पर आधारभूत वस्तु प्राप्त करने का अधिकार है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986

सरकार ने समय-समय पर कई नियम और अधिनियम बनाए हैं जिससे उपभोक्ता के हितों की समुचित सुरक्षा हो सके। वर्तमान में वैसे त कई नियम और अधिनियम लागू हैं, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनिय 1986 उपभोक्ताओं के हितों का प्रबल प्रहरी बन गया है। इस अधिनिय का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी इच्छाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराना है। यदि वस्तु या सेवा में किस प्रकार की कमी या त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए उपभोक्ता दोष व्यक्ति के विरुद्ध परिवाद ला सकता है तथा क्षतिपूर्ति प्राप्त करने क अधिकार रखता है।

उपभोक्ता संरक्षण कानून एक महत्वपूर्ण कानून है जो उपभोक्ताओं क सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाता है। हमारे देश में इस कानून को ला करने के लिए तीन-स्तरीय व्यवस्था की गई है। जिला स्तर पर जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण का कार्य करता है जो प्रत्येक जिले में स्थित है, राज्य स्तर पर 'राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण' है जो प्रत्येक राज्य में है तथ राष्ट्रीय स्तर पर 'राष्ट्रीय आयोग उपभोक्ता संरक्षण' जो नई दिल्ली में स्थित है। जिला मंच को पांच लाख रुपये तक के मूल्यांकन वाले मामल की सुनवाई का अधिकार है, राज्य आयोग को 5-20 लाख रुपये तक के और राष्ट्रीय आयोग को 20 लाख रुपये से अधिक के मूल्यांकन वाल मामले की सुनवाई का अधिकार है। जिला मंच के निर्णय के विरुद्ध अपील राज्य आयोग में 30 दिन में की जा सकती है जबकि राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय आयोग में 30 दिन में की जा सकती है। राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में 30 दिन में की जा सकती है।

*सहायक प्रोफेसर, व्यावसायिक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

जिला मंच में एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, जिला तथा त्र-न्यायाधीश स्तर का व्यक्ति होता है। दो सदस्यों में एक महिला दस्य का होना आवश्यक है। सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शिक्षा, ापार और वाणिज्य के संबंध में पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव रखते हैं। राज्य ायोग में एक अध्यक्ष होता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश स्तर का क्ति होता है। राज्य आयोग में भी दो सदस्य होते हैं जिसमें एक महिला दस्य होना अनिवार्य है। सदस्य योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले क्ति होते हैं जिन्हें अर्थशास्त्र, विधि, वाणिज्य, लेखाकर्म, उद्योग, लोक र्य या प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव होता है। राष्ट्रीय आयोग में क अध्यक्ष और चार सदस्य होते हैं। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के ायाधीश स्तर का व्यक्ति होता है। चार सदस्यों में एक महिला का होना ावश्यक है। सदस्यों की योग्यता राज्य आयोग के सदस्यों के अनुरूप ही ती है।

उपभोक्ता को अपना परिवाद संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मंच या आयोग प्रस्तुत करना होता है। परिवाद प्रस्तुत करने के लिए किसी अधिवक्ता ी जरूरत नहीं होती। मंच या आयोग की संपूर्ण कार्यवाही सादे कागज र की जाती है तथा किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता। परिवाद प्रस्तुत रने की अवधि दो वर्ष है।

यदि कोई उपभोक्ता किसी व्यापारी, विक्रेता, निर्माता को अनुचित रूप से परेशान करने के लिए मिथ्या परिवाद प्रस्तुत करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है।

उपभोक्ता आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाए

उपभोक्ता संरक्षण के प्रयासों को सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी वर्ग के लोगों को उपभोक्ता आंदोलन से जोड़ा जाना चाहिए। सरकार को स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इसमें कुछ संशोधन किए जाने चाहिए। व्यावसायिक संगठनों को उपभोक्ता संघों के साथ पूर्ण सहयोग करना चाहिए। भ्रामक तथा मिथ्या विज्ञापन करने वाले व्यवसायियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। पीड़ित उपभोक्ताओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण पर अधिकाधिक साहित्य प्रकाशित किया जाना चाहिए और इसे स्कूल तथा कालेजों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपभोक्ता संरक्षण वर्तमान समय की मांग है, इसे सफल बनाने के लिए सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित है। ❑

(पृष्ठ 19 का शेष) **इंदिरा आवास योजना : नये आयाम**

- आवश्यक है कि प्रत्येक ऐसे मकान में रसोई और उसमें रोशनदान आदि भी होना चाहिए।

ोजना को अधिक सार्थक बनाने हेतु कुछ सुझाव

इंदिरा आवास योजना को अधिक से अधिक सार्थक, उपयोगी तथा फल बनाने के लिए और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत रकार तथा संबंधित प्रदेश सरकारें यथासंभव भरसक प्रयास कर रही हैं। फर भी इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने तथा इसके सफल पादन के लिए निम्न तरीकों पर विचार कर उन्हें अपनाने पर विचार किया ाना समयानुकूल होगा जैसे—

- आवास निर्माण हेतु यदि प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाए, तो इसे संभवतया अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना संभव हो पाएगा।
- आवासों का निर्माण केवल समूहों में ही किया जाए तो इनका उपयोग अधिक सुविधाजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा।
- यथासंभव इंदिरा आवास ग्रामीण आबादी के निकट निर्मित किए जाएं जिससे उनका अतिशीघ्र उपयोग सुनिश्चित हो सके।
- इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- अधिकांश आवासों के संबंध में पाया गया है कि शौचालय के लिए आवश्यक पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। अत: स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ इनके उपयोग हेतु जल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
- लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया में सुधार करते हुए भरसक प्रयत्न किया जाए ताकि वास्तविक रूप से जरूरतमंद लोगों को ही योजना के अंतर्गत चयनित होने के अवसर मिल सकें।
- योजना के अंतर्गत आने वाले बिचौलियों, ठेकेदारों, दलालों तथा भ्रष्ट लोगों पर कड़े नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- भवन सामग्री, मजदूरी आदि में लगातार हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसके लिए यथेष्ट वृद्धि करते हुए प्रत्येक वर्ष समुचित राशि निर्धारित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- भवनों के निर्माण में स्थानीय, सस्ती तथा वैकल्पिक निर्माण सामग्री के प्रयोग पर बल देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए। साथ ही लाभार्थियों को इसके संबंध में आवश्यक जानकारी देने और उन्हें इसके प्रयोग के लिए पर्याप्त रूप से अभिप्रेरित करने का प्रयत्न किया जाए।
- योजना में प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार आदि को रोका जा सके। ❑

कुरुक्षेत्र 40 वर्ष पहले

ग्रामदान आंदोलन*

श्रीमन्नारायण

ग्रामदान आंदोलन भूदान यज्ञ का एक स्वाभाविक विकास है। प्रारंभ में आचार्य विनोबा जी चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जमीन का छठवां हिस्सा भूदान यज्ञ में दे दे। उनका विचार था कि इस प्रकार 30 करोड़ एकड़ जमीन में से लगभग 5 करोड़ एकड़ जमीन प्राप्त हो सकती है, जो करीब एक करोड़ बेजमीन मजदूरों के परिवारों को बांटी जा सकेगी। किंतु भूदान यज्ञ आंदोलन के सामने पूरे गांव का कोई नया चित्र नहीं था। इतना ही ख्याल था कि किसी गांव में कोई बेजमीन न रहे और जो अपनी मेहनत से खेती करना चाहता है, उसे भूमि प्राप्त हो सके। किंतु धीरे-धीरे विनोबा जी को संपूर्ण गांव के गांव दान में मिलने लगे। प्रत्येक गांव के छोटे-मोटे सभी काश्तकार अपनी जमीन अर्पण कर देते हैं और आचार्य विनोबा जी फिर सारी जमीन को प्रत्येक कुटुम्ब की आवश्यकता के अनुसार वितरित करा देते हैं। इस प्रकार जिसके पास 25 एकड़ जमीन है, उसे सिर्फ 5 एकड़ भूमि मिल जाती है और जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसे 4 या 5 एकड़ जमीन प्राप्त हो जाती है। अंदाजा यही रखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के पीछे, एक एकड़ जमीन दे दी जाए, यानी एक कुटुम्ब को लगभग 5 एकड़। अगर जमीन साधारण है तो कुछ अधिक मात्रा में मिल सकती है और यदि तर या सिंची हुई जमीन है, तो इससे भी कम में काम चल सकता है। ग्रामदान वाले गांव की जमीन का बंटवारा उसकी गांव सभा की मार्फत होता है। इस गांव सभा में प्रत्येक कुटुम्ब से एक प्रतिनिधि लिया जाता है। गांव के पुनर्गठन की सारी जिम्मेदारी इसी गांव सभा पर छोड़ी जाती है। अब तक लगभग साढ़े तीन हजार गांव ग्रामदान में मिल चुके हैं, जिसमें से करीब आधे उड़ीसा में हैं।

21 और 22 सितंबर को मैसूर के पास यलवल में एक ग्रामदान परिषद हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, केन्द्रीय सरकार के प्रमुख मंत्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व देश के प्रमुख रचनात्मक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। आचार्य विनोबा जी ने इस परिषद् के सामने ग्रामदान संबंधी अपनी योजना रखी। दो दिन के विचार-विनिमय के बाद परिषद ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया, जिसमें देश से अपील की गई कि आचार्य विनोबा जी को ग्रामदान आंदोलन में सबका सहयोग प्राप्त हो और सरकार की विकास योजनाओं के साथ भी ग्रामदान का संबंध जोड़ा जाए। इसके अनुसार कुछ दिन पहले दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। उसमें यह तय किया गया कि सामूहिक विकास योजनाओं के कार्यक्रम में ग्रामदान को विशेष स्थान दिया जाए। हमें पूरी आशा है कि ये दोनों कार्यक्रम सम्मिलित रूप से चल सकेंगे और एक-दूसरे को बल भी देंगे।

ग्रामदान आंदोलन सिर्फ एक आर्थिक आंदोलन नहीं है। यह कार्यक्रम सिर्फ जमीन के पुनर्वितरण का नहीं है। इसकी बुनियाद नैतिक है, जिसकी वजह से जीवन-मूल्यों में परिवर्तन होता है। आज के समाज में लेने का ही अधिक स्थान है। देने का बहुत कम है। प्रत्येक व्यक्ति समाज से कुछ लेना चाहता है, देना कुछ नहीं चाहता। त्याग के बजाय, भोग और स्वार्थ-परायणता का अधिक बोलबाला है। आचार्य विनोबा जी का आंदोलन इन बुनियादी मूल्यों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। एक-एक एकड़ के लिए लोग खून खराबा करते हैं और कचहरियों में झगड़ते हैं। इस आंदोलन की वजह से अब तक लगभग 35 लाख एकड़ जमीन भूदान में मिल चुकी है और तीन हजार से अधिक गांव ग्रामदान में प्राप्त हो चुके हैं। यह सचमुच एक बड़ी क्रांति है जो अहिंसा तथा शांति पर आधारित है, हिंसा या खून-खराबी पर नहीं। यह ख्याल गलत है कि क्रांति हिंसक ही होती है। सच तो यह है कि असल क्रांति तो शांतिमय और अहिंसक ही हो सकती है। महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को शांति के रास्ते से ही राजनीतिक आजादी दिलाई थी। आचार्य विनोबा जी चाहते हैं कि भारतवर्ष में सामाजिक तथा आर्थिक स्वतंत्रता भी शांति और अहिंसा के रास्ते से ही प्राप्त हो। इस दृष्टि से भूदान और ग्रामदान आंदोलन हमारे राष्ट्रीय जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं।

इस आंदोलन ने केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में काफी प्रभाव फैलाया है। दुनिया के काफी देशों के लोग इस आंदोलन के बारे में जानना चाहते हैं और कई लोग भारतवर्ष में आकर इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इस आंदोलन से न सिर्फ हमारे गांव की समस्या ठीक तौर से हल हो सकेगी, बल्कि एक नया विचार देश में तथा दुनिया में फैल सकेगा। यह विचार महात्मा गांधी जी का 'सर्वोदय विचार' है। ग्रामदान की मार्फत आचार्य विनोबा जी ने सर्वोदय के विचार को मूर्त रूप दिया है। आज तक लोग समझते थे कि अहिंसा की मार्फत हमें राजनीतिक आजादी भले ही मिल जाए, किंतु कठिन सामाजिक और आर्थिक प्रश्न अहिंसा की मार्फत हल नहीं हो सकते। आचार्य विनोबा ने प्रत्यक्ष में दर्शाया है कि किस प्रकार अहिंसा तथा सर्वोदय की मार्फत जमीन जैसी कठिन आर्थिक समस्या भी आसानी से हल की जा सकती है।

उन्होंने समय-समय पर अनेक प्रकार से इस आंदोलन की विशेषताओं को समझाया है। वे कहते हैं कि, "आज जो ग्रामदान का आंदोलन चल रहा है, वह एक प्रकार से आत्म-दर्शन की खोज है। जब तक हम अपनी आत्मा को एक ही देह में मर्यादित मानते हैं, तब तक आत्मा का दर्शन हमसे दूर होगा। आत्मा किसी एक ही देह में नहीं, अनेक शरीरों में है। उनमें एक हमारी देह भी है। इसलिए सबके साथ मिल कर आनंद प्राप्त करने में व्यापकता बढ़ती है और आत्मा व्यापक बनने के लिए लगातार आतुर रहती है।

(शेष पृष्ठ 38 पर)

* कुरुक्षेत्र, मार्च 1958 अंक से उद्धृत

ग्रामीण विकास के सूत्र

दिलीप कुमार

भारत की आत्मा गांवों में बसती है

—महात्मा गांधी

सच ही कहा गया है ''भारतमाता ग्रामवासिनी''। गांधी जी का मानना था गांवों के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने 1945 में श्री नेहरू को एक पत्र में लिखा था—''मेरे आदर्श गांव में बुद्धिमान व्यक्ति होंगे। वे पशुओं की तरह गंदगी और अंधेरे में नहीं रहेंगे। .....पुरुष और महिलाएं स्वतंत्र होंगे..... न कोई बेकार होगा और न कोई ऐशो आराम में लौटेगा.....।''

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार ने ग्रामीण विकास की ओर ध्यान दिया। कई पंचवर्षीय योजनाओं का सफर करते हुए स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष तक गांवों ने उल्लेखनीय प्रगति की है। गांवों तक पक्की सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण से लेकर गैर-परंपरागत ऊर्जा के कई उपागम और दूरदर्शन तथा टेलीफोन जैसी सुविधाएं भी पहुंच चुकी हैं। ग्रामीण विकास में राज्य की भूमिका बढ़ाने के लिए सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का नाम बदलकर 'ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय' कर दिया है और इसके अंतर्गत तीन विभाग रखे गए हैं : ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा बंजर भूमि विकास विभाग। ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग को अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से दिहाड़ी रोजगार में वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वरोजगार और उद्यमशीलता के विकास का दायित्व, सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम और मरुभूमि विकास कार्यक्रम लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। ग्रामीण विकास विभाग को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू करने तथा बंजर भूमि विकास विभाग को बंजर भूमि के विकास का दायित्व सौंपा गया। इन योजनाओं के अंतर्गत चलाए जाने वाले प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

जवाहर रोजगार योजना

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम' तथा 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम' को मिलाकर एक अप्रैल 1989 से जवाहर रोजगार योजना नामक वृहद ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया। वर्ष 1993-94 से यह कार्यक्रम तीन धाराओं में चलाया जा रहा है। प्रथम धारा के अंतर्गत इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुंओं की योजना; द्वितीय धारा जिसे सघन जवाहर रोजगार योजना के नाम से जाना जाता है, के अंतर्गत चुने गए 120 पिछड़े जिलों में अतिरिक्त धन की व्यवस्था करने तथा तृतीय धारा के अंतर्गत विशिष्ट और नवीन योजनाओं को शामिल किया गया है। वर्ष 1995-96 के योजना मूल्यांकन तथा राज्य सरकारों की मांग के आधार पर इंदिरा आवास योजना तथा दस लाख कुंओं की योजना को स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया गया। सघन जवाहर रोजगार योजना को एक जनवरी 1996 से सुनिश्चित रोजगार योजना में मिला दिया गया।

जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार वाले पुरुष तथा महिलाओं के लिए अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना है। इसके गौण उद्देश्यों में ग्रामीण आर्थिक ढांचे को समृद्ध तथा सुदृढ़ करके सतत् रोजगार का सृजन करना, सामुदायिक तथा सामाजिक परिसंपत्तियों का सृजन करना तथा ग्रामीण क्षेत्र के समग्र जीवन स्तर में सुधार लाना आदि हैं। लक्षित समूह के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले को रखा गया है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाती है। महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। यह योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित है और 80 प्रतिशत वित्त पोषण करती है। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ किया जाता है। जिला स्तर पर धन का उपयोग आर्थिक दृष्टि से उत्पादक परिसंपत्तियों में 35 प्रतिशत, सामाजिक वानिकी में 25 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तिगत लाभार्थ योजनाओं में 22.5 प्रतिशत, सड़कों तथा भवनों को सम्मिलित करते हुए अन्य कार्यों में 17.5 प्रतिशत का प्रावधान है। योजना के प्रारंभ से अब तक 661.94 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 1997-98 में इस योजना के लिए 25,403.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दस लाख कुंओं की योजना

वर्ष 1993-94 से इस योजना के अंतर्गत गैर अनुसूचित जाति तथा गैर-अनुसूचित जनजाति से संबद्ध गरीब, छोटे तथा सीमांत किसानों को भी शामिल किया गया है। लेकिन इसके साथ ही यह शर्त भी रखी गई है

कि इन व्यक्तियों पर योजना आबंटन का एक-तिहाई भाग से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता। इस योजना के अंतर्गत कम-से-कम 60 प्रतिशत संसाधनों को मजदूरी घटक के रूप में व्यय करना होता है। अब तक 4037.50 करोड़ रुपये की लागत से 11.1 लाख कुंएं बनाए गए हैं।

इंदिरा आवास योजना

इस योजना का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को नि:शुल्क आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 1993-94 से इस योजना का लाभ गैर-अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन ग्रामीण गरीबों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करते हैं। आवास का आबंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति-पत्नी के संयुक्त नाम पर किया जाता है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 37 लाख आवास निर्मित कर आबंटित किए गए हैं।

सघन जवाहर रोजगार योजना (दूसरी धारा)

यह योजना वर्ष 1993-94 से देश के उन 12 राज्यों के 120 पिछड़े जिलों में कार्यान्वित की जा रही है जो बेरोजगारी तथा अल्प-बेरोजगारी से ग्रसित हैं। ये बारह राज्य हैं— आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। एक जनवरी 1996 से यह योजना रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है। योजना में उन कार्यों पर बल दिया जाता है जो प्रचुर मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। उदाहरणस्वरूप, लघु सिंचाई कार्यों का निर्माण, बंजर भूमि का विकास, वानिकी इत्यादि। ऐसा कार्य जो ग्रामीण अधोरचना में वृद्धि करे, को भी शामिल किया जाता है जैसे—प्राथमिक पाठशाला का निर्माण आदि।

नव प्रवर्तित तथा विशिष्ट जवाहर रोजगार योजना (तीसरी धारा)

इस योजना के अंतर्गत उन विशिष्ट तथा नवीन परियोजनाओं को शामिल किया गया है जो श्रम-प्रवसन को रोके, महिला रोजगार को प्रोत्साहित करे तथा मरुभूमि का विकास करे। इसकी समस्त परियोजनाओं की स्वीकृति ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी देती है।

सुनिश्चित रोजगार योजना

सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर 1993 से ग्रामीण क्षेत्रों के 261 जिलों के 1,778 विकास खंडों में, जहां संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू थी, प्रारंभ की गई। वर्ष 1994-95 में इस योजना को सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुस्थल विकास कार्यक्रम के 697 विकास खंडों में भी लागू किया गया। पुन: एक जनवरी 1996 को इस योजना में सघन जवाहर रोजगार योजना का विलय कर इसे शेष 722 विकास खंडों में भी विस्तारित कर दिया गया। इस प्रकार यह योजना 3,206 विकास खंडों में लागू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18 से 60 वर्ष की आयु के ग्रामीणों को (परिवार के दो सदस्यों) गैर-कृषि मौसम में कम-से-कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही पर्याप्त रोजगार तथा विकास के लिए आर्थिक अद्योरचना तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है। इस योजना का वित्त पोषण 4:1 के अनुपात में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत 1996-97 में लगभग 154.71 करोड़ श्रम दिवसों का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 2 अक्तूबर 1980 से पूरे देश में लागू है। यह ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जारी है। इसका उद्देश्य पता लगाए गए ग्रामीण गरीब परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में समर्थ बनाना है। लक्षित समूहों को उत्पादक परिसंपत्तियां प्रदान करने के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये परिसंपत्तियां वित्तीय सहायता के रूप में सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी तथा व्यापारिक बैंक, सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जैसी वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए सावधि ऋणों के रूप में होती है। लक्षित समूह में लघु सीमांत किसान, कृषि मजदूर तथा ग्रामीण कारीगर शामिल हैं। गरीबी की रेखा के अंतर्गत 11,000 रुपये तक की वार्षिक आय पाने वाले लोगों को रखा गया है। पता लगाए गए लक्षित समूह में कम-से-कम 50 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जाति एवं जनजाति, कम-से-कम 40 प्रतिशत महिलाएं तथा 3 प्रतिशत शारीरिक रूप से विकलांग लोग होते हैं। ग्रीन कार्ड धारकों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को भी प्राथमिकता दी जाती है।

अनुदान (सब्सिडी) में छोटे किसानों को 25 प्रतिशत, सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के लिए 33.3 प्रतिशत और अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1993-94 से अनुदान की अधिकतम सीमा अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए 6,000 रुपये है। अन्य लाभार्थियों के लिए यह सीमा सामान्य क्षेत्रों में 4,000 रुपये और सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में 5,000 रुपये है।

वर्ष 1996 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित शिक्षित युवाओं की एक नई श्रेणी बनाई गई है जिसके लिए अनुमानित अनुदान राशि, परियोजना लागत की 50 प्रतिशत अथवा 7,500 रुपये जो दोनों में कम हो, निर्धारित की गई है। पांच लाभार्थियों के एक समूह के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा परियोजना लागत की 50 प्रतिशत अथवा 1.25 लाख रुपये जो दोनों में कम हो, निर्धारित की गई है।

ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम)

ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक सहायक अंग है जिसका प्रारंभ एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1979 को किया गया था। इस

कार्यक्रम का उद्देश्य 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के उन ग्रामीण युवाओं को, जो गरीबी की रेखा से नीचे बसर करते हैं, को तकनीकी तथा उद्यमशीलता की कुशलताएं प्रदान करना है ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 41 लाख युवा प्रशिक्षित किए गए हैं।

— प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, नेहरू युवक केंद्रों, खादी ग्रामोद्योग बोर्डों, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों, विस्तार केंद्रों और स्वयंसेवी एजेंसियों द्वारा संचालित संस्थानों में उस्ताद कारीगरों द्वारा अपने काम के स्थानों पर दिया जाता है।

— प्रशिक्षण की अवधि घटाई-बढ़ाई जा सकती है। छह माह तक के पाठ्यक्रमों के बारे में जिला स्तर पर और इससे अधिक अवधि के पाठ्यक्रमों के बारे में राज्य स्तर पर निर्णय किया जाता है।

— प्रशिक्षण पाने वाला प्रत्येक युवा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (आई.आर.डी.पी.) का संभावित लाभार्थी होता है।

— प्रशिक्षित किए जाने वाले युवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं की संख्या कम-से-कम 50 प्रतिशत तथा युवतियों की संख्या कम-से-कम 40 प्रतिशत होती है।

— प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार या नौकरी करने में समर्थ विकलांग के लिए कम-से-कम 3 प्रतिशत लाभ निर्धारित होता है।

— इस कार्यक्रम के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, लेकिन विधवाओं, मुक्त बंधुआ मजदूरों, सजा से छूटे अपराधियों, विकास की बड़ी परियोजनाओं के कारण विस्थापित व्यक्तियों और कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार न्यूनतम आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

प्रशिक्षण के दौरान सहायता

— प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है तथा उपयुक्त औजार किट मुफ्त दी जाती है।

— प्रशिक्षण संस्थाओं/उस्ताद कारीगरों को मानदेय दिया जाता है।

— कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान किया जाता है।

— प्रशिक्षण के ढांचे को विस्तृत करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा)

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना के रूप में सितंबर 1982 से प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों की महिलाओं के लिए स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना है ताकि उनके सामाजिक तथा आर्थिक स्तर में सुधार लाया जा सके।

इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय स्थितियों, अपनी पसंद तथा दक्षता के अनुरूप आर्थिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए 5-10 महिलाओं का समूह बनाया जाता है। लक्षित वर्ग की महिलाएं समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ऋण तथा अनुदान का लाभ उठा सकती हैं। वर्ष 1995-96 से प्रत्येक महिला समूह को 25,000 रुपये का एक रिवाल्विंग कोष प्रदान किया गया। रिवाल्विंग कोष की राशि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा यूनीसेफ द्वारा 40:40:20 के अनुपात में वहन की जाती थी। लेकिन एक जनवरी 1996 से यूनीसेफ ने अपना अंश वापस ले लिया है। वर्ष 1995-96 से शिशु पालन गतिविधियों को भी डवाकरा कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक जिले को 1.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है जिसमें केंद्र का अंश एक लाख रुपये तथा राज्य का अंश 50,000 रुपये होता है। डवाकरा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 'कपार्ट' द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को समर्थन दिया जाता है। डवाकरा योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आज देश के सभी जिलों में डवाकरा कार्यक्रम चल रहा है। जुलाई 1997 तक 1,93,170 समूह बने जिससे 31,50,907 महिलाएं लाभान्वित हुईं।

सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम

सूखे की संभावना वाले चुनिंदा क्षेत्रों में यह राष्ट्रीय कार्यक्रम 1973 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भूमि, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित विकास करके पर्यावरण संतुलन बनाना है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए वित्त पोषण केंद्र और संबंधित राज्य द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाता है। यह देश के 13 राज्यों के 149 जिलों के 946 विकास खंडों में चल रहा है। इसके तहत कुल 746 लाख हेक्टेयर जमीन सम्मिलित की जा चुकी है। इस कार्यक्रम से फसलों और पशुओं पर सूखे के विपरीत प्रभावों को कम करने तथा समन्वित विकास को बढ़ावा देने और बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके अंतर्गत भू-संसाधन विकास, जल संसाधन विकास तथा वन रोपण और चरागाह विकास पर ध्यान दिया जाता है। वर्ष 1995-96 में वाटर शैड विकास के क्षेत्र में प्रवेश के बाद अगले चार वर्षों में लोगों की भागीदारी से 4,995 माइक्रो-शैड बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1973-74 से 1996-97 तक 2038.02 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम

मरुभूमि को बढ़ने से रोकने, मरुभूमि में सूखे के प्रभावों को समाप्त करने, प्रभावित क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय संतुलन बहाल करने और इन क्षेत्रों में भूमि की उत्पादकता तथा जल संसाधनों को बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर मरुस्थल विकास कार्यक्रम, गर्म मरुस्थलीय तथा ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्रों में 1977-78 से प्रारंभ किया गया है। यह कार्यक्रम शत-प्रतिशत केंद्रीय सहायता के आधार पर कार्यान्वित

किया जा रहा है। देश के 7 राज्यों के 36 जिलों के 227 ब्लाकों में ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है।

महिला समृद्धि योजना

इस योजना का प्रारंभ 2 अक्तूबर 1993 से किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं में गृहस्थी के संसाधनों पर बेहतर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने, आर्थिक रूप से उन्हें सक्षम बनाने तथा सामाजिक संरचना में ग्रामीण महिलाओं की अस्मिता को महत्वपूर्ण बनाना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिलाओं पर लागू होगी। उनके द्वारा स्थानीय डाकघर में खाता खोलकर अधिकतम तीन सौ रुपये जमा करने पर 25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वे अधिकतम 75 रुपये प्रोत्साहन राशि पाने की हकदार होती हैं।

ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किटें उपलब्ध कराना

ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार प्रदान करना आई.आर.डी.पी. का ही एक अंग है। केंद्र समर्थित यह योजना जुलाई 1992 से चुने हुए जिलों में शुरू की गई थी। अब यह योजना देश के संपूर्ण जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण दस्तकारों (बुनकरों, दर्जियों, कशीदाकारों तथा बीड़ी श्रमिकों के अलावा) को उन्नत औजारों की सहायता से उत्पादों की किस्म को बेहतर बनाने और उत्पादन तथा आय में वृद्धि करने लायक बनाना है। इस कार्यक्रम में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी परंपरागत कारीगर शामिल किए गए हैं। इसमें प्रत्येक ग्रामीण दस्तकार को औसतन 2,000 रुपये तक की लागत के औजार उपलब्ध कराए जाते हैं जिसका केवल 10 प्रतिशत अंश दस्तकार को चुकाना होता है, शेष 90 प्रतिशत केंद्र सरकार अनुदान के रूप में देती है। आज यह योजना देश के सभी जिलों में चल रही है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से लागू किया गया है। इसके तीन महत्वपूर्ण घटक हैं : 1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, 2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और 3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना—इस योजना के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले 65 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के आवेदक महिला अथवा पुरुष को 75 रुपये प्रतिमाह राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के लिए वर्ष 1997-98 में 463.02 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना—इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुख्य आय-अर्जक पुरुष अथवा महिला की सामान्य मृत्यु होने पर, जबकि वह 18 वर्ष से अधिक तथा 65 वर्ष से कम आयु का है, निर्धन परिवार को 5,000 रुपये की एकमुश्त राशि उत्तरजीवता के रूप में दी जाती है। दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में यह सहायता 10,000 रुपये की होती है। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1997-98 के लिए 175.82 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। अभी तक 2 लाख वंचित परिवारों को लाभान्वित किया चुका है।

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना—इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रह रही निर्धन परिवारों की 19 वर्ष तथा उससे अधि आयु की महिलाओं के लिए पहले दो बच्चों के जन्म पर प्रसव पू और प्रसवोत्तर मातृत्व देखभाल हेतु 300 रुपये की वित्तीय सहाय दी जाती है। इस प्रयोजना के लिए 1997-98 के लिए 93.18 करो रुपये आबंटित किए गए हैं। अब तक 19 लाख गर्भवती महिल लाभान्वित हो चुकी हैं।

ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता

राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना 1986 में की गई थी। वर्ष 1991 इसका नाम बदलकर 'राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन' कर दि गया। इस मिशन का उद्देश्य संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को आगामी कु वर्षों में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। मिशन अंतर्गत आबंटित कोष का 35 प्रतिशत अंश अनुसूचित जाति व जनजा की पेयजल समस्या की पूर्ति के लिए व्यय किए जाने का प्रावधान ग्रामीण जलापूर्ति तथा स्वच्छता क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने लिए दस व्यक्तियों के मानव संसाधन आधार की स्थापना हेतु 1994 'राष्ट्रीय मानव संसाधन कार्यक्रम' शुरू किया गया जिसका उद्दे गांव में निचले स्तर पर एक लाभार्थी को प्रशिक्षित करना है। इ योजना के अंतर्गत सुलभ शौचालय का भी निर्माण किया जाता जिसकी औसत लागत 2,500 रुपये निर्धारित की गई है जिसमें केव 20 प्रतिशत अंश स्थानीय पंचायत या उपभोग करने वाले व्यक्ति द्व वहन किया जाता है।

गंगा कल्याण योजना

सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए एक फरवरी 1997 से यह योज प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य छोटे तथा सीमांत किसानों किसान समूहों को भूमिगत जल के उपयोग के माध्यम से सिंचाई सुवि उपलब्ध कराना है। इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान और वित्तीय संस्था द्वारा ऋण से मदद की जाती है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लि 50 प्रतिशत अनुदान राशि निर्धारित की गई है। 1997-98 के बजट में इ योजना के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना

इस योजना का उद्देश्य देश के उन जिलों में, जिनमें महिला साक्षरता प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम है, लड़कियों के विशेष स्कूल खो जाएंगे। इन स्कूलों में भर्ती की जाने वाली लड़कियों के रहने, खा किताबों आदि का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। एक स्कूल पर भर में एक करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 1997-98 के बजट कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस की गई है।

(शेष पृष्ठ 40 प

शताब्दी का अंतिम महाकुंभ

संजय वर्मा उदय

विविधताओं के देश भारत में पुरातन काल से ही मेलों और पर्वों का अपना महत्व रहा है। जीवन में समष्टि के अर्थों में और समाजिकता के विभिन्न स्वरूपों के सम्मिलन के रूप में ये मेले निश्चित ही ऐसे विराट जनपर्व कहे जा सकते हैं जिन्हें धर्म से जोड़कर आयोजित करने की परंपरा हमारे मनीषी पुरखों ने बहुत पहले ही डाल दी थी। ऐसा ही एक विराट पर्व है—कुंभ मेला। इस बार यह पर्व शताब्दी के अंतिम महाकुंभ के रूप में हरिद्वार में बड़ी धूमधाम से आयोजित हो रहा है। हरिद्वार में 1998 में आयोजित होने के बाद इस महापर्व का अगला आयोजन 21वीं सदी में ही होगा। इस दृष्टि से 20वीं सदी के समापन की बेला पर इस महान पर्व का आयोजन कई रूपों में विशिष्ट हो गया है।

किंतु इस विशिष्टता को जानने से पूर्व हमारे लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर भारतीय जन-मानस में ऐसे विराट जन पर्वों की परंपरा कब और कैसे पड़ गई। यह भी कि आज ऐसे आयोजनों के क्या अर्थ हैं? इस परिप्रेक्ष्य में हमें सबसे पहले उन मिथकों और मान्यताओं का स्मरण हो आता है जिनके बलबूते पर आज भी कुंभ को सिर्फ धर्म ही नहीं, बल्कि उल्लास की विभिन्न परिभाषाओं से जोड़कर आयोजित करने की परंपरा और अधिक समृद्ध हो चली है।

मान्यताएं

कुंभ पर्व के प्रसंग में मिथकों के रूप में यूं तो कई पुराण गाथाएं प्रचलित हैं किंतु इनमें सर्वमान्य कथा श्रीमद्भागवत और विष्णुयाग में उल्लिखित 'कलशोत्पत्ति कथा' ही है। यह कथा सागर मंथन की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है। सागर मंथन अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया देवों और असुरों का सम्मिलित उपक्रम था—ऐसा पुराण दर्शाते हैं। कथानुसार, भगवान विष्णु के कूर्म रूप यानी कछुए की पीठ को आधार बनाकर मंदराचल को मथानी बनाया गया। सर्पराज वासुकि को मथानी चलाने वाली रस्सी का स्वरूप दिया गया। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर। इस तरह जब जोरदार मंथन शुरू हुआ तो रत्नगर्भा समुद्र से एक-एक करके चौदह रत्न निकले।

सबसे पहला रत्न कालकूट विष के रूप में सामने आया। उसे भला कौन ग्रहण करता, इसलिए वह चहुं ओर फैलने लग गया। उसके घातक प्रभाव से सब ओर हाहाकार मच गया। ऐसे में भगवान शिव शंकर ने इस हलाहल को गटका और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया जिस कारण वे 'नीलकंठ' कहलाए। विष के उपरांत तेरह अन्य रत्न क्रमशः वारुणि, रंभा अप्सरा, शंख, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, उच्चैश्रवा अश्व, कौस्तुभ मणि, पुष्पक विमान, लक्ष्मी, धन्वंतरि ऋषि और अमृत निकले। शेष सभी रत्नों का तो समझौते के अनुसार वितरण हो गया किंतु अमृत कलश को लेकर बात अटक गई। देवता और असुर, दोनों ही उस पर अपना एकमेव अधिकार चाहते थे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में भीषण विवाद छिड़ गया। इस बीच इंद्र पुत्र जयंत देवताओं का संकेत पाकर अमृत घट को छीनने में सफल हो गए और वे उसे लेकर ब्रह्मांड में चतुर्दिक भागने लगे।

छीना-झपटी और भागा-दौड़ी के इस क्रम में कहीं अमृत कलश से अमृत व्यर्थ ही न बह जाए, इस आशंका को देखते हुए देवताओं ने सूर्य को यह दायित्व सौंपा कि वह कलश को फूटने से बचाए। शनि महाराज को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे यह देखें कि कहीं कोई देवता समस्त अमृत अकेले ही न पी जाए। बृहस्पति अमृत की असुरों से रक्षा के लिए तैनात थे जबकि चंद्रमा का दायित्व अमृत को कलश से छलक कर बाहर आने से बचाने का था। लेकिन चंद्रमा अपने दायित्व को भली प्रकार नहीं निभा पाए। इसी कारण भागा-दौड़ी के दौरान जिन बारह स्थानों पर अमृत कलश को रखा गया, वहां अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर गईं। इनमें से आठ स्थान आकाश में और शेष चार स्थान धरती पर अवस्थित माने जाते हैं। भूलोक में ये चार स्थान हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन्हीं अमृत कणों के कारण कुंभ क्षेत्र बन गए। इस गाथा के परिप्रेक्ष्य में 'स्कंध पुराण' में वर्णित यह श्लोक देखा जा सकता है :

मुख्य स्नान पर्वों की तिथियां

हरिद्वार में कुंभ, 1998 के दौरान जिन तिथियों में मुख्य स्नान पर्व आयोजित किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :

स्नान पर्व	तिथि
मकर संक्रांति	14 जनवरी 1998
बसंत पंचमी	1 फरवरी 1998
महाशिवरात्रि	25 फरवरी 1998 (प्रथम शाही स्नान)
चैत्र अमावस्या	28 मार्च 1998 (द्वितीय शाही स्नान : समस्त अखाड़ों के लिए)
नव संवतसर	29 मार्च 1998
श्रीराम नवमी	7 अप्रैल 1998 (वैष्णव अखाड़ों के लिए शाही स्नान)
वैशाखी/मेष संक्रांति	13 तथा 14 अप्रैल 1998 (मुख्य स्नान पर्व: सभी अखाड़ों के लिए)
वैशाख अमावस्या	26 अप्रैल 1998
अक्षय तृतीया	29 अप्रैल 1998

पुरा पृक्ते देवानादैत्ये सह महारणे, समुद्रमंथनात्प्राप्तं सुधाकुंभ तदासुरैः।
तस्यात्कुंभातामुत्क्षिप्त सुधाबिंदुर्भ महीतले, तत्रयात्पतत्तत्र कुंभ पर्व प्रकल्पितम्॥

वैसे आकाशीय स्थानों में से एक स्थान वृंदावन भी माना जाता है जहां के एक कदम्ब वृक्ष पर अमृत कुंभ रखा गया था। किंतु आकाशीय स्थान होने के कारण यहां कुंभ पर्व के विराट आयोजन की परंपरा नहीं है यद्यपि प्रतीक रूप में यहां कुंभ पर्व का आयोजन अवश्य किया जाता है।

कुंभ पर्व के नक्षत्र-योग

उल्लेखनीय है कि जिन नक्षत्रों और योगों में अमृत छलक कर उक्त स्थानों में गिरा था, उन्हीं योगों और घट-पल-घड़ियों में प्रत्येक बारह वर्ष के अंतराल पर कुंभ का आयोजन होता है। इन खगोलीय मान्यताओं में कुंभ कलश की रक्षार्थ नियुक्त चंद्रमा, शनि, बृहस्पति और सूर्य की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे हरिद्वार में कुंभ पूर्णरूपेण तब भरता है यानी इसका योग तब बनता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में हो और सूर्य मेष राशि में विचरण कर रहा हो। इस संबंध में 'स्कंध पुराण' का ही निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करने योग्य है :

पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गतै गुरौ।
गंगाद्वारे भवेद्योग: कुंभनान्मातदोत्तम:॥

अर्थात सूर्य के मेष राशि में और बृहस्पति के कुंभ राशि में होने पर ही गंगाद्वार यानी हरिद्वार में पूर्ण कुंभ का उत्तम योग बनता है। यह योग सन् 1998 में वैशाख माह की अमावस्या अर्थात 13 व 14 अप्रैल के मध्य बन रहा है जब कुंभ का मुख्य स्नान पर्व होगा। इसी प्रकार प्रयाग में पड़ने वाले कुंभ के संदर्भ में खगोलशास्त्रीय गणनाएं कहती हैं कि जब सूर्य मकर राशि में तथा बृहस्पति वृष राशि में विचरण करे तब प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर कुंभ पर्व का योग बनता है। प्रयाग में कुंभ पर्व के लिए यह ग्रह योग माघ मास में पड़ना भी एक अनिवार्य शर्त है।

उज्जैन में कुंभ पर्व की बेला यूं तो बृहस्पति के सिंहस्थ और सूर्य के मेषस्थ होने पर आती है किंतु यहां के कुंभ, जिसे 'सिंहस्थ पर्व' भी कहा जाता है, के लिए दस अन्य योगों का होना भी अनिवार्य है। ये दस यो हैं— वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, सूर्य मेष राशि में, चंद्र तुला राशि में, बृहस्पति सिंह राशि में, स्वाति नक्षत्र, सोमवार का दिन औ उज्जैन स्थल। उल्लेखनीय है कि इन दस योगों में से सिर्फ एक योग या बृहस्पति सिंह राशि में न हो तो उज्जैन का यह 'सिंहस्थ पर्व' निरस्त जाता है। ऐसा एक बार संवत् 2012 अर्थात सन् 1934 में हो चुका है जि वर्ष शेष समस्त नौ योग होने पर भी उज्जैन में कुंभ पर्व आयोजित न हुआ था। उधर महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ तब पड़ता है जब बृहस्प और सूर्य दोनों ही सिंह राशि में हों। नासिक के कुंभ के लिए पूर्णिमा ति और दिन बृहस्पतिव होना एक अ ज्योतिषीय अनिवार्य है।

कुंभ मेला और गांधी जी

ऐतिहासिक दृष्टि से उद्धृत किए जाने वाला यह तथ्य कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हरिद्वार के कुंभ मेले में एक बार नहीं वरन् दो बार सम्मिलित हुए, बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी की हरिद्वार की ये यात्राएं 5 अप्रैल 1915 और मार्च 1927 को हुईं। संयोगवश इन दोनों तिथियों के दौरान हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हो रहा था।

पहली बार जब 1915 में महात्मा गांधी यहां के कुंभ मेले में शामिल हुए तो उन्होंने इस मेले पर टिप्पणी करते हुए अपने अनुभव में लिखा, "कुंभ स्नान का दिन आया। मेरे लिए वह घड़ी धन्य थी। परंतु मैं तीर्थ यात्रा की भावना से हरिद्वार नहीं गया था। पुण्य आदि के लिए तीर्थ क्षेत्र में जाने का संदेह नहीं था कि कुंभ पर्व पर आए लोग पुण्य कमाने के लिए और अपने को शुद्ध करने के लिए आए थे। इस प्रकार की श्रद्धा से आत्मा की उन्नति होती होगी, यह कहना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। परंतु कुंभ स्नान हेतु हरिद्वार पहुंचे 17 लाख यात्रियों में से सभी पाखंडी नहीं हो सकते।"

सन् 1927 में तब महात्मा गांधी हरिद्वार के कुंभ मेले में शामिल हुए तो उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं आदि का बारीकी से विश्लेषण किया। उन्होंने मेले से लौटकर अपने अनुभव में लिखा, "इस बार की यात्रा में भी मैंने हरिद्वार की दशा में कोई ज्यादा सुधार नहीं पाया। पहले की भांति आज भी धर्म के नाम पर मां गंगा की भव्य और निर्मल धारा गंदली की जाती है। आरोग्य शास्त्री कहते हैं कि उक्त स्थानों पर मल-मूत्र का विसर्जन करना मानव समाज की घोर अवज्ञा करना है। यह तो हुई प्रमाद और अज्ञान के कारण फैलने वाली गंदगी की बात, धर्म के नाम पर जो गंगा जल बिगाड़ा जाता है, सो तो जुदा ही है।"

गांधी जी ने आगे व्यंग्य करते हुए लिखा, "जिस हरिद्वार में स्वदेशी शक्कर का ही चलन है, वहीं हर साल सात लाख रुपयों का विलायती कपड़ा बिक जाता है। ज्वालापुर में, जो हरिद्वार का ही मुख्य अंग है, शराब और कसाई की एक दुकान भी है। कोई कारण नहीं कि हरिद्वार में संपूर्ण मद्यपान निषेध सफल न हो सके और हिंदुओं के तीर्थ स्थान में कसाई की दुकान का होना एक आश्चर्य की ही बात है।"

तैयारियों के आड़ में कुंभ

इस वर्ष 14 जनव से 26 अप्रैल 19 तक चलने वाले महापर्व में करीब ए करोड़ श्रद्धालुओं हरिद्वार आने की उम्म है। इस नाते प्रशासन प्रत्येक स्तर पर व्याप तैयारियां की हैं।

संपूर्ण मेला क्षेत्र, लगभग 130 व किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है, प्रशासनिक नियोजन की दृष्टि से 31 सेक्टरों में बांटा गया है। ये सेक्टर हैं—बहादराब ज्वालापुर, रानीपुर, कनखल, दक्षेश्वर द्वीप, सती द्वीप, बैरागी कैंप, मायाप बेलवाला, गौरीशंकर, चंडी देवी, नीलधारा, चीला, लालजी वाला, रोज हरिद्वार, मनसा देवी, हरकी पौड़ी, कांगड़ा द्वीप, भीमगोडा, मोतीच भूपतवाला, सप्त सरोवर, रायवाला, श्यामपुर, ऋषिकेश, चंद्रभागा, मु की रेती, स्वर्गाश्रम, लक्ष्मण झूला आदि। प्रत्येक सेक्टर में एक सेव मजिस्ट्रेट, एक पुलिस अधीक्षक, एक चिकित्साधिकारी और विद्युत जलापूर्ति अभियंता तैनात किए गए हैं। इसी तरह प्रत्येक सेक्टर में था स्वास्थ्य केंद्र तथा अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं।

यातायात व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से जहां उत्तर प्रदेश परिवहन विभ 1,200 विशेष बसें हरिद्वार के लिए चला रहा है, वहीं दूसरे राज्यों 1,400 विशेष बसें मेला अवधि के दौरान यहां के लिए चलाई गई हैं। वाहनों भारी संख्या को देखते हुए मेला क्षेत्र में पार्किंग के लिए 28 स्थानों पर अस्थ

र्किंग स्थल बनाए गए हैं। इनमें से एक पार्किंग स्थल—दक्षेश्वर द्वीप जो गभग छह वर्ग किलोमीटर लंबा-चौड़ा है। यहां अस्थायी अंतर्राज्यीय स अड्डा स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि इनमें से 21 पार्किंग थल हरिद्वार क्षेत्र में तथा सात ऋषिकेश-मुनि की रेती में बनाए गए हैं।

मेले में गंगा किनारे बने घाट तीर्थयात्रियों के मेला-स्नान हेतु मुख्य मिका निभाएंगे। अत: हरिद्वार में हरकी पौड़ी के आस-पास नए घाटों ा निर्माण किया गया है जो स्थायी परिसंपत्ति के रूप में यात्रियों के लिए हां हमेशा सुलभ रहेंगे। ऐसे घाटों की लंबाई तीन किलोमीटर है। कुंभ ले में भीड़ का दबाव और सफाई व्यवस्था हमेशा ही एक बड़ा मुद्दा रहा । अतएव इस कुंभ मेले में भीड़ का दबाव कम करने के लिए पूर्व के लों में दुर्घटना का प्रमुख कारण बन चुकी रोड़ी बेलवाला नामक आवासीय लोनी को पूरी तरह ध्वस्त करके इस क्षेत्र का विस्तार,यात्रियों की भीड़ सरकुलेशन के लिए किया गया है। इसी प्रकार पहले के कुंभ मेलों में ंगड़ा द्वीप और पंत द्वीप सेक्टरों पर बने शिविर दुर्घटनाओं के परोक्ष रण बनते थे। अत: इन शिविरों को दूसरे सेक्टरों में स्थानांतरित करके स्थानों को भी भीड़ के सरकुलेशन के लिए मुक्त रखा गया है।

मेले में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था का भी भारी इंतजाम किया गया है। से मेटल डिटेक्टर से जांच करने के अतिरिक्त बम निरोधक दस्तों और ग स्कवाड की तैनाती भी की गई है। इसी तरह प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान निगरानी टावर बनाए गए हैं जो भीड़ के दबाव के साथ-साथ शरारती वों पर भी नजर रखेंगे। संचार के विविध अधुनातन उपकरणों का भी ले में सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग लिया जा रहा है।

इस अंतिम महाकुंभ को 'मक्खी-विहीन मेला' घोषित करते हुए साफ-फाई का पुख्ता प्रबंध किया गया है। पूरे मेला-क्षेत्र में कीटनाशकों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करने के साथ-साथ सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया है ताकि मेले के दौरान गंदगी न फैलने पाए। इसी प्रकार विभिन्न स्थायी चिकित्सालयों में मेले के लिए विशेष इंतजाम करते हुए लगभग प्रत्येक सेक्टर में अस्थायी चिकित्सालय भी खोले गए हैं जहां बीमार यात्रियों का तत्काल इलाज हो सकेगा।

पेयजल की अनवरत उपलब्धता बनाए रखने के लिए पुराने अंत: स्रोत— कूपों, नलकूपों, खुले कुंओं, जलाशयों की सफाई तो की ही गई है। इसके अलावा लगभग प्रत्येक दो सौ मीटर की दूरी पर पानी की टोंटी वाले स्टैंड पोस्ट बनाए गए हैं। हरिद्वार में गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई को इस बात की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी दी गई है कि किसी भी सूरत में नगर और गंगा जल दूषित न होने पाए। इसके लिए यह इकाई लगभग 14 किलोमीटर लंबी नई सीवर लाइन बिछा चुकी है और मेला-क्षेत्र में पड़ने वाले सभी तेरह नालों की सफाई कर चुकी है।

मेले में बाधारहित विद्युत आपूर्ति के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुरानी विद्युत लाइनों को बदला गया है और बिजली सप्लाई के नए उप-संस्थान स्थापित किए गए हैं। हरकी पौड़ी क्षेत्र के आस-पास उत्कृष्ट प्रकाश व्यवस्था के लिए आठ स्थानों पर 'हाई मास्क लाइटिंग' की व्यवस्था की गई है। इसी तरह स्थायी तथा अस्थायी, दोनों तरह के लगभग 32 नए पुलों का निर्माण गंगा नदी पर किया गया है जो करोड़ों श्रद्धालु यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर इतनी व्यापक तैयारियों को देखते हुए यही प्रतीत होता है कि लगभग 75 दिन तक चलने वाला शताब्दी का यह अंतिम महाकुंभ न केवल दुर्घटनारहित होगा बल्कि अपनी सफलता के नए कीर्तिमान भी स्थापित करेगा। ❑

(पृष्ठ 31 का शेष)

ग्रामदान आंदोलन

ग्रामदान उसी दिशा में जाने का एक सोपान इसका दूसरा नाम है ग्राम राज।''

इस तरह इस आंदोलन के साथ आध्यात्म चार का संबंध जुड़ जाने से इसका महत्व भी ापक हो जाता है। तभी तो मैसूर सम्मेलन ने सूस किया कि, ''इस आंदोलन से तत्संबंधी वों में सहकारी जीवन और प्रयत्नों का पूर्णतर कास होगा और इसके जरिए गांवों के लोगों आर्थिक स्थिति में सुधार तथा सभी पहलुओं उनकी तरक्की और विकास होगा। इसके लावा, यह आंदोलन जमीन संबंधी समस्या लझाने तथा सहकारी जीवन विस्तृत करने के ए देश भर में अनुकूल मनोवैज्ञानिक वातावरण ा करेगा।'' इसका गहरा असर हुआ। सम्मेलन उपस्थित केन्द्रीय और राज्य सरकारों के तिनिधियों ने ग्रामदान आंदोलन की पूरी प्रशंसा की और उसमें सहायता देने का इरादा भी जाहिर किया। यह बहुत बड़ी बात हुई है।

इसी तरह, मैसूर में आयोजित एक भूदान गोष्ठी में आचार्य विनोबा जी ने कहा था कि सर्वोदय आंदोलन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, दोनों ही है। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें अपने देशहित की बातें इतनी आत्मीयता से समझने का सुअवसर मिल रहा है।

आचार्य विनोबा जी ने, अपने देश के गौरव की ओर संकेत करते हुए अक्सर कहा कि, ''हमें समझना चाहिए, हमारा देश बच्चा नहीं, दस हजार साल का अनुभवी पुराना देश है।'' इसके आगे वह कहते हैं कि, ''आत्म-ज्ञान की परंपरा इस देश में प्राचीन काल से थी। अब विज्ञान की शक्ति दुनिया में प्रकट हुई है। इधर भारत की इस प्राचीन आत्म-ज्ञान शक्ति और विश्व की अर्वाचीन विज्ञान शक्ति का योग हो रहा है। ज्ञान और विज्ञान का जहां योग होता है, वहां सब तरह का क्षेम हो जाता है, लेकिन वह क्षेम तब होता है, जब उस ज्ञान-विज्ञान का हमारे जीवन में प्रवेश होता है।''

इस तरह, सर्वोदय के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं को उन्होंने बड़ी रोचकता से समझाया है। इसलिए, ग्रामदान आंदोलन जरूरी तौर पर गांधीवादी आंदोलन है जो साधनों की शुद्धता पर सबसे ज्यादा जोर देता है। आचार्य विनोबा भावे का ग्रामदान आंदोलन गांधीवादी विचारधारा के पक्ष में एक जबरदस्त ताकत है। हमें चाहिए कि हम उत्साह के साथ और पूरे हृदय से इसका समर्थन करें। ❑

कृषि आधारित उद्योग : ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के नवीन शिल्पकार

डा. संजय आचार्य

कृषि भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। कहते हैं कि यदि कृषि असफल होती है तो सारी अर्थ-व्यवस्था असफल हो जाती है। देश की 65 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। वर्ष 2010 तक यह प्रतिशत 74 तक होने की संभावना है।

आज कृषि संपूर्ण जनसंख्या को रोजगार दिलाने में असमर्थ है। इस असमर्थता की पूर्ति कृषि आधारित उद्योगों से ही संभव है। कृषि आधारित उद्योग कम पूंजी में लगाए जा सकते हैं और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इन उद्योगों को स्थापित करने में किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।

इस समय भारतीय अर्थ-व्यवस्था में गरीबी और बेकारी के मोर्चे पर विजय प्राप्त करने के लिए कृषि आधारित उद्योगों का विकास आवश्यक है। कृषि आधारित उद्योग अपनी निम्नांकित विशेषताओं के कारण निकट भविष्य में भारतीय अर्थ-व्यवस्था के नवीन शिल्पकार बन सकते हैं :

प्रमुख विशेषताएं

- कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना अल्प पूंजी से की जा सकती है। इन उद्योगों की स्थापना हेतु किसी विशेष संयंत्रों या भूमि की आवश्यकता नहीं होती है।
- कृषि आधारित उद्योगों की विपणन प्रक्रिया अत्यंत सरल होती है जिससे उपभोक्ताओं का एक बड़ा वर्ग इन्हें सहज ही उपलब्ध हो जाता है।
- कृषि आधारित उद्योगों में श्रमिकों की उपलब्धता सरलता से और सस्ती दरों पर उपलब्ध हो जाती है।
- इन उद्योगों को कच्चा माल कृषि से सरलता से उपलब्ध होता रहता है।
- स्थानीय आधार पर स्थापित होने वाले ये उद्योग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक हैं क्योंकि गांवों से शहरों की ओर का पलायन रोकने में ये उद्योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

उपरोक्त विशेषताओं से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से निश्चय ही ग्रामीण गरीबी और ग्रामीण बेकारी जैसी भयावह समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। साथ ही ग्रामीण जन-जीवन को खुशहाल बनाकर और ग्रामीण क्षेत्रों की काया-कल्प कर ग्रामीण विकास तीव्र करने में ये उद्योग नवीन शिल्पकार बनेंगे, यही हमारी आशा है।

प्रमुख समस्याएं

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में, विशेषकर ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में, कृषि आधारित उद्योगों को एक विशेष दर्जा दिलाने के लिए भारत सरकार कृत-संकल्प है। राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से सारे देश में इन उद्योगों के विकास के लिए प्रयास हो रहे हैं। कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण ये उद्योग तीव्र विकास नहीं कर पा रहे हैं। इनके विकास-मार्ग की प्रमुख बाधाएं इस प्रकार हैं :

- सरकार से इन उद्योगों को जो अनुदान प्राप्त हो रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं। अत: इन अनुदानों की राशि में यथोचित वृद्धि की आवश्यकता है।
- 1982 में इन उद्योगों के लिए सुविधाओं के जो मानदंड निर्धारित किए गए थे, उनमें आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि उनमें कुछ मानदंड अव्यावहारिक हैं।
- बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा के कारण ये उद्योग अपना समुचित विकास नहीं कर पा रहे हैं।
- इन उद्योगों को ग्रामीण स्तर पर लोगों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग नहीं मिल रहा है।
- जिला उद्योग केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों से भी पर्याप्त सहयोग और नवीन योजनाओं की जानकारी न मिल पाना इनके विकास-मार्ग की एक बड़ी बाधा है।

सुझाव

कृषि आधारित उद्योगों में व्याप्त व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करके निश्चय ही इन्हें शीर्ष पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। प्रमुख सुझाव हैं :

- सरकार से जो अनुदान और रियायतें कृषि आधारित उद्योगों को प्रदान की जा रही हैं, वे वास्तव में सही ढंग से उन तक पहुंच रही हैं, इसका निरीक्षण और निष्पादन एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हो।
- जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रदत्त अनुदान सुविधाओं का निरीक्षण समय-समय पर शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण करें।
- जिला उद्योग केन्द्रों की भूमिका को बहुत सशक्त बनाने की आवश्यकता है।
- कृषि आधारित उद्योगों में ग्रामीणों की भागीदारी बढ़ाए जाने की तीव्र आवश्यकता है। इन उद्योगों को पर्याप्त विकास का स्वरूप देने हेतु इन्हें एक जन-आंदोलन के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिष्ठित करना होगा।
- बड़े उद्योगों से इन उद्योगों की रक्षा के लिए सरकार को बड़े उद्योगों के कृषि आधारित उत्पादों पर करों में वृद्धि करनी होगी।
- प्रचार-प्रसार की अपर्याप्तता के कारण ही कृषि आधारित उद्योग बड़े उद्योगों के कृषि उत्पादों से पिछड़ जाते हैं। इस हेतु एक 'इंटरनेट' बनाकर इन्हें पर्याप्त प्रचारित करने की भी आवश्यकता है।
- जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रदत्त जल और विद्युत अनुदान की राशि में वृद्धि आवश्यक है।

वर्तमान स्थिति

भारत सरकार इन कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु कृत-संकल्प है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 1,247.27 करोड़ रुपये कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर व्यय होना है जबकि आगामी वर्ष में इस व्यय में 37 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि करना प्रस्तावित है। यह नकद सहायता इन उद्योगों को जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए जिला उद्योग केन्द्रों को और अधिक सक्षम बनाने की सरकार की योजना है। वित्तीय वर्ष 1997-98 (31 मार्च 1998 तक) कुल 40 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना से निश्चय ही भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को अधिक शक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया जा सकता है। आवश्यकता है संकल्पनिष्ठ और सतत ईमानदार प्रयासों की, तभी हम एक सशक्त ग्रामीण अर्थतंत्र का निर्माण करने में समर्थ हो सकते हैं।

वर्तमान भारतीय अर्थतंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु हमें अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव लाना होगा और औद्योगिक क्षेत्र में एक 'प्रतिष्ठित क्षेत्र' के रूप में कृषि आधारित उद्योगों को प्रतिष्ठित करना होगा, तभी हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे गरीब राज्यों में गरीबी और बेकारी को दूर कर सकते हैं।

निष्कर्ष

कृषि आधारित उद्योगों के विकास से संबंधित निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

- विश्वव्यापीकरण और उदारीकरण के टूटते तिलिस्म के कारण भारतीय परिप्रेक्ष्य में कृषि आधारित उद्योगों का विकास ही प्रासंगिक है।
- ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के नवीन शिल्पकार के रूप में इन्हें ही मान्य करना, आज समय की प्रमुख मांग है।
- सरकार से पर्याप्त कानूनी और वित्तीय संरक्षण मिलना, आज इन उद्योगों की विशेष आवश्यकता है।

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि कृषि आधारित उद्योग वर्तमान भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सर्वाधिक शक्तिमान इकाई के रूप में प्रतिष्ठित किए जाने योग्य हैं। राष्ट्र की मौजूदा दो प्रमुख चुनौतियों—गरीबी और बेकारी को इन उपक्रमों के विकास से ही जीता जा सकता है। ❑

(पृष्ठ 35 का शेष)

ग्रामीण विकास के सूत्र

त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना

सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के लिए गत वर्ष बड़ी सिंचाई और बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के उद्देश्य से त्वरित सिंचाई लाभ परियोजना शुरू की गई है। 1997-98 के बजट में इसके लिए 1,300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक में किसानों तथा कारीगरों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है। इसका पुन: पूंजीकरण किया जा रहा है। इसके लिए 1997-98 के बजट में 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

यह बैंक संगठित ग्रामीण ऋण ढांचे में एक शीर्षस्थ संस्था के रूप में अपनी भूमिका को ध्यान में रखते हुए, अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों के विस्तृत क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देती हैं। नाबार्ड को अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। इसे गत वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त अग्रिम शेयर पूंजी के रूप में 500 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये सरकार द्वारा तथा 400 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए। 1997-98 वर्ष में इसकी शेयर पूंजी 500 करोड़ बढ़ा दी गई। ❑

R.N./708/57
तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एल) 12057/98
एस.एस.एन. 0971-8451
भुगतान के बिना डी.पी.एस.ओ. दिल्ली में डाक में डालने
अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

R.N./708/57
P&T Regd. No. D (DL) 12057/98
ISSN 0971-8451
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at DPSO, Delhi-54

श्रीमती सुनिन्द्र कौर, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली 110001 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित। मुद्रक तारा आर्ट प्रेस, बी-4 हंस भवन,